Par. S. 17. II. 9. 52.
285

खंड २ | सोम वार
संख्या ९ | २१ जुलाई, १९५२

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण [पृष्ठ भाग २८३५]
प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग २८३५—२८७९]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग २८७९—२९२४]

(मूल्य ४ आने)

454 P.S.D.

लोक सभा

सोमवार, २१ जुलाई १९५२]

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री सिबनारायण सिंह महापत्र,

(सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

काफ़ी

*१८७२. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में भारत में काफी के उत्पादन की मात्रा क्या थी ;

(ख) उत्पादित राशि में से कितनी निर्यात हुई और कितनी आन्तरिक उपभोग के लिये उपयोग में लायी गई ;

(ग) जिन देशों को काफ़ी निर्यात होती है उनके नाम क्या हैं ; तथा

(घ) अन्य कौन कौन से देशों में काफ़ी उपजती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ११]

(ग) पिछले तीन वर्षों में काफ़ी का अधिकतर निर्यात निम्नलिखित देशों को हुआ : इंगलिस्तान, फ़्रान्स, नैदरलैण्डस्, इटली, जर्मनी, ब्रह्मा , स्विटज़रलैंड, नार्वे, स्वीडन, आस्ट्रिया, इजिप्ट, जेकोस्लोव्हाकिया और लंका ।

(घ) काफी उत्पादन करने वाले प्रमुख देश ये हैं : ब्राज़ील, कोलंबिया, मेक्सिको, एल० सालवाडोर, गुआमाला, इण्डोनेशिया अंगोला, और फ़्रान्सीसी पश्चिमी अफ़्रीका ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि आन्तरिक उपयोग तथा निर्यात के लिये काफ़ी के बटवारे की नीति क्या है ?

श्री करमरकर : मैं सदन का अनुग्रह मांग कर निम्न निवेदन करना चाहूंगा । अनेक बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो मुख्य प्रश्न से खास तौर पर उठते नहीं । उदाहरणार्थ इस सिलसिले में मुख्य प्रश्न उत्पादन तथा निर्यात से सम्बन्धित है किन्तु अनुपूरक प्रश्न बटवारे की रीति से सम्बन्धित है । मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर हमें पूर्व सूचना मांगना अपरिहार्य हो जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसका अर्थ यह है कि माननीय मंत्री इस प्रश्न के लिये पूर्वसूचना चाहते हैं ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, मैं यह नम्र निवेदन करने की प्रार्थना करता हूं कि मुख्य प्रश्न से यह उठता नहीं ; इसलिए मैं पूर्व सूचना मांगता हूं ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान् क्या मैं कह सकता हूं कि मुख्य प्रश्न में मैंने आन्तरिक उपभोग की राशि भी जाननी चाही थी ? फिर भी मैं जान सकता हूं कि क्या काफी के कुल उत्पादित राशि का अल्प अंश ही बाजार में रखा जाता है जिससे यहां काफ़ी की कीमतें ऊंची बनी रहें ? यदि ऐसा किया जाता है, तो यह रीति कैसी काम दे रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : श्रीमान्, काफ़ी पर्षद् यह काम करता है । सब उत्पादित काफी का एक संकोष बनाया जाता है और नीलाम, सहकारी संस्थाएं तथा इण्डिया काफी हाऊस द्वारा आन्तरिक उपभोग के लिये और टेण्डर द्वारा निर्यात के लिये काफी की वुकनी का वितरण होता है । उपलब्ध काफी की मात्रा और गुण पर बंटवारा निर्भर रहता है । माननीय सदस्य को उनको दिये हुए विवरण से पता चलेगा कि १९५०-५१ में निर्यात का अंश बहुत कम कर दिया गया है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि पी बेरी तथा नेटिव फ्लेट इन दो जातियों में से विदेश में कौन सी पसन्द की जाती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे भय है कि मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

श्री आल्तेकर : इस देश में उत्पन्न होनेवाली काफी का मूल्य क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यहां पर मेरे पास केवल राशियों की जानकारी उपलब्ध है, मूल्य की नहीं ।

कुमारी आनी मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं कि यहां देश के आन्तरिक उपभोग के लिये काफी की कीमत क्या है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इण्डिया काफी हाऊस जाने से माननीय सदस्य को यह जानकारी मिल सकती है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह सच है कि आन्तरिक उपयोग के लिये काफी का वितरण होते समय केवल थोड़े ही लोगों को नीलाम में बोली बोलने की अनुमति दी जाती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सत्यापन किये बिना मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता । वस्तुतः काफी पर्षद यह काम करता है ।

कुमारी आनी मस्करीन : श्रीमान्, मैं औचित्य-प्रश्न उठाना चाहती हूं .....

अध्यक्ष महोदय : वैसे तो बहुत कुछ औचित्य-प्रश्न उठ सकते हैं किन्तु हम उनमें प्रश्नकाल का समय न खर्च करें ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका को काफ़ी की कितनी राशि निर्यात होती है ? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वह देश काफी की अत्यधिक राशि उठाता है , वहां भारतीय काफी का प्रचार करने के लिये कौन कौन से प्रयत्न किये जा रहे हैं ? और उस देश को होने वाले निर्यात के विस्तार का प्रतिवर्षीय परिमाण क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे भय है कि विदेश में निर्यात होने वाली राशियों के देशानुसार ब्योरे के संबंध में मुझे पूर्व सूचना आवश्यक होगी । किन्तु जहां तक संयुक्त राज्य अमरीका में हमारी काफी का

प्रचार करने का सवाल है, माननीय सदस्य को स्मरण होगा कि निर्यात के लिये उपलब्ध काफी की राशि अतिअल्प है जिससे विदेश में उसके प्रचार के लिये पैसा खर्च करना उचित नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय: माननीय महिला सदस्या अब अपना औचित्य-प्रश्न पूछ सकती है ।

कुमारी आनी मस्करीन : देश के विविध विभागों में काफी की कीमत अलग अलग होती है । मैं ने माननीय मंत्री को पूछा कि क्या सरकार ने वह बांध दी है । माननीय मंत्री ने उत्तर यह दिया कि इण्डिया काफी हाऊस जाकर जांच करनी चाहिये । इसके लिये उनकी मंत्रणा की गरज नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री एस० सी० सामन्त : मुझे विवरण से पता चलता है कि काफी का आन्तरिक उपभोग दिन पर दिन बढ़ रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने दक्षिण भारत के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी काफी की उपज बढ़ाने के लिये कोई पग उठाया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे भय है कि इस विषय के बारे में उत्तर देना मेरे मंत्रालय के लिये बहुत कठिन है क्योंकि काफ़ी पर्षद प्रायः स्वायत्तशासी है । उसकी रचना ऐसी है कि उसका एक विभाग उत्पत्ति तथा उपज-विस्तार के बारे में गवेषणा करता है और दूसरा विभाग केवल बिक्री के मामलों की पड़ताल करता है । पर्षद के सभापति के सिवाय इन दो विभागों में समन्वय के मध्यम बहुत थोड़े हैं । मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि इस मामले में सरकारी नियंत्रण अपर्याप्त है, अतएव इस विधि में संशोधन करने के प्रस्तावों पर हम विचार कर रहे हैं जिससे सरकार और काफी पर्षद के कार्यवाहियों में एकसूत्रता आ जाय । परंतु इस वक्त मैं कोई निश्चत उत्तर देने के लिये असमर्थ हूं ।

पूर्वी बंगाल से विस्थापित व्यक्ति

***१८७३. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९५१ से अब तक पूर्वी बंगाल से आये हुए और कैम्पों में प्रविष्ट किये गये अथवा सीधे पुनर्वास बस्तियों में भेजे गये विस्थापित व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : कैम्पों में प्रविष्ट किये गये विस्थापितों की संख्या ९३,१५९ है और सीधे पुनर्वास बस्तियों में भेजे जाने वालों की संख्या १२,९७२ है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय पूर्वी बंगाल से प्रति दिन आने वाली विस्थापित व्यक्तियों की औसत संख्या क्या है ?

श्री ए० पी० जैन : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि पश्चिमी बंगाल की आर्थिक सीमा पहुंच चुकी है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस समय भारत में आने वाले विस्थापितों के लिये कौन कौन से अन्य प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

श्री ए० पी० जैन : आर्थिक सीमा पहुंचने के सवाल पर एक राय नहीं है । मैं मानता हूं कि पश्चिमी बंगाल में बहुत भीड़ हो गयी है और हमने अब तक बाहर कोई प्रबन्ध किया नहीं है । पश्चिमी बंगाल में रहने वाले शरणार्थियों को अन्य प्रदेशों में भेजने के प्रबन्ध करने की कोशिश हम कर रहे हैं । परन्तु यह मामला अन्तिमतः इस बात पर ही निर्भर रहेगा कि पश्चिमी बंगाल की सरकार उन को बाहर भेजने के लिये कहां तक तैयार है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान आज के 'हिंदुस्तान स्टैण्डर्ड' में प्रकाशित उस निवेदन की तरफ आकर्षित कर सकता हूं जिसमें कहा गया है कि यह आर्थिक सीमा पहुंच चुकी है जैसे कि पश्चिमी बंगाल के माननीय पुनर्वास मंत्री ने भी कहा है ? और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या सरकार ने कुछ अन्य प्रबन्ध किये हैं जैसे कि माननीय मंत्री सोचते थे ?

श्री ए० पी० जैन : वस्तुतः इस शर्त पर कि पश्चिमी बंगाल की सरकार बंगाल के बाहर बसने के लिये विस्थापित व्यक्तियों की अपेक्षित संख्या भेजेगी, अनेक प्रबन्ध किये गए थे । परन्तु यदि मेरी स्मृति ठीक है तो केवल एक छोड़ कर प्रायः सब ही वक्त पश्चिमी बंगाल की सरकार विस्थापित व्यक्तियों को पश्चिमी बंगाल के बाहर भेजने में असफल रही । यह स्पष्ट है कि मैं बिहार तथा उड़ीसा को छोड़ रहा हूं । उस विशिष्ट समय भी जब हमने लगभग ५०० परिवारों के लिये प्रबन्ध किया था, पश्चिमी बंगाल की सरकार केवल २०० या ३०० परिवारों को भेजने में सफल रही । जब मैं बंगाल के बाहर बस्ती बसाने का प्रबन्ध करूं, तो मुझे अब यह आश्वासन चाहिये कि पश्चिमी बंगाल की सरकार शरणार्थियों को बंगाल के बाहर जाने की अनिच्छा को जीत सकेगी और शरणार्थियों की अपेक्षित संख्या भेजेगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच है कि एक पुराने विमान-क्षेत्र का स्थान अर्जित कर लिया गया है और वहां इन विस्थापित व्यक्तियों के रहने के लिये चौमंजली इमारतें बनायी जायेंगी ?

श्री ए० पी० जैन : श्रीमान् अब तक वह स्थान अर्जित नहीं किया है किन्तु यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री ए० सी० गुहा : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि स्यालदा स्टेशन में शरणार्थियों की जो बहुत भीड़ हो रही है उसको कम करने के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

श्री ए० पी० जैन : इन शरणार्थियों को संक्रमण शिविरों में स्थानांतरित किया जा रहा है जहां उनकी सावधानी से छानबीन की जायेगी और उसके बाद उनको अन्य कार्य केंद्रों में अथवा पुनर्वास बस्तियों में भेजा जायेगा ।

श्री ए० सी० गुहा : प्रति दिन स्यालदा स्टेशन से संक्रमण शिविर में स्थानांतरित करन के लिये शरणार्थियों की कोई संख्या निश्चित की गई है ?

श्री ए० पी० जैन : नहीं ।

श्री ए० सी० गुहा : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय स्यालदा स्टेशन में कुल कितने लोग हैं ?

श्री ए० पी० जैन : मेरे पास वह आंकड़ नहीं हैं ।

जनाब अमजद अली : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि कितने शरणार्थी आसाम, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप और मैसूर भेजे गये हैं ?

श्री ए० पी० जैन : हम किसी शरणार्थी को आसाम नहीं भेजते । आसाम का मामला ऐसा है कि वहां शरणार्थी चलते चले जाते हैं । हमने मैसूर में शरणार्थी भेजे नहीं । अण्डमान के बारे में मैं आंकड़े नहीं दे सकता ।

श्री बीरेन दत्त : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय त्रिपुरा में कितने शरणार्थी बसे हैं ?

श्री ए० पी० जैन : कुल संख्या लगभग ८१,००० होगी ।

श्री टी० के० चौधरी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि पिछले कुछ महीनों से शरणार्थियों की बढ़ती संख्या पश्चिमी बंगाल

में आ रही है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार पश्चिमी बंगाल को शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये मिलने वाला वित्तीय अनुदान बढ़ाने का विचार कर रही है ।

श्री ए० पी० जैन : इस समय पुनर्वास अनुदान बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु यह स्पष्ट है कि हमारे सारे निर्णय बदलती हुई परिस्थिति पर निर्भर रहते हैं ।

भारत पाकिस्तान जानकारी परामर्श समिति

***१८७४. श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत-पाकिस्तान जानकारी परामर्श समिति की प्रमुख सिफारिशे क्या हैं ?

(ख) दोनों देशों ने उन्हें कहां तक पूर्ण किया है ?

(ग) भारत तथा पाकिस्तान ने किये गये करारों तथा प्रबन्धों के अतिक्रम के बाबत कितनी शिकायतें की हैं ?

(घ) दोनों देशों में कितने समाचार-पत्रों तथा नियतकालिकों के प्रवेश पर पाबन्दी लगायी गई थी और कितनों पर अब भी पाबन्दी है ?

(ङ) क्या इन दोनों देशों के समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाली टिप्पणियों का तथा वृत्तों का परीक्षण करने के लिये जो प्रेस-सब-कमेटी (पत्र-उपसमिति) नियुक्त की गई थी वह अभी कायम है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १२**]

(ग) करारों के अतिक्रमण के विषय में शिकायतों का आदान प्रदान तो निरंतर चलता ही रहता है इसलिए सन् १९४८ से अब तक की अपेक्षित जानकारी इकट्ठी करने में जो समय तथा श्रम खर्च होंगे वे प्राप्त फलों की अपेक्षा बहुत अधिक होंगे ।

(घ) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १२**]

(ङ) माननीय सदस्य अनुमानतः उस उपसमिति का निर्देश कर रहे हैं जो अखिल भारतीय पत्रकार सम्मेलन तथा पाकिस्तानी पत्रकार सम्मेलन के संयुक्त पत्र समिति ने पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल के पत्रों में प्रकाशित होने वाली बातों पर आपत्कालीय परमर्श करने के लिये नियुक्त की थी । ये संस्थाएं गैर-सरकारी हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि उभय राष्ट्रों के पत्रकारों ने जो उपसमिति स्थापित की थी उसने क्या कोई प्रतिवेदन चाहे वह सरकारी हो या गैर-सरकारी सरकार को पेश किया है ?

डा० केसकर : इन बैठकों का जो केवल दो बार ही सम्मिलित हुई थी कोई अधिकृत वृत्तान्त नहीं निकला ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय विवाद विषयों पर दोनों देशों के समाचारपत्रीय टिप्पणियों की ध्वनि कैसी है ?

डा० केसकर : यह प्रश्न उत्तर देने के लिये कुछ अधिक व्यापक और कठिन सा है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । उनके लिये इस प्रश्न का उत्तर देना कुछ कठिन है ।

श्री ए० सी० गुहा : होली के दिनों में बिहार तथा उत्तर प्रदेश में और ७ मई, के दिन कलकत्ते में जो कुछ उपद्रव हुए थे उनके बारे में 'डान' तथा अन्य समाचारपत्रों में पिछले कुछ दिनों में प्रकाशित किये गये

( )

वृत्तों की तरफ क्या माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया है, और क्या सरकार ने इन वृत्तों की सत्यासत्यता की पड़ताल की है ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

डा० केसकर : सरकार का ध्यान इन वृत्तों की तरफ आकर्षित किया गया है । वस्तुत: हम पाकिस्तान सरकार का ध्यान वहां के समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाली निराधार एवं अतिरंजित वार्ताओं की तरफ निरंतर आकर्षित करते रहते हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस मिथ्या प्रचार का दुनिया पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हटाने के लिये क्या सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

डा० केसकर : जहां जहां आवश्यक तथा संभव हो वहां यह किया जाता है परंतु हमारे लिये यह संभव नहीं है कि हर रोज प्रकाशित होने वाली वार्ताओं का हम निरंतर खंडन करते रहे।

डा० एस० पी० मुखर्जी : क्या सरकार इस बात की कभी पड़ताल करती है कि हम जो खंडन प्रकाशित करते हैं वह पाकिस्तानी समाचार पत्रों में छपता है या नहीं ?

डा० केसकर : हमने जो खंडन भेजे थे उनमें से प्रकाशित किये गये खंडनो की निश्चित संख्या प्राप्त करने के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या पाकिस्तान को कुल जितनी शिकायतें या निषेधोक्तियां भेजी गई उनमें से किसी एक को भी उसनें मान लिया है ?

डा० केसकर : श्रीमान्, पूर्व विचार के बिना कुछ कह देना मेरे लिये कठिन है । मुझे सब शिकायतों की पड़ताल करनी पड़ेगी । शिकायतों का एक त्रैमासिक खण्ड अभी मेरे पास है और केवल उसी में सैंकड़ों शिकायतें शामिल हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या माननीय मंत्री हमें बता सकते हैं कि टिपरा के जिस उपद्रव की वार्ता पाकिस्तान के समाचरपत्रों में अभी अभी प्रकाशित हुई थी उसका पूर्वी बगाल के अल्पसंख्यकों की सुरक्षितता पर क्या प्रभाव पड़ा ?

डा० केसकर : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात

*१८७५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ में भारत से संयुक्त राज्य अमरीका को भेजे गये माल का कुल मूल्य कितना था ; तथा

(ख) क्या सन् १९५१-५२ के निर्यात आंकड़े में सन् १९५०-५१ के निर्यात के आंकड़े से कोई वृद्धि है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारत से संयुक्त राज्य अमरीका को किये गये निर्यात का कुल मूल्य पुनर्निर्यात को मिला कर १३२ करोड़ १८ लाख रुपये था ।

(ख) जी हां :। १९५१-५२ के निर्यात के आंकड़े में १९५०-५१ के निर्यात के आंकड़े से १६ करोड़ ८३ लाख रुपयों की वृद्धि दिखती है ।

भारत में बिना अनुज्ञा आये पाकिस्तानी

*१८७६. **श्री बी० के० दास** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या जो बिना अनुज्ञा भारत में प्रविष्ट

होने के अथवा अनुज्ञा की अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप पकड़े गये ;

(ख) ऐसे लोगों में से कितने वापिस भेज दिये गये और कितनों से अन्य व्यवहार किया गया ; तथा

(ग) वापिस भेजने की कार्यवाही पर कितना खर्च हुआ ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) तथा (ख). अपेक्षित प्रकार की जानकारी सहजप्राप्य नहीं है । फिर भी जिन विविध अपराधों की पाकिस्तान से प्रवेश नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत दोष-सिद्धि हुई ऐसे लगभग ५,५०० मामलों की सूचना राज्य सरकारों ने हमें दी है ।

(ग) सन १९५०-५१ और १९५१-५२ में लगभग ४०,००० रुपये खर्च हुए ।

श्री बी० के० दास : कितनों पर जासूसी का अपराध साबित हुआ ?

श्री ए० पी० जैन : हम अलग अलग आंकड़े नहीं रखते ।

श्री बी० के० दास : इस पर होने वाला वार्षिक व्यय कितना है ?

श्री ए० पी० जैन : श्रीमान्, मैं ने तो बताया है कि सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ इन दो वर्षों में ४०,००० रुपये खर्च हुए ।

श्री एच० जी० वैष्णव : श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि हैदराबाद राज्य में ऐसे कितने मामले हुए ?

श्री ए० पी० जैन : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

सरदार हुक्म सिंह : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि कितने मामलों में ऐसे अतिक्रमणकारियों को क्षमा कर दिया गया है ?

श्री ए० पी० जैन : मैं कोई आंकड़े नहीं दे सकता ।

साबरमती योजना

*१८७७. **श्री एस० जी० पारिख** : (क) क्या योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह संभव है कि उत्तरी गुजरात क्षेत्र में उपयोग के लिये साबरमती योजना का समावेश प्रथम पंचवर्षीय योजना में कर लिया जायगा ?

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि इस योजना का कुछ प्रारम्भिक कार्य हो चुका है ?

(ग) क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि इस योजना के फलस्वरूप जिस क्षेत्र को लाभ होने वाला है वह क्षेत्र बहुत सूखा है और विशेषत: प्रतिवर्ष वहां वर्षा की कमी होती है ?

(घ) क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि यह विशिष्ट भूमि बहुत उपजाऊ है तथा सिंचाई का प्रबन्ध होने पर वहां बहुत बड़ी उपज हो सकती है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) से (घ). केन्द्रीय जल तथा बिजुत आयोग साबरमती योजना की जांच कर रहा है और इस योजना का प्रतिवेदन अभी तैयार नहीं हुआ है । योजना-आयोग ने पंचवर्षीय योजना में इस योजना का समावेश करने का विचार नहीं किया है ।

श्री चावदा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि उत्तर गुजरात के सूखे प्रदेश में खेती के लिये भी कोई स्कीम बनायी जा रही है ?

श्री सी० डी० देशमुख पूर्वसूचना चाहिये ।

तागा गोलों की फ़ैक्टरी के लिये टेंडर

*१८७८. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सदर बाजार दिल्ली के सर्व श्री मोहम्मद फारूक याइया की तागा-गोलों की फ़ैक्टरी वार्षिक किराये

से देने के लिये जो टेंडर मांगे गये थे उनमें से ऐसे एक व्यक्ति का टेंडरस्वीकृत किया गया है जिसने अपेक्षित बयाना भी जमा नहीं किया था ?

(ख) क्या इस कारखाने के लिये टेंडर देने वाले ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने सब आवश्यक शर्तें पूरी की थीं तथा जिन्होंने इस सौदे के लिये अधिक रकम की बोली भी दी थी ;

(ग) यदि (क) तथा (ख) के उत्तर हां हो, तो इन अनियिमितताओं के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि पिछले साल इसी फैक्टरी के लिये पहिले एक टेंडर स्वीकृत किया गया था और बाद में उसको रद्द करा दिया गया ; तथा

(ङ) यदि ऐसा हुआ है तो उसके क्या कारण हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) तथा (ख). जिस व्यक्ति का टेंडर स्वीकृत हुआ उसने भारत के रिजर्व बैंक में अपने पैसे जमा करने की बजाय एक चेक के द्वारा २०० रुपये जमा किये थे। चेक भुगतान के योग्य है ऐसा आश्वासन संबन्धित बैंक ने दिया था। और भी दो टेंडर देने वालों के मामलों में गौण अनियमितताएं थी किन्तु उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार की दृष्टि से स्वीकृत टेंडर सब से अधिक लाभप्रद था इसलिए उसका स्वीकार हुआ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। सब से अधिक लाभप्रद टेंडर स्वीकार हुआ।

(घ) तथा (ङ) नहीं। प्रमुख अभिरक्षक की संमिति के बाद ही टेंडर का स्वीकार हो सकता था परन्तु किसी भूल के कारण प्रमुख अभिरक्षक की संमति लिये बिना अभिरक्षक ने स्वीकार-पत्र भेज दिया। जब मामला प्रमुख अभिरक्षक के सामने आया तो उसने स्वीकार-पत्र को मंजूरी देने से इन्कार कर दिया क्यों कि उसमें टेंडर की सूचना में जो शर्तें तथा बन्धन लगाये गये थे उनमे बदल कर दिया गया था। पुनर्वास मंत्री को भी इस स्वीकार के विरुद्ध शिकायतें मिली थी जिन्हों ने प्रमुख अभिरक्षक की कार्यवाही का समर्थन किया।

ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर : क्या यह क़ायदा है कि चेक के जरिये कोई रकम मंजूर न की जायेगी, बल्कि रकम पहिले खजाने में नगद जमा होनी चाहिये ?

श्री ए० पी० जैन : जी हां, यह टेंडर के अन्दर दर्ज था कि इम्पीरियल बैंक के अन्दर रुपया जमा किया जायगा। यह रुपया इम्पीरियल बैंक में जमा नहीं किया गया, बल्कि एक दूसरे बैंक में जमा किया गया जिसने कहा कि वह रकम यानी अदायगी का रुपया उस बैंक में जमा है। लेकिन इस कमी को एक मामूली कमी समझा और दूसरे दोनों टेंडरों में भी मामूली किस्म की कमियां थीं इस लिए सब टेंडरों पर गौर किया गया।

नन्दी कोंडा परियोजना

*१८७९. **श्री सी० आर० चौधरी :** क्या योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हैदराबाद राज्य ने अनुसन्धान के बाद यह प्रार्थना की थी कि नन्दी कोंडा परियोजना पंचवर्षीय योजना में समाविष्ट की जाय ;

(ख) क्या मद्रास राज्य ने इस परियोजना का अनुसन्धान करने के बारे में कुछ पग उठाये हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता है कि मद्रास राज्य के कुड़पा, कर्नूल, नेलौर, गन्तुर, कृष्णा तथा पश्चिमी गोदावरी

जिलों के लोगों में इस परियोजना को पंच वर्षीय योजना में समाविष्ट करने के विषय में एक याचिका है, तथा

(घ) यदि है, तो इस बारे में कौन कौन से पग उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस विषय पर कुछ अभिवेदन प्राप्त हुए हैं ।

(घ) योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गयी शिल्पिक समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे मूलभूत तत्त्व कौन कौन से हैं जो पूरे होने के पश्चात् ही पंच वर्षीय योजना में समाविष्ट करने के लिये किसी परियोजना की सिपारिश की जाती है ।

श्री सी० डी० देशमुख: : पहिली शर्त तो यह है कि शिल्पिक समिति को उस पर अपना प्रतिवेदन पेश करना चाहिये ।

श्री राधेलाल व्यास : क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी नदीघाटी परियोजनाऐं कौन कौन सी हैं जिनका समावेश प्रथम पंच वर्षीय योजना में करने के विषय पर योजना आयोग गौर कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रमुख प्रश्न की व्याप्ति के बाहर जा रहा है --किस विशिष्ट परियोजना का निर्देश आप कर रहे हैं ?

श्री राधेलाल व्यास : ऐसी परियोजनाऐं कौन कौन सी हैं जिनका समावेश पंच वर्षीय योजना में नहीं हुआ है और जिनको प्रथम पंच वर्षीय योजना में समाविष्ट करने के विषय पर योजना आयोग गौर कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह भी प्रश्न की व्याप्ति के बाहर है ।

श्री हेडा : क्या मैं जान सकता हूं कि शिल्पिक समिति का प्रतिवेदन कितने समय में अपेक्षित है ?

श्री सी० डी० देशमुख: मैं निश्चित नहीं कह सकता किंतु उसको अब अधिक समय नहीं लगना चाहिये ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि मद्रास सरकार ने हैदराबाद सरकार द्वारा किये गये नन्दी कोण्डा परियोजना के अनुसंधान के विषय में हैदराबाद सरकार से क्या कोई परामर्श किया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार ऐसा मालूम पड़ता है कि यह परियोजना केवल हैदराबाद सरकार की ही है ।

श्री ईश्वर रेड्डी : म जान सकता कि क्या मद्रास सरकार ने कृष्णा-पेन्नार परियोजना की पेशगी तथा सिफारिश करने के पूर्व नन्दी कोण्डा और कृष्णा-पेन्नार परियोजनाओं का तौलनिक अभ्यास किया था ?

श्री सी० डी० देशमुख : वही प्रश्न अलग रूप में पूछा जा रहा है । यह परियोजना हैदराबाद सरकार ने बनायी है और उस में नन्दी कोंडा के पास कृष्णा नदी में बांध बनाना, नहर निकालना, आदि बातें सुझाई गई हैं । मेरे पास जो कागजपत्र हैं उन में एक भी बात ऐसी नहीं जिससे यह देखें कि यह परियोजना तैयार करने में मद्रास सरकार का कोई हाथ था ।

कोयला खदान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम

*१८८०. **श्री एन० पी० सिन्हा :** क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सन् १९४७ के कोयला खदान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये कुछ पग उठाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हैं, तो गिरिडीह तथा बोकरो की खदानों में कौन कौन से विशेष काम किये गये हैं ;

(ग) इन दो स्थानों में कितना पैसा खर्च हुआ है ;

(घ) इस काम की परामर्शदात्री समिति के, यदि कोई हों, कौन कौन सदस्य हैं ; तथा

(ङ) इस समिति में श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व कौन करता है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १३]**

(ग) १ अप्रेल, १९५१ तक गिरिडीह कोयला क्षेत्र में लगभग ३,८८,००० रुपये तथा बोकारो कोयला क्षेत्र में लगभग १२,२१,००० रुपये ।

(घ) तथा (ङ). में सदन पटल पर परामर्श समिति के सदस्यों की एक सूची रखता हूं जिसमें जिन हितों का वे प्रतिनिधित्व करते हैं वे भी लिखे गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १४]**

श्री एन० पी० सिन्हा : विवरण की तीसरी कडिका में कहा गया है कि :

"बच्चों को प्राथमिक शिक्षा और महिलाओं को व्यावसायिक कामों का प्रशिक्षण देने के लिये तीन महिला कल्याण केन्द्र स्थापित किये हैं जिन में से दो बोकारों के खदान क्षेत्र में तथा एक गिरिडीह खदान क्षेत्र में है ।"

मैं जान सकता हूं कि क्या बच्चों के लिये कुछ स्वतंत्र पाठशालाएं भी हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : अवश्य ।

श्री एन० पी० सिन्हा : विवरण की पांचवां कंडिका से मुझे यह भी पता चलता है कि :

"इन सस्थाओं में बच्चों के लिये उद्यान तथा उपाहार गृह बनाने के प्रबन्ध भी कर दिये गये हैं ।"

क्या मैं जान सकता हूं कि कौन कौन से प्रत्यक्ष पग उठाये गये हैं और अब तक की प्रगति कैसी है ?

श्री वी० वी० गिरि : उनकी रचना के लिये प्रत्यक्ष पग उठाये गये हैं और मैं समझता हूं कि अच्छी प्रगति हो रही है ।

श्री एन० पी० सिन्हा : विवरण की छटवी कंडिका से मुझे पता चलता है कि :

"ऐसा निश्चय किया गया है कि बोकारों क्षेत्र के फुश्रू ग्राम में खदान मजूरों को मुफ्त इलाज करने के लिये एक ३० पलंग वाला चिकित्सालय और प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्र खोला जाये ।"

क्या मैं जान सकता हूं कि गिरिडीह क्षेत्र में भी ऐसा चिकित्सालय बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं ऐसा मानता हूं, श्रीमान् ।

बाबू रामनारायण सिंह : समिति द्वारा सूचित सुधार की प्रमुख मदें कौन कौन सी हैं और इस समिति के कार्यक्षेत्र में किन स्थानों का समावेश है ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं समझता हूं कि विवरण में यह सारी जानकारी दी गई है । यदि माननीय सदस्य सावधानी से विवरण पढ़कर मुझे प्रश्न पूछेंगे तो मैं अधिक ब्योरे वार उत्तर देने के लिये तैयार हूं ।

दामोदर घाटी परियोजना

* १८८१. **श्री बी० के० दास :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) दामोदर घाटी परियोजना पूरी हो जाने पर उष्णताजन्य विद्युत का कुल अनुमानित उत्पादन क्या होगा ;

(ख) वहां की यंत्र सामग्री से अभी कितनी विद्युत पैदा हो रही है; तथा

(ग) बाहरी लोगों को कितनी विद्युत दी जाती है तथा उससे कितनी कमाई होती है ?

बिजली मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) ऐसा अनुमान है कि दामोदर घाटी निगम पहिली अवस्था पूरी हो जाने पर प्रतिवर्ष ५,२६० लक्ष किलोवैट विद्युत पैदा करेगा ।

(ख) वहां की यंत्र सामग्री द्वारा अभी जो विद्युत पैदा हो रही है उसकी मात्रा प्रति मास लगभग २७०,००० किलोवैट है । इसके अलावा प्रतिमास ७,०००,००० किलोवैट विद्युत पुनर्विक्रय के लिये सिंदरी खत कारखाने से खरीदी जाती है ।

(ग) बाहरी लोगों को दी जाने वाली विद्युत की मात्रा अभी प्रतिमास लगभग ६,५००,००० किलोवैट है और उससे प्रति मास ३,४०,००० रुपयों की कमाई होती है ।

श्री बी० के० दास : यह विद्युत लेने वाले बाहरी लोग कौन कौन से हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : अभी तिलैया स्टेशन से कोदर्म नगर, वहां की अभ्रक खदानें तथा हजारीबाग नगर को विद्युत मिलती है । कुमारधुबी स्टेशन से चित्तरंजन ईंजन कारखाने को १ जनवरी १९५२ तक विद्युत मिलती थी जब से उस कारखाने को सिंदरी की विद्युत उपलब्ध करदी गई है ।

श्री बी० के० दास : विद्युत बेचते समय हर इकाई का मूल्य कितना होता है ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री बी० के० दास : क्या माननीय मंत्री यह कह सकते हैं कि जल विद्युत का उत्पादन शुरू होने पर क्या मूल्य में कोई बदल होगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं ऐसा नहीं मानता श्रीमान् । जल-विद्युत आपत्कालीन सहायता के लिये उपलब्ध रहेगी ।

श्री बी० के० दास : बोकारों का सामर्थ्य कितना रहेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : बोकारो लगभग २४०,००० किलोवैट रहेगा ।

श्री के० के० बसु : जब जल-विद्युत का केन्द्र पूरे ज़ोर से काम करने लगेगा तब भी क्या यह ताप-विद्युत का केन्द्र चालू रहेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : जी हां । वही तो मुख्य केन्द्र है ।

श्री गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि पैदा होने वाली विद्युत का कुछ अंश देहातों के विद्युतीकरण के हेतु क्या उनको दिया जाता है ?

श्री सी० डी० देशमुख : जी नहीं । वह तो अधिकतर औद्योगिक कारखानों द्वारा ली जाती है जो दामोदर घाटी में प्रचुर मात्रा में केन्द्रित हैं ।

श्री झुनझुनवाला : बाहरी उपभोक्ताओं को विद्युत किस दर से दी जाती है ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह प्रश्न दूसरे माननीय सदस्य ने पूछा था । कितनी विद्युत-शक्ति खर्च होती है और उससे कितनी कमाई होती है यह आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं जो मैं माननीय सदस्य को बतलाने के लिये तैयार हूं । इनसे वे दर का हिसाब जोड़

सकते हैं। बिना यह गणित जोड़े, मैं इसी समय दर नहीं बता सकता।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि क्या इस ताप विद्युत के कारख़ाने की रचना स्वयं दामोदर घाटी निगम ने की है अथवा किसी स्वतंत्र ठेकेदार ने ? और यदि ठेकेदार ने की है तो वह कौन है ?

श्री सी० डी० देशमुख : कुलज्यान कार्पोरेशन नामक ठेकेदारों की संस्था ने। स्वतंत्र ठेकेदारों के बारे में मुझे जानकारी नहीं। उपरोक्त ठेकेदारों ने करारपत्र द्वारा कुछ शर्तें स्वीकार कर ली हैं।

रुई

***१८८४. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि रुई की बड़ी राशि निर्यात के लिये अलग रख दी गई है; तथा

(ख) कौन कौन से देशों को हम रुई निर्यात करते हैं तथा उन में से किन से हमें बदले में खाद्यान्न मिलते हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी नहीं। १९५१-५२ के मौसम में छोटे रेशे के रुई को ३०२,००० गठरियां (४०० रत्तल की एक गठरी) की निर्यातराशि निश्चित कर दी गई है।

(ख) सब देशों को निर्यात की अनुमति है और रुई का खाद्यान्नों से अदलबदल करने का कोई प्रबन्ध नहीं है।

पंडित मुनीश्वर-दत्त उपाध्याय : क्या मैं जान सकता हूं कि कुछ महीनों के पहले रुई का निर्यात शुल्क घटाने, बाध्य कर देने वाली बातें कौन कौन सी थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : आसाम की शिकायत यह उसका प्रमुख कारण था। उनके खयाल से ४०० रुपये प्रति गठरी के पुराने निर्यात शुल्क के फ़लस्वरूप निर्यात का काम बड़ा कठिन हो रहा था और किसान को क्षति पहुंचती थी। इसलिये १६ मार्च १९५२ से निर्यात शुल्क आधा कर दिया गया।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या मैं जान सकता हूं कि इस घटाव का प्रभाव कैसा रहा और क्या अधिक घटाव करने का विचार हो रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : और भी घटाव करने का विचार नहीं है। घटाव का प्रभाव तो इस बात से भी दिख सकता है कि लगभग पूरी निर्यात राशि उठाई जाने की संभावना है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : यद्यपि माननीय मंत्री ने बताया है कि वस्तुओं के अदलबदल का कोई प्रबन्ध नहीं है, फ़िर भी क्या मैं यह जान सकता हूं कि जिन राष्ट्रों को हम रुई निर्यात करते हैं उनमें से किन से हम धान्य आयात करते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वस्तुतः किस देश को कितनी राशि भेजनी चाहिये यह निश्चित नहीं है। इसको केवल एक ही प्रकट अपवाद यह है कि दक्षिण अफ़्रीका को माल निर्यात करने पर रोक लगाया गया है। हम लगभग बारह देशों को रुई भेजते हैं जो इस प्रकार है : इंगलिस्तान, पश्चिमी जर्मनी, नैदरलैंड, बेल्जियम, फ़्रांस, स्विटज़रलैंड, इटली, चीन, जापान संयुक्त राष्ट्र अमरीका, कैनेडा और आस्ट्रेलिया। इन देशों में से चीन, कैनेडा संयुक्त राष्ट्र अमरीका तथा आस्ट्रेलिया हमें खादान्न देते हैं किन्तु इसमें अदलबदल का कोई प्रबन्ध नहीं है।

श्री गुरुपादस्वामी : किन प्रकारों की रुई निर्यात होती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ११/१६ " तथा कम लम्बाई के छोटे रेशे वाले विविध प्रकार जिनके नाम इस प्रकार हैं : आसम कोमिला, बंगाल देसी, सी० पी० १ और २, सेंट्रल इंडिया तथा झोडा रुई और तीसरी पैकिंग नामक हलकी रुई की गठरियां ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या भारत सरकार मुनाफे की मात्राओं की भी जानकारी रखती है और जहां तक निर्यात शुल्क के घटाव का सम्बन्ध है, उसका निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने कारण तो बताया है । कारण यह था कि मुख्यतः आसाम के लोगों ने वह मांग की थी । इसलिये शुल्क घटाया गया ।

मुनाफे की मात्राओं के सम्बन्ध में सरकार के पास निश्चित जानकारी नहीं है किन्तु कीमतें निश्चित न करने का कारण यह है कि अधिकतर रुई निर्यात योग्य होने के फलस्वरूप सरकार ने कीमतें बांधने का तथा उसकी ज़िम्मेवारी लेने का अर्थ होता है निर्यात को सहायता देना — जो सरकार नहीं करना चाहती ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या मैं जान सकता हूं कि जहाज पर माल लादने के उत्तरदायित्व की कालमर्यादा सितम्बर के आगे क्यों बढ़ाई गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं केवल अनुमान कर सकता हूं । निश्चित की गई राशि न उठाई जाने की सम्भावना यह उसका कारण है, किन्तु पूर्वसूचना के बिना मैं अचूक जानकारी नहीं दे सकता ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या मैं जान सकता हूं कि हम जो छोटे रेशे की रुई निर्यात करते हैं उसको उन देशों में किन हेतुओं तथा उपयोगों के लिये काम में लाया जाता है इसका पता क्या सरकार ने लगाया है ? तथा क्या सरकार ने इसका अनुसन्धान किया है कि यह रुई उन्हीं कामों के लिये अपने ही देश में काम में लाई जा सकती है या नहीं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह स्पष्ट है कि वह अपने देश में काम में नहीं लाई जा सकती । अन्यथा, निर्यात की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी ।

कोयला निकालने पर निर्बन्धन

***१८८५. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या खदानों से किसी विशिष्ट प्रकार का कोयला निकालने पर कोई निर्बन्धन है ;

(ख) खदानों से कोयले की जो कुछ राशि मिलती है उस पर निर्बन्धन का क्या प्रभाव पड़ता है; तथा

(ग) ईंधन अनुसन्धान संस्था की क्या राय है और भारत सरकार ने उस राय को कितनी हद तक मान लिया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) अनुमानः माननीय सदस्य खनिज कोयले के उत्पादन का निर्देश कर रहे हैं । इस कोयले को सुरक्षित रखने की सरकारी नीति के अनुसार इस प्रकार के कोयले के निकालने पर कुछ निर्बन्धन लगाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है किन्तु अभी ऐसे निर्बन्धन लगाये नहीं गये हैं ।

(ख) प्रश्न उठता नहीं ।

(ग) ईंधन अनुसन्धान संस्था की राय सारांश रूप से इस प्रकार है :

> " चुनी हुई श्रेणियों के ठोस कोयले के उत्पादन की निर्बन्धन-प्रक्रिया का पुनर्विचार होना जरूरी है ।

खदानों में बालू दबाकर भरना अनिवार्य कर देना तथा कोयला धो लेना ये दो मार्ग संभवतः उत्तम हैं और अगले कुछ वर्षों के लिये स्वयं प्रयाप्त भी हैं। दीर्घ-कालीन नीति में प्रांगार में परिणत करने की पद्धतियों तथा भट्ठी प्रक्रियाओं में नये तथा सुधारित प्रयोगों का समावेश आवश्यक है।"

उपर्युक्त मत प्रदर्शन करने वाला एक लेख ईंधन अनुसन्धान संस्था की मार्च १९५२ की पुस्तिका में प्रकाशित हुआ था जो विचाराधीन है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या मैं जान सकता हूं कि मई १९५२ के अन्त में कोयले का संचय कितना था ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं ने पहले एक दिन सदन कक्ष में यह आंकड़ा बतलाया था — लगभग ३० लाख और कुछ अधिक टन।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने कोयले के गुणविकास के लिये उसको धोने का कोई प्रबन्ध किया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : टाटा ने एक कारखाना स्थापित किया है और दूसरे एक कारखाने का काम चालू है।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि कुछ दिन पहिले एक रेलवे अधिकारी ने किया हुआ निवेदन ठीक है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पत्थर कोयले के सोत केवल कुछ साठ वर्ष चल जायेंगे ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस प्रश्न का उत्तर सदन में अनेक बार दिया गया है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : युरोपीय देशों में कोयले की रसद में हुई सुधार का हमारे निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं तुरन्त निश्चित उत्तर नहीं दे सकता।

चाय के मूल्य

***१८८६. श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ तथा १९५०-५१ के चाय की फ़सल की औसत प्रति पौंड कीमत कितनी रही; तथा

(ख) क्या कलकत्ता के नीलामों में जाली बोलियां चलती हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) सन् १९५१-५२ और १९५०-५१ में कलकत्ता तथा कोचीन में चाय की प्रति पौंड औसत नीलामी कीमतें इस प्रकार थीं :

कलकत्ता

	निर्यात चाय	आन्तरिक चाय
	रु०आ०पा०	रु०आ०पा०
१९५१-५२	१–१२–६	१–६–७
१९५०-५१	२– १–०	१–९–५

कोचीन

	निर्यात चाय
	रु०आ०पा०
१९५१-५२	१–१०–०
१९५०-५१	१–१४–३

(ख) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : कलकत्ता में जाली बोलियां किस प्रकार चलती हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोई प्रयत्न क्या सरकार करना चाहती है ?

श्री करमरकर : जी हां। मुझे विदित है कि कलकत्ता व्यापारी संघ जिसके मार्फत नीलाम होते हैं उसके संघ नियम प्रणाली के अनुसार जाली बोलियों पर बन्दी लगायी गई है। यदि बोलियां रक्षित अथवा निश्चित कीमतों से कम चल रही हों तो बेचने वाले लोग चाय की पुरस्कृत राशियां वापिस ले सकते हैं।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह तथ्य है कि यदि तीन व्यक्ति बोलियां दे रहे हों तो उनमें से एक व्यक्ति दूसरों की ओर अंगुलि निर्देश करता है और वे खमोश हो जाते हैं और इस प्रकार जालि बोलियां चलती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह राय का विषय है।

श्री आर० के० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस वर्ष तत्स्थानी समय में हमारे देश में चाय की फुटकर बिक्री की औसत कीमत क्या है ?

श्री करमरकर: मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री के० के० बसु : कलकत्ता के इन नीलामों में निर्णयक आवज किसकी होती है ?

श्री करमरकर : इस विषय में मेरे पास कोई उत्तर नहीं है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह तथ्य है कि बाजार क्रमशः तेज हो रहा है ?

श्री करमरकर : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या यह तथ्य है कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न चाय संघों को किये गये सिफारिशों के बावजूद उन से सम्बद्ध युरोपीय चाय-बागानों के अढ़तियों ने भारतीय चाय बिक्रेताओं को सहायता देने से इन्कार किया है और चाय बिक्री के भारतीयकरण के विकास को हानिकर नीति का अनुसरण किया है।

श्री आर० के० चौधरी : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि आसाम जैसे चाय उपजाने वाले प्रदेशों में चाय की औसत कीमत अंगलिस्तान से बहुत अधिक है ?

श्री करमरकर : मुझे कोई जानकारी नहीं है मैं मालूम करना चाहूंगा।

चाय में व्यापारिक हित

*१८८७. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) व्यापारिक हितों की इन मदों के कितने प्रतिशत अंशभागी सामान्य हैं :

(१) ब्रिटिश स्वामित्वाधीन भारतस्थित चाय-बागान तथा भारतस्थित चाय विक्रेता ;

(२) भारतस्थित चाय विक्रेता तथा इंग्लैण्ड-स्थित चाय बिक्रेता;

(३) ब्रिटिश स्वामित्वाधीन भारतस्थित चाय-बागान भारतस्थित अंग्रेज चाय-बिक्रेता तथा इंग्लैण्ड स्थित चाय विक्रेता; तथा

(ख) व्यापारिक हितसम्बन्धों के निम्नलिखित मदों के संचालक-गणों के कितने प्रतिशत सदस्य सामान्य हैं :

(१) ब्रिटिश स्वामित्वाधीन भारतस्थित चाय बागान तथा भारतस्थित चाय-विक्रेता ;

(२) भारतस्थित चाय विक्रेता तथा इंग्लैण्ड-स्थित चाय विक्रेता ;

(३) ब्रिटिश स्वामित्वाधीन भारतस्थित चाय-बागान, भारतस्थित अंग्रेज चाय विक्रेता तथा इंग्लैण्डस्थित चाय बिक्रेता ?

उद्योग तथा वाणिज्य उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) तथा (ख). निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है । अपेक्षित जानकारी संग्रहित करने के लिये इंगलिस्तान से तथा देश विभिन्न विभागों से पृच्छा करनी होगी और उसमें बहुत धन, समय, तथा खर्च होगा ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या सरकार इस सामान्यसूत्रीकरण की युक्तियों के महत्वपूर्ण मामले की जांच शुरू करने के लिये तैयार है जिनका प्रभाव हमारे देश के हितों के विरुद्ध पड़ रहा है ?

श्री करमरकर : सरकार जांच करना उचित नहीं समझती । हमने बड़ी सावधनी से इस विषय का विचार किया और देखा कि प्राप्य फल की अपेक्षा अत्याधिक श्रम इसमें खर्च होगा ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या यह सच है कि कलकत्ते की चाय बिक्री संस्था अधिकतर युरोपीयनों के अधीन हैं ?

श्री करमरकर : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार को ज्ञात है कि कलकत्ते के ब्रिटिश बैंकों ने अनेक चाय बागों की फसलें इस शर्त पर बन्धक रखी हैं कि वे केवल युरोपीय बिक्रेताओं के द्वारा ही बेची जायेंगी ?

श्री करमरकर : मैं अवश्य इसका पता लगाऊंगा ।

श्री सरमा : भारत में युरोपीय स्वामित्वाधीन चाय की प्रतिशतता क्या है ?

श्री करमरकर : मैं इसी समय नहीं बता सकता । परन्तु मैं पता लगाऊंगा ।

चाय के मूल्य

*१८८८. **श्री के० पी० त्रिपाठी** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) लन्दन के बाजारों में (भारतीय) चाय की विद्यमान थोक तथा फुटकर कीमतें ;

(ख) ऐसे ही गत चार वर्षों के महीने वार आंकड़े ;

(ग) भारत में निर्यातयोग्य तथा निर्यातित चाय की तत्स्थानी कीमतें ; तथा

(घ) लन्दन को निर्यात किये गये चाय का प्रतिपौंड वस्तुभाड़ा (१९४७ से प्रति वर्ष का) ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (घ) तक. एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १५]**

श्री के० पी० त्रिपाठी : श्रीमान क्या यह तथ्य है कि लन्दन तथा सामान्यतः सारे युरोप में फुटकर कीमतें स्थिर हैं और भारत में तथा कथित मंदी होते हुए भी वे गिरी नहीं हैं ?

श्री करमरकर : मैं पूर्व विचार के बिना कुछ कह नहीं सकता । किन्तु मुझे पता है कि १५ जून १९५२ से इंगलिसतान सरकार ने चाय को दी जाने वाली सहायता बंद की थी और उसके फलस्वरूप चाय की अधिकतम फुटकर कीमत ३ शिलिंग १० पेन्स से ४ शिलिंग ८ पेन्स तक बढ़ाई जायेगी और नीचे दर्जे के चाय की कीमत ३ शिलिंग ४ पेन्स से ३ शिलिंग ८ पेन्स तक बढ़ाई जायेगी । मेरे पास इससे अधिक कोई जानकारी नहीं है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह तथ्य है कि युरोप में कीमतें स्थिर होने तथा भारत में मंदी के कारण कीमतें गिराई जाने के फलस्वरूप युरोपीय व्यापारियों को मिलने वाला लाभांश बढ़ गया है ?

श्री करमरकर : मैं पता लगाना चाहूंगा ।

श्री आर० के० चौधरी : क्या भारतीय मंत्री मेरे प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में हैं, अर्थात्, क्या भारत में चाय की फुटकर कीमत अंगलिस्तान में चाय की फुटकर कीमत से बहुत अधिक है ?

श्री करमरकर : मुझे अब भी पूर्वसूचना आवश्यक है ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को कुछ शिकायतें मिली हैं जिन में यह कहा गया है कि भारतीय चाय लन्दन में जिन परिस्थितियों में नीलाम किया जाता है वे अनुकूल नहीं है किन्तु विभेदात्मक हैं ।

श्री करमरकर : मेरे पास इस विषय में तैयार जानकारी नहीं है । मैं देखूंगा कि क्या कुछ शिकायतें हमें मिली हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों द्वारा जानकारी मांगने के बजाये प्रायः दी जा रही है ।

श्री ए० सी० गुहा : हम केवल स्पष्ट रूप से परिस्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं ।

श्री सरमा : क्या सरकार कृपया चाय जांच समिति को जाली बोलियों के निर्दिष्ट मामले की छानबीन करने को कहेगी ?

श्री करमरकर : मैंने कहा है कि मैं पता लगाऊंगा ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : कभी कभी ये अभिवेदन वित्त मंत्रालय को भेजे जाते हैं । कुछ दो दिन पहिले मुझे एक अभिवेदन मिला था जिस में यह आरोप लगाया गया है कि इग्लैण्ड में किये गये कुछ बित्री प्रबन्धों द्वारा सहायता का बोझ इग्लैण्ड से हटा कर भारत पर लादने की कोशिश की जा रही है । मैंने यह अभिवेदन जांच के लिये वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के पास भेजा है और अधिकृत समिति को इस विशिष्ट आरोप की छान बीन करने को कहने का मौका मुझे मिलेगा ।

सिंगरेनी कोयला खदानों में दुर्घटना

*१८८३. **श्री विट्ठल राव** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ता० २ जून, १९५२ को कोथागूडियम के सिंगरेनी कोयला खदानों में जो दुर्घटना हुई उसके कारण ;

(ख) कितने व्यक्ति घायल हुए और परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति बाद में मर गये ;

(ग) क्या कोई जांच, सरकारी वा गैर-सरकारी की गई थी ; तथा

(घ) भाग (ग) का उत्तर यदि हां हो, तो उसका उपपत्ति क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री जी० डी० गिरि) : (क) आदमियों से भरे हुए पिंजड़े के गड्ढे के तल से टकराने के फलस्वरूप यह दुर्घटना हुई ।

(ख) चौबीस व्यक्ति घायल हुए । बाद में किसी व्यक्ति की मृत्यू की सूचना मिली नहीं है ।

(ग) एक छोटे खदान-निरीक्षक द्वारा जांच की गई ।

(घ) पहली दृष्टि में ऐसा मालूम पड़ता है कि रस्सी लपेटने के यंत्र के चालक से जानबूझ कर अथवा असावधानी से यह दुर्घटना हुई किन्तु इस मामले का अनुसन्धान हो रहा है ।

श्री विट्टल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि किन परिस्थितियों में पिंजड़े की बोझवहन-मर्यादा का अतिक्रम किया गया ?

श्री वी० वी० गिरि : उन परिस्थितियों की जांच हो रही है। सामान्य नियम ऐसा दिखता है कि केवल दस व्यक्ति पिंजड़े में चढ़ें; किन्तु पचीस व्यक्ति उस में प्रविष्ट हुए।

श्री विट्टल राव : क्या सरकार को ज्ञात है कि गत दो महीनों में यह दूसरी दुर्घटना है ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं माननीय सदस्य से जानकारी स्वीकार करता हूं।

डा० जयसूर्य : क्या मैंने माननीय मंत्री से यह सुना कि एक छोटा खदान-निरीक्षक इस मामले में अनुसन्धान कर रहा है ?

श्री वी० वी० गिरि : जी हां।

डा० जयसूर्य : क्यों ?

श्री वी० वी० गिरि : क्योंकि केवल वही उपलब्ध था।

श्री विट्टल राव : क्या रस्सी लपेटने के यंत्र के चालक में शिल्पिक अर्हता थी अथवा कार्मिक-संघ विरोधी करतूतों के फलस्वरूप उसको इस पद पर बढ़ती दी गई थी ?

श्री वी० वी० गिरि : उसमें शिल्पिक अर्हता थी।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या आहत व्यक्तियों को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार पर्याप्त क्षतिपूर्ति दी गई है ?

श्री वी० वी० गिरि : हां, अवश्य।

पटसन की यंत्रसामग्री

***१८९१. श्री एल० एन० मिश्र :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पटसन की पुरानी यंत्रसामग्री के स्थान पर नयी लगाने से पटसन के उत्पादन की मात्रा तथा गुण पर पड़ने वाला प्रभाव ;

(ख) इस काम को लगनेवाला अनुमानित व्यय; तथा

(ग) उन देशों के नाम जिन से नयी यंत्रसामग्री आयात की जायेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) उत्पादन की मात्रा बढ़ाना अथवा गुणविकास करना यह आधुनिकीकरण का उतना प्रमुख उद्देश्य नहीं है जितना कि अन्य देशों के आधुनिक कारखानों से स्पर्धा करने के लिये उत्पादन व्यय घटाना है।

(ख) अभी किसी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है इसलिये आधुनिकीकरण के व्यय का निश्चित अनुमान देना असम्भव है। वह यथावकाश ७० से ८० करोड़ रुपयों के घर में जायेगा।

(ग) स्टर्लिंग क्षेत्र वाले देशों से आयात की अपेक्षा है।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह तथ्य है कि प्रमुख निर्यात नियंत्रक ने जो अभी युरोप घूम कर आये हैं, यह सिपारिश की है कि यदि विश्व बाजारों में हमारी एकाधिपत्य समान अवस्था हमें कायम रखनी है, तो भारतीय पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण करना चाहिये।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ता० ११ जुलाई १९५२ के प्रश्न संख्या १७०५ का उत्तर देते समय मैं ने श्री झा के प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी थी। माननीय सदस्य वह पढ़ेंगे तो इस विषय में उन के मतों का समर्थन उन्हें उसमें मिलेगा।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सरकार भारतीय पटसन उद्योग का विकेंद्रीकरण करना

चाहती है और यदि हां, तो क्या बिहार में एक ऐसा कारखाना कायम करने का उनका विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यदि माननीय सदस्य नयी इकाईयों के विकेन्द्रीकरण की बात कर रहे हैं, तो वही हमारी नीति है ।

जहां तक हो सके, उन्हें भिन्न भिन्न स्थानों में कायम करने की हमारी इच्छा है । जो इकाईयां अभी विद्यमान हैं उनके बारे में प्रश्न नहीं उठेगा ।

श्री केलप्पन : यंत्रसामग्री मगवाने के समय क्या हम विभिन्न देशों से भाव पूछते है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जब निजी उद्योग 'उद्योग नियंत्रण तथा विनियमन' के नये अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्तियों के लिये प्रार्थना करते हैं तथा सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने का अवसर मिलता है । वस्तुत: जहां तक निजी उद्योगों का सम्बन्ध है, यह अधिकतर उनकी इच्छा का सवाल है । परन्तु सरकार यह अवश्य देखेगी कि ये मांगें डालर अथवा दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों की ओर भेज कर हमारी विदेशीय विनियम की दशा बिगाड़ी नहीं जाती ।

श्री आर० के० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार अभी जूट की खेती का विस्तार करने की नीति पर चल रही है यद्यपि उससे अनाज की फसल का क्षेत्र घटता हो ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरी राय में यह प्रश्न वास्तव में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एल० एन० मिश्र: कड़ी मांग तथा मर्यादित रसद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार ऐसी यंत्र सामग्री शीघ्र मंगवाने का विचार कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पहिले एक बार प्रश्न का उत्तर देते समय मैं ने कहा है कि यह विषय विचाराधीन है । सरकार ने इस विषय में कोई अतिम निर्णय नहीं किया है, न तो निजी उद्योग भी इस समय विशेष उत्सुक दिखते हैं ।

टैलीफोन के भूमि गत तार

*१८९२. **श्री एन० पी० सिन्हा :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उस निरीक्षक ने जिसे भारत सरकार ने भारत में जापान में खरीदे हुए टैलीफोन के तारों का निरीक्षण करने के लिये नियुक्त किया था, कोई प्रतिवेदन पेश किया है;

(ख) यदि किया है, तो क्या उस की प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जा सकती है ; तथा

(ग) कितने मील लम्बान के ऐसे तार खरीदे गये थे तथा उन की कीमत क्या थी ?

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) और (ख) . जी हां । निरीक्षक ने निर्माणें की अवस्था में जिन तारों का निरीक्षण किया उन सब के बारे में कसौटी पत्र प्रस्तुत किये हैं । किन्तु वे तांत्रिक तथा दीर्घ है जिन की पृष्ठ संख्या ८८ है । इस लिये उन्हें सदन पटल पर रखना अनावश्यक दिखता है ।

(ग) ६८७ मील लम्बान के तार कुल ८१९०४१३ रुपयों में खरीदे गये ।

श्री एन० पी० सिन्हा : क्या यह तथ्य है कि निरीक्षक ने इन तारों का तब निरीक्षण किया जब वे भारत को भेजे जा चुके थे ?

श्री बुरागोहिन : ऐसा नहीं हुआ । यद्यपि यह तय हुआ था कि निरीक्षक निर्माण अवस्था में तारों का निरीक्षण करेंगे, फिर भी वे वहां

पहुंचने पर उन्हें पता चला कि अधिकतर तारों का निर्माण हो गया था ।

श्री एन० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या करार में कोई ऐसी शर्त थी कि जो तार खराब निकलेंगे उन को वे व्यापारी बदल देंगे ?

श्री बुरागोहिन : जी हां । करार में एक खण्ड था जिस में यह आश्वासन दिया गया था कि तार कम से कम दो वर्ष की अवधि तक अच्छी तरह काम देंगे ।

श्री एन० पी० सिन्हा : क्या यह सच है कि तार टिकाऊ साबित नहीं हुए और बाद में लौटाये गये ?

श्री बुरागोहिन : जी हां, यह तथ्य है । बड़े आकार के तथा कलकत्ता क्षेत्र में उपयोग में लाये गये तारों के बारे में यह विशेष रूप से सच है । जब इन दोषों का पता चला तो निर्माताओं का ध्यान उन की तरफ आकर्षित किया गया और अन्त में वे अपने खर्चे से यह दोष हटाने को तैयार हुये ।

श्री एन० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को इस सौदे में कितना नुकसान, यदि कोई हो, उठाना पड़ा है ?

श्री बुरागोहिन : इस में सरकार को कोई नुकसान उठाना नहीं पड़ा ?

श्री पटेरिया : क्या मैं उन व्यापारी संस्थाओं के नाम जान सकता हू जिन से ये तार लिये गये थे ?

श्री बुरागोहिन : भारतीय एजेन्ट का नाम है मेसर्स कामानी इजनीयरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, बम्बई और उत्पादक फर्म का नाम है मेसर्स फुरुकावा इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड, योकोहमा, जापान ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मंत्री जी का ध्यान उस निवेदन की ओर आकर्षित किया गया है जो या तो यहां के जापानी दूतावास ने अथवा तार बेचने वाली फर्म ने निकाला था और जिस में यह कहा था कि शर्तों के अनुसार माल का प्रदाय किया गया है तथा माल के गुण के बारे में उन पर अब कोई जिम्मेवारी नहीं है ?

श्री बुरागोहिन : मैं ने पहले ही कहा है कि वे अपने खर्चे से दोष हटाने को तैयार हुए और वस्तुतः उन्हों" ने १,९३,७३७ गज तार बदला दिये जिस से पोस्ट तथा तार विभाग का समाधान हुआ ।

श्री ए० सी० गुहा : कदाचित् मेरे प्रश्न का आशय समझा नहीं गया है ।

अध्यक्ष महोदय : अब वह व्यर्थ है । वे कहते हैं कि विक्रेताओं ने जिम्मेवारी मान ली है ।

श्री ए० सी० गुहा : एक प्रकट निवेदन किया गया था ....

अध्यक्ष महोदय : परन्तु अब उन्होंने हमारी बात मान ली है । इस विषय का पीछा करने से कोई लाभ नहीं ।

श्री पी० एन० राजभोज : क्या सरकार अंडर ग्राउण्ड टेलीफोन के बिल के लिये भी प्रीवेन्टिव डिटेंशन बिल पार्लियामेंट में लाने का विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

टिन तथा लोहे की कतरनें

***१८९३. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या टिन तथा लोहे की कतरने भारत से निर्यात की जाती हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो किन देशों को वे निर्यात की जाती हैं; तथा

(ग) सन् १९५१-५२ में टिन तथा लोहे की कतरनों की कितनी मात्रा निर्यात हुई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) टिन के निर्यात की अनुमति नहीं है किन्तु अनुपयुक्त लोहे के टुकड़ों के निर्यात की अनुमति है ।

(ख) तथा (ग) एक विवरण, जिस में सन् १९५१-५२ में किन देशों को तथा कितनी लोहे की कतरनों निर्यात हुई यह जानकारी दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १६]

डा० राम सुभग सिंह : विवरण से यह दिखता है कि स्वीडन ने भारत को ४ टनों के ३००० रुपये दिये किन्तु पाकिस्तान ने १८ टनों के केवल १३३२ रुपये दिये । क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसा क्यों हुआ ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह सारा कतरनों के गुणावगणों पर निर्भर रहता है ।

गणितीय उपकरण

*१८९४. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) देश में गणितीय उपकरणों की मांग तथा उत्पादन कितना है;

(ख) वार्षिक आयात;

(ग) भारतीय उत्पादन की राशि और उस का मूल्य; तथा

(घ) क्या इस उद्योग को संरक्षण दिया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योगमंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिय परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १७]

(घ) जी नहीं ।

गणितीय उपकरण कार्यालय, कलकत्ता

* १८९५. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या **उत्पादन मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गणितीय उपकरण कार्यालय, कलकत्ता की विद्यमान अवस्था—जिस में उस के प्रबन्धात्मक तथा वाणिज्यिक पहलुओं का भी निर्देश हो;

(ख) सन् १९४९, १९५० तथा १९५१ का वार्षिक व्यय तथा बिक्री से प्राप्ति;

(ग) क्या पिछले कुछ वर्षों में इस की कार्यवाही की जांच की गई थी; तथा

(घ) यदि की गई थी, तो जांच के परिणामस्वरूप जो सिफारिशें की गई वे कहां तक अमल में लायी गई ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) गणितीय उपकरण कार्यालय (जिस को अब राष्ट्रीय उपकरण फैक्टरी, कलकत्ता, कहते हैं) यह एक केन्द्रीय सरकार का औद्योगिक उपक्रम है जो विभाग द्वारा चालित है । वह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के विभाग, अर्ध-सरकारी निकाय, शैक्षणिक संस्थायें आदि को वैज्ञानिक तथा गणितीय उपकरणों का प्रदाय करता है तथा उन के उपकरणों की मरम्मत का काम भी करता है । निजी संस्थाओं तथा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ब्रह्मा आदि जैसे कुछ निकटवर्ती विदेशों को भी प्रदाय किया जाता है ।

(ख) :—

वर्ष	व्यय	बिक्री से प्राप्ति
	रुपये	रुपये
१९४९-५०	२२.३४ लाख	१६.७४ लाख
१९५०-५१	२१.१८ लाख	१४.६९ लाख
१९५१-५२	२३.२१ लाख	१७.५७ लाख

(ग) जी हां, दिसम्बर १९४७ में प्रो० जी० आर० परांजपे की अध्यक्षता में फैक्टरी की कार्यवाही का पुनरीक्षण करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी।

(घ) समिति ने फैक्टरी की सम्पूर्ण पुनर्रचना करने की सिफारिश की जिस से आवश्यक कच्चे माल सहित अनेक अन्य उपकरण निर्माण करने का उस का सामर्थ्य बढ़ जायेगा। स्थायी वित्त समिति ने अक्तूबर, १९५१ में फैक्टरी की पुनर्रचना के लिये एक मामूली योजना मंजूर की है जिस के अनुसार १९५१-५२ के अगले तीन वर्षों के अवकाश में ८० लाख रुपयों का व्यय होगा। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये कलकत्ते के समीप जादवपुर में ८.३ एकड़ जमीन का एक टुकड़ा भी अर्जित कर लिया गया है। फैक्टरी के लिये एक नई इमारत का निर्माण शीघ्र शुरू होने की अपेक्षा है। नयी यंत्र सामग्री के लिये आर्डर दी गई है। कुछ विदेशी सस्थाओं से शिल्पिक सहायता के लिये बात चीत चल रही है जिस से फैक्टरी में पारदर्शक कांच पैदा हो सकेगा जो कि एक परमावश्यक एवं युद्धोपयोगी कच्चा माल है।

पूर्वी बंगाल के निष्क्रमण

*१८९६. **श्री ए०सी० गुहा**: क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पिछले कुछ दिनों में पूर्वी बंगाल से भारतीय भूमि में निष्क्रमण करने वाले हिन्दुओं की संख्या में वृद्धि हुई है; तथा

(ख) यदि हुई है, तो

(१) उस का कारण;

(२) औसत परिमाण; तथा

(३) क्या पाकिस्तान सरकार के साथ यह प्रश्न उठाया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) हाल ही में पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल को जाने वाले हिन्दओं तथा मुस्लिम प्रव्रजकों में कुछ वृद्धि हो गई है। उलटी दिशा में भी, अर्थात् पश्चिमी बंगाल से पूर्वी बंगाल को जाने वाले हिन्दू तथा मुस्लिम प्रव्रजकों की संख्या भी बढ़ गई है। ये आंकड़े सब प्रव्रजकों के हैं जिन में निष्क्रमणकारियों से अन्य लोग भी शामिल हैं।

(ख) (१) ऐसा मालूम पड़ता है कि हाल ही में पूर्वी बंगाल से आने वाले निष्क्रमण कारियों में से बहुसंख्य लोग उन दो या तीन ज़िलों से आ रहे हैं जहां आर्थिक परिस्थिति बिगड़ रही है।

(ख) (२) जून महीने में पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल आने वाले हिन्दू पथिकों की दैनिक औसत संख्या ४७७३ थी। उसी अवधि में पश्चिमी बंगाल से पूर्वी बंगाल जाने वाले हिन्दू पथिकों की दैनिक औसत संख्या ४९९५ थी। जुलाई के पहले पखवाड़े में पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल आने वाले हिन्दुओं की औसत संख्या ५७८३ थी। जुलाई के पहिले पखवाड़ में पश्चिमी बंगाल से पूर्वी बंगाल जाने वालों की यह औसत संख्या ६१२२ थी।

(ख) (३) इस विषय के बारे में पाकिस्तान सरकार से कोई पृच्छा नहीं की गई।

श्री ए० सी० गुहा: क्या मैं जान सकता हूं कि भारत के उच्च आयुक्त ने अपनी हाल ही की पूर्वी बंगाल यात्रा के बाद वहां के अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में कोई प्रतिवेदन पेश किया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: उन्हों ने हम से प्रदीर्घ बात चीत की। उन्हों ने कोई लिखित सरकारी प्रतिवेदन नहीं भेजा।

श्री ए० सी० गुहा: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार पाकिस्तान सरकार के साथ वे प्रश्न उठाना चाहती है जो उच्च आयुक्त ने उस के सामने प्रस्तुत किये हों ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हां, क्योंकि हम सदा ही विशेष प्रश्न उठाते रहते हैं।

डा० एस० पी० मुखर्जी : क्या मैं प्रधान मंत्री से पूछूं कि इन आंकड़ों की गणना के समय कौन हिन्दू हैं तथा कौन मुल्लिम हैं यह कैसे जाना जा सकता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य ठीक ही कहते हैं यह भेद करना सर्वदा सहज नहीं होता क्योंकि बंगाली मुस्लिमों और हिन्दुओं में विलक्षण सादृश्य है। मैं इतना ही कह सकता हूं। कि यह उन्हीं का दिया हुआ वर्णन है जिन्होंने पथिकों को देखा है। उन की गलतियां हो सकती हैं।

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिश्वास) : उभय पक्षों के साथ साथ काम करने वाले अधिकारियों द्वारा स्वयं पथिकों से ही निवेदन लिये जाते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सिन्दरी कृषि सार

*१८८२. **सेठ गोविन्द दास** : क्या उप्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मार्च और अप्रैल, १९५२ में सिन्दरी कारखाने में कितना माल तैयार हुआ ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : मार्च तथा अप्रैल, १९५२ में अमोनियम सल्फेट का उत्पादन क्रमशः ११४०७ तथा १०८१९ टन था।

निराश्रित विस्थापित व्यक्तियों के शिविर

*१८९०. **श्री बाल्मीकी** : क्या पुर्नवास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) आज कल चलने वाले निराश्रित विस्थापित व्यक्तियों के शिविरों की संख्या;

(ख) उन स्थानों के नाम जहां ये शिविर स्थित हैं; और

(ग) १९५१-५२ वर्ष में सरकार को ऐसे शिविरों पर क्या राशि व्यय करनी पड़ी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) (क) ७०

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १८]

(ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

सीसे की पेंसिलें

*१८९७. **श्री बल्मीकी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) प्रति वर्ष भारत में खपने वाली सीसे की पेंसिलों की संख्या; तथा

(ख) कुटीर उद्योग के रूप में पेंसिलों के उत्पादन का प्रचार करने के लिये सरकार द्वारा की गई व्यवस्था ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क):—

१९४९-५०——९०८२९ कुल।
१९५०-५१——१६६२१० कुल।
१९५१-५२——३३४३५९ कुल।

(ख) जी नहीं।

मोटा तथा मझोला कपड़ा (निर्यात)

*१८९८. **श्री बाल्मीकी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मोटे तथा मझोले कपड़े के निर्यात के लिये दी गई अनुज्ञप्तियों की संख्या; तथा

(ख) निर्यातकों को दी गई सहूलियतें ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) मैं उत्तर देने में असमर्थ हूं क्यों कि किस अवधि की जानकारी अपेक्षित है यह स्पष्ट नहीं किया गया है ।

(ख) किसी निर्बन्धन के बिना आज कल अनुज्ञप्तियां दी जाती हैं । अनुज्ञप्ति लेने की प्रक्रिया भी सरलतम कर दी गई है । निर्यातकों को निर्यात नियंत्रण प्राधिकारियों के पास केवल दो बार प्रार्थना पत्र भेजने पड़ते हैं, प्रथमतः अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिये जो प्रार्थनापत्र मिलने के बाद ४८ घटों के अंदर उपलब्ध हो जाती है और उस के बाद जहाज पर माल लादने की रसीद लिखवाने के लिये जो उसी दिन मिल जाती है ।

विवादित चलचित्र

*१८९९. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१-५२ में केन्द्रीय चलचित्र बिवाचन पर्षद् (फिल्म सेंसर बोर्ड) द्वारा कितने चलचित्रों का विवाचन हुआ है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) सन् १९५१-५२ वर्ष में केन्द्रीय चल चित्र बिवाचन पर्षद् ने ३८१२ चलचित्रों का निरीक्षण किया ।

आदिम जाति के लोगों को ऋणदान

*१९००. **श्री गोहैन** : क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार के सामने उत्तर पूर्वीय सीमा एजेंसी के 'ख' विभागीय आदिम जाति क्षेत्र में औद्योगिक तथा वाणिज्यक उपक्रमों के लिये वहां के आदिम जातीय लोगों को ऋण देने की कोई योजना है ?

(ख) यदि (क) का उत्तर हां हो, तो १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में कितनी राशियां दी गई; तथा

(ग) यदि (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो, क्या सरकार आदिम जाति के लोगों के आर्थिक विकास के लिये ऋणें देने की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है जो यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

नदी घाटी योजनाओं में श्रम विधियां

*१९०१. **श्री विद्यालंकार** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इन योजनाओं में काम करने वाले फैक्टरी अधिनियम, मजूरी भुगतान अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, औद्योगि नौकरी अधिनियम, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम तथा न्यूनतम मजूरी अधिनियम के उपबन्धों द्वारा संरक्षित है :

(१) हिराकुड योजना,
(२) दामोदर घाटी योजना,
(३) नांगल-भाखड़ा योजना ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की तरफ आकर्षित किया गया है कि इन सब स्थानों में अथवा कम से कम कुछ स्थानों में उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमों के उपबन्ध जारी नहीं हैं जिस के फलस्वरूप कर्मचारियों की बड़ी संख्या असंरक्षित रहती है

(ग) क्या सरकार को ऐसे अभिवेदन मिले हैं जिन में यह प्रार्थना की गई है कि उपर्युक्त तथा अन्य श्रम विधियों के उपबन्ध इन श्रम क्षेत्रों में लागू हों; तथा

(घ) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : सम्बन्धित राज्य सरकारों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

नदी घाटी योजना स्थानों पर दुर्घटनायें

*१९०२. **श्री विद्यालंकार :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इन स्थानों पर सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में हुई दुर्घटनाओं की संख्या :

(१) हिराकुड,

(२) दामोदर घाटी योजना, तथा

(३) नांगल भाखड़ा योजना ;

(ख) कितने दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति (१) मर गये, (२) आमरण आयोग्य हुए तथा (३) कुछ समय के लिये अयोग्य हुए ;

(ग) कितने मामलों में क्षतिपूर्ति दी गई है तथा क्षतिपूर्ति की राशि ;

(घ) क्या यह तथ्य है कि कुछ मामलों में दुर्घटना होने के बाद एक या अधिक वर्ष तक कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गई और कुछ मामलों में कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं दी गई ;

(ङ) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि अनेक मामलों में कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं दी गई ; तथा

(च) यदि हां, तो सरकार इस बारे में कर्मचारियों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिये कौन कौन से पग उठाने का विचार कर रही है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (च). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायेगी।

गंगा बांध परियोजना

*१९०३. **श्री बर्मन :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने गंगा बांध परियोजना के बारे में अपने अनुसंधानों के फल प्रस्तुत कर दिये हैं ;

(ख) प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ; तथा

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशें, यदि कोई हों ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

कचार में पुनर्वास

*१९०४. **श्री एस० सी० देब :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कचार जिले में पुनर्वास के कार्यकरण की रूपरेखा ;

(ख) क्या कचार जिले में आरम्भ किये गये पुनर्वास कार्य के बारे में लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है,

(ग) लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में प्रगट होने वाली वस्तुस्थिति; अर्थात् क्या कोई आंकड़ों का अपलेखन, धन का अपहरण, धन के अपव्यय अथवा गोलमाल का मामला प्रगट हुआ ;

(घ) पुनर्वास का स्वरूप और साथ ही भारत सरकार के अधीन दूसरे क्षेत्रों की तुलना में इसके यश का प्रतिशत ;

(ङ) निराश्रित परिवारों की दशा और सहायता की निश्चित योजना ;

(च) क्या ऋण वितरण की शर्त तथा योजना से ग्राहकों को संतोष हुआ अथवा कुव्यवहार तथा भ्रष्टाचार की कुछ शिकायतें हैं ; तथा

(छ) क्या विस्थापित व्यक्तियों ने खेती के कामों के लिये आत्मप्रेरणा से ट्रैक्टर संगठन स्वीकार किया है अथवा सरकारी प्रेरणा से कुछ व्यक्तियों ने निजी तौर पर ले लिया है तथा उक्त संगठन का ढांचा कैसा है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) कचार के कार्यकरण की व्यवस्था में इन अधिकारियों का समावेश है :

(१) एक नियंत्रक,

(२) एक उप-नियंत्रक,

(३) एक लेखापरीक्षक सहित वितीय परामर्शदाता,

(४) तीन उप-विभागीय सहायता तथा पुनर्वास अधिकारी,

(५) छः निरीक्षक ।

(ख) और (ग). करीमगंज के उप-विभागीय सहायता तथा पुनर्वास अधिकारी के लेखापरीक्षण प्रतिवेदन से २३५०० रुपयों का एक अनधिकृत भुगतान प्रगट होता है ।

(घ) पुनर्वास की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १९**] अभी तक कोई आर्थिक परिमाप न की जाने से पुनर्वास कार्य में कितना यश मिला है यह कहना कठिन है । इसी के कारण भारत के दूसरे क्षेत्रों से कचार में प्राप्त यश की तुलना नहीं की जा सकती ।

(ङ) निराश्रित परिवारों को या तो पुनर्वास मदद दी गई है अथवा उन्हें अनाथालयों एवं चिकित्सालयों में प्रविष्ट कर दिया गया है ।

(च) ऋणों की राशियों की अपर्याप्तता तथा उनकी प्राप्ति में विलम्ब की शिकायतें मिली हैं, परन्तु भ्रष्टाचार अथवा कुव्यवहार की कोई शिकायत नहीं ।

(छ) अपेक्षित जानकारी, जो तुरन्त उपलब्ध नहीं है, एकत्रित की जा रही है और मिलते ही बतायी जायेगी ।

सिगरेट फ़ैक्टरियां

*१९०५. **श्री घूसिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) आज भारत में कितनी सिगरेट फैक्टरियां काम कर रही हैं तथा वे कहां स्थित हैं ;

(ख) देश में पैदा होने वाली कितनी तमाखू इन फैक्टरियों में उपयोग में लायी जाती है ;

(ग) भारत में सिगरेट का कितना कागज बनता है और सन् १९४९, १९५० तथा १९५१ में उसका कितना आयात हुआ; तथा

(घ) उपर्युक्त वर्षों में कितनी मूल्य के सिगरेटों का आयात हुआ ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २०**]

(ख) लगभग ४५० लाख पौंड ।

(ग) भारत में सिगरेट के कागज का उत्पादन नवम्बर १९५० में शुरू हुआ और १९५० तथा १९५१ में क्रमशः ३६ तथा ५९४ टन कागज पैदा हुआ । सिगरेट के कागज के आयात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २०**]

पुनर्निर्यात

*१९०६. **श्री घूसिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) ऐसी प्रमुख आयातित वस्तुएं जिनका सन् १९५१ तथा १९५२ के जनवरी,

फरवरी तथा मार्च महीनों में पुनर्निर्यात हुआ ; तथा

(ख) इन वस्तुओं के पुनर्निर्यात में क्या लाभ अथवा हानि उठानी पड़ी तथा किन देशों को यह पुनर्निर्यात हुआ ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जिन वस्तुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध है उनके विषय में एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २१]**

(ख) निर्यात वाणिज्यिक आधार पर होते हैं न कि सरकारी तौर पर। इस लिये सरकार के पास यह जानकारी नहीं कि इन वस्तुओं के बारे में व्यापारियों को कितना लाभ हुआ अथवा कितनी हानि उठानी पड़ी। आयातित वस्तुओं के पुनर्निर्यात का देशवार ब्यौरा अलग अलग नहीं रखा जाता।

कपड़े का आयात

***१९०७. श्री जलानी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में विदेशों से भारत में आयातित कपड़े की राशि तथा मूल्य ; तथा

(ख) किन देशों से यह आयात हुआ तथा किन प्रकारों का ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) तीन विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २२]**

सन् १९४९-५० का कुल आंकड़ा ७२३ लाख गज है। हमें खेद है कि २६ जून, १९५२ को प्रश्न संख्या १२१६ का उत्तर देते समय जापान से आयात का आंकड़ा जोड़ने में भूल होने के फलस्वरूप यह आंकड़ा ४८६ लाख गज बताया गया था।

लोहे तथा इस्पात के कारखाने

***१९०८. श्री गणपति राम** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४९ से १९५२ के भीतर भाग 'क', 'ख' तथा 'ग' में के राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में कितने लोहे तथा इस्पात के कारखाने स्थापित हुए ;

(ख) अशुद्ध लोहा, ढाला हुआ लोहा, ढाला हुआ इस्पात, छड़ियां, पट्टियां, सीमेंट तथा फेरो-सिलिकान इन विभिन्न प्रकारों का कुल उत्पादन कितना हुआ तथा उत्पादन राशि का राज्य-वार ब्यौरा ; तथा

(ग) सन् १९४९–५२ में अशुद्ध लोहे के लिये बिजली की भट्टियां तथा सम्बद्ध कारखाने कितने स्थापित हुए तथा उनके नाम एवं स्थान ?

वाणिज्य तथा उद्योगमंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखना जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २३]**

(ग) निर्दिष्ट अवधि में मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, भद्रावलि, ने एक बिजली से चलने वाली इस्पात भट्टी की स्थापना पूर्ण की है।

दियासलाई फ़ैक्टरियां

***१९०९. श्री गणपति राम** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में कितनी दियासलाई की फैक्टरियां काम कर रही हैं ;

(ख) हर एक का नाम तथा स्थान, राज्यानुसार ;

(ग) प्रति वर्षीय कुल उत्पादन तथा विशेष करके १९५०–५१ का ;

(घ) भारतीय दियासलाई फैक्टरियों में कितनी विदेशी पूजी अब भी लगी है तथा किन शर्तों पर ; तथा

(ङ) किन विदेशों ने पूंजी लगाई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) (क) लगभग १८५ ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २४]

(ग) औसत वार्षिक उत्पादन ५४०,००० पेटियों का है जिनमें ६० सलाईयां वाली कुल ५० डिब्बियां रहती हैं १९५०–५१ में ५८०-६६० पेटियां उत्पादित हुईं । जिनमें ६० सलाइयों वाली कुल ५० डिबियां थीं ।

(घ) लगभग १२५ लाख रुपये । पूंजी लगाने की शर्तों की जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) स्वीडन ।

इस्पात की आवश्यकतायें

*१९१०. **श्री बंसल:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे ;

(क) देश की इस्पात विषयक कुल आवश्यकताएं, प्रकारानुसार ; तथा

(ख) कुल आवश्यकताओं में से कितना अंश विदेशों से आयात करना पड़ता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ९ अनुबन्ध संख्या २५]

जापान को निर्यात

*१९११. **श्री बी० एन० राय:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

(क) क्या सन् १९५१–५२ में जापान को कोई माल निर्यात हुआ था ?

(ख) यदि हुआ था, तो उसका मूल्य, तथा

(ग) क्या भारत के उत्पादित वस्तुओं के लिये जापान में कोई मांग है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :(क) तथा(ख) जी हां सन् १९५१–५२ में जापान को अनेक वस्तुओं का निर्यात हुआ । इस वर्ष में भारत से जापान को निर्यातित माल की राशि तथा मूल्य बतलाने वाला विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २६]

(ग) जी हां ।

प्रकाशन विभाग

*१९१२. **श्री सी० एन० पी० सिन्हा :** क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४९, १९५०, १९५१, तथा १९५२ में मंत्रालय के प्रकाशनों विभाग में (१) कर्मचारी तथा (२) प्रकाशन के लिये किया गया व्यय ; तथा

(ख) उसमें से हिन्दी प्रकाशनों के लिये कितना खर्च होता है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तथा (ख). ८ फ़रवरी, १९५२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४० का उत्तर देते समय कहा गया था कि वित्तीय वर्ष के अनुसार लेखा रखा जाता है न कि पत्री वर्ष के अनुसार। सन् १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१–५२ इन वित्तीय वर्षों की अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २७]

सिन्दरी में परिवारों के भवन

*१९१३. **श्री भगवत झा:** क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सिन्दरी में परिवारों के लिये 'के' तथा 'आई' प्रकार के कितने भवन बने हैं ;

(ख) उनमें से कितने भवनों की छतों में दरारें पड़ गयी हैं ;

(ग) क्या ये दरारें तारकोल से भर दी गई हैं अथवा और किसी द्रव्य से ; तथा

(घ) क्या इन दरारों के कारणों के बारे में कोई जांच हुई है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) अनुमानतः 'आई' का निदश करते समय मेरे माननीय मित्र के मन में 'एल' प्रकार अभिप्रेत है क्योंकि सिन्दरी में 'आई' प्रकार का कोई भवन नहीं है।

अभी तक सिन्दरी में 'के' प्रकार के १४४ तथा 'एल' प्रकार के ४९२ भवन बने हैं।

(ख) तथा (ग). ऐसी कोई दरार नहीं है जो सदोष रचना के कारण पड़ी है ऐसा कहा जा सकता तथापि कुछ ऊपरी बाल बराबर की दरारें प्रगट हुईं जो कांक्रीट जम जाने से पड़ती हैं तथा जो तुरन्त ही 'बिटुमैस्टिक' से भर दी गई हैं।

(घ) दरारों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए किसी औपचारिक जांच की आवश्यकता नहीं मानी गई।

सरकारी खाते पर निर्यात

***१९१४. श्री बंसल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :**

(क) सरकारी खाते पर जिनका निर्यात होता है ऐसी वस्तुएं ; तथा

(ख) सन् १९४८–४९, १९४९–५०, १९५०–५१ तथा १९५१–५२ में सरकारी खाते पर किये गये निर्यात का वस्तु अनुसार मूल्य ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). की सांख्या में सरकारी खाते पर किये गए निर्यात का अलग निर्देश नहीं होता। कोयले का निर्यात राज्य चालित वाणिज्य के आधार पर होता है जिसके अलावा पटसन की वस्तुएं, तमाकू, चाय तथा लाख का निर्यात विगत काल में सरकारी खाते पर हुआ।

सिन्दरी कृषिसार के विक्रय मूल्य

***१९१५. श्री बंसल : क्या उत्पादन मंत्री** कृपया ४ जून, १९५२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४४ तथा २० जून, १०५२ के तारांकित प्रश्न संख्या १०५३ को दिये गये उत्तरों की ओर ध्यान देंगे जिन में सिन्दरी में उत्पादित कृषिसारों का उत्पादन व्यय तथा मूल्य के बारे में जानकारी पूछी गई थी, और यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषिसारों के उत्पादन में प्रति टन ५०० रुपये व्यय होते हैं किन्तु वे कृषि मंत्रालय को प्रति टन ३५० रुपयों के भाव से बेचे जाते हैं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या यह कहा जा सकता है कि सिन्दरी कृषिसार फैक्टरी अभी नुकसान में चल रही है ; तथा

(ख) यदि सल्फेट आफ अमोनिया का संकोष मूल्य ३८० रुपये है तो क्या सरकार ने विद्यमान नुकसान की भरपाई के हेतु कृषिसारों की बिक्री की कीमत बढ़ाने की उपयुक्तता पर विचार किया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) सिन्दरी में बनने वाले अमोनिया सल्फेट की ३५० रुपये कीमत जो खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से ली जाती है वह केवल सन् १९५२ के उत्पादन को लागू है और इसलिये तय की है कि आयातित कृषिसारों की अपेक्षा किसानों को वह सस्ती पड़े। ठीक कहें तो यह मानना पड़ेगा कि सिन्दरी फैक्टरी अभी नुकसान में चल रही है। परन्तु किसी फैक्टरी के प्रारम्भिक अवस्था में उत्पादन व्यय सदा ही अधिक होता है तथा माल की बिक्री की कीमत उत्पादन व्यय के बराबर अथवा उससे अधिक नहीं रखी जा सकती

क्योंकि वैसा करने से माल पड़ा रहने का डर होता है ।

(ख) नहीं । भाग (क) को दिये गये उत्तर से कारण स्पष्ट हो जाता है ।

श्रम अधिकारणों की चर्चा

*१९१६. **श्री बी० एस० मूर्ति:** क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार मालिकों को श्रम अधिकरणों के निर्णय अमल में लाये बिना श्रेष्ठ न्यायालयों में अपील करने से रोकने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्रम मंत्री (श्री बी० वी० गिरि): औद्योगिक विवाद (अपीलीय अधिकरण) अधिनियम की ७वीं धारा के अनुसार औद्योगिक अधिकरण के किसी पंचाट अथवा निर्णय के बारे में श्रम अपीलीय अधिकरण को अपील की जा सकती है । परम पूर्ववर्तिता लेखों के लिये उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय को भी अपील की जा सकती है । श्रम सम्बन्ध विधेयक, १९५० के पुनर्विलोकन के समय इस प्रश्न का विचार हो रहा है कि क्या मालिकों को ऐसी अपीलें करने से रोका जाये । इस विषय में एक परिप्रश्नावलि प्रसृत की गई है तथा सब सरोकार रखने वालों को पूछा गया है कि (१) क्या वे अपीलीय अधिकरण को कायम रखने के समर्थक हैं अथवा उसके उत्पादन के और यदि कायम रखना चाहते हैं, तो उसका क्षेत्राधिकार क्या होना चाहिये, तथा (२) क्या उच्चतम न्यायालयों तथा/अथवा उच्च न्यायालयों के अपील तथा लेख–प्रार्थना विषयक क्षेत्राधिकार से श्रम न्यायालयों तथा अधिकरणों की कार्यवाही अपवर्जित करना चाहिये । जो उत्तर आयेंगे उन पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जायेगा ।

मैसूर के लिये नमक

*१९१७. **श्री मादिया गौडा:** क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) (१) मानवी उपभोग तथा (२) पशुओं के उपभोग के लिये १९५१-५२ में मैसूर राज्य को नमक की कितनी राशि दी गई ;

(ख) इस राज्य को कहां से नमक दिया जाता है ;

(ग) उस नमक में सोडियम क्लोराइड का कितना प्रतिशत अंश था ; तथा

(घ) क्या मैसूर को कोई शुद्ध नमक दिया दिया गया था ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) मानवी तथा पशुओं के उपभोग के लिये कुल मिला कर ८·६८ लाख मन नमक दिया गया था । मानवी तथा पशुओं के उपभोग के पृथक् आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) मद्रास तथा बम्बई ।

(ग) मानवी उपभोग के लिये दिये गये नमक में १२ प्रतिशत अथवा अधिक ।

(घ) सरकार के पास निश्चित जानकारी नहीं है क्योंकि शुद्ध नमक के उत्पादन तथा वितरण पर उसका नियंत्रण नहीं है ।

अपहृत स्त्रियां

*१९१८. **श्री अजीत सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पाकिस्तान से मिली हुई तथा अपने माता-पिताओं के पास पहुंचाई गई अपहृत स्त्रियों की संख्या ;

(ख) लावारिस स्त्रियों की संख्या

(ग) ऐसी स्त्रियों की संख्या जिनके माता पिताओं ने उनको वापिस लेना अस्वीकार किया ; तथा

(घ) जिन बच्चों का पाकिस्तान में जन्म हुआ तथा उनकी माताओं ने जिनको भारत में लाया उनकी संख्या ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) अभी तक ऐसे ८०७१ व्यक्ति अपने मूल सम्बन्धियों के पास पहुंचाये गये । किन्तु उनमें से माता-पिताओं के पास कितने पहुंचाये गये यह जानकारी पृथक नहीं रखी जाती ।

(ख) ऐसे १३१ व्यक्तियों के मूल सम्बन्धियों का पता अभी नहीं लग सका ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) १०२ ।

उड़ीसा की कागज़ फ़ैक्टरियां

*१९१९. **श्री संगण्णा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उड़ीसा राज्य स्थित कागज़ फ़ैक्टरियों की संख्या ;

(ख) प्रत्येक फ़ैक्टरी की प्रार्थित तथा प्राप्त पूंजी ;

(ग) प्रत्येक फ़ैक्टरी के अंश-धारियों की संख्या ;

(घ) गत तीन वर्षों में (१९४९, १९५० तथा १९५१) प्रत्येक फ़ैक्टरी का कागज उत्पादन ; तथा

(ङ) क्या उत्पादित कागज का कोई अंश उड़ीसा राज्य के बाहर भेजा जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक ।

(ख) मार्च १९५० में कारखाने द्वारा प्रकाशित स्थिति विवरण के अनुसार प्रार्थित तथा प्राप्त पूंजी १००९७५०० रुपये थी ।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) जी हां ।

मैंग्नेसाईट (निर्यात)

*१९२०. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १ अप्रैल, १९४८ से ३१ मार्च १९५२ तक मध्य प्रदेश से जिलानुसार कितनी राशि निर्यात हुई ;

(ख) उक्त समय में इस निर्यात के फलस्वरूप भारत सरकार को कितनी प्राप्त हुई ;

(ग) इस प्रकार सरकार को मिले हुए धन का कितना अंश मैंग्नेसाईट खदानों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण पर खर्च हुआ ; तथा

(घ) किस प्रकार के कल्याण कार्य पर यह धन खर्च हुआ ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) मध्य प्रदेश में मैंग्नेसाईट का कोई स्रोत नहीं है ।

(ख), (ग) तथा (घ). प्रश्न उठते नहीं ।

अशुद्ध लोहे की फ़ैक्टरी

*१९२१. **श्री के० जी० देशमुख** : क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या उड़ीसा के स्थान पर मध्य प्रदेश में अशुद्ध लोहे की फ़ैक्टरी बनाने का अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) इस इस्पात योजना के विषय में 'इस्पात यंत्रसामग्री समिति' का प्रतिवेदन क्या है ; तथा

(ग) इस योजना को पूर्ण करने के लिये कितनी अवधि निश्चित की गई है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी नहीं ; यह विषय अब भी विचाराधीन है ।

(ख) अनुमानतः माननीय सदस्य इस्पात परामर्शदाताओं के नये इस्पात कारखानों के बारे में दिये हुए योजना प्रतिवेदनों का निर्देश कर रहे हैं। यदि ऐसा हो तो इन प्रतिवेदनों के सारांश की प्रतिलिपि ताः ३ मार्च १९४९ को सेठ गोविन्द दास जी के तारांकित प्रश्न संख्या ८३४ के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते समय सदन पटल पर रखी गयी थी।

(ग) योजना के बारे में अभी बातचीत चल रही है और वह कब पूरी होगी यह इस समय नहीं कहा जा सकता।

रेशम फ़ैक्टरियों में काम में लाया गया पटसन

*१९२२. **श्री मादिया गौडा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रति वर्ष रेशम धागे के कारखाने में उपयोजित पटसन की राशि तथा मूल्य क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : रेशम धागे के कारखानों में कोई पटसन उपयोग में नहीं लाया जाता। किन्तु यदि माननीय सदस्य रेशम धागे के कारखानों में उपयोजित रेशम झाडन की (जिसको उस धन्धे में जूट कहते हैं) राशि तथा मूल्य जाना चाहते हैं तो वह जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २८**]

लक्कावल्ली परियोजना (मैसूर)

*१९२३. **श्री मादिया गौडा :** क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या योजना आयोग ने पूर्ववर्तिता तय करते समय लक्कावल्ली परियोजना (मैसूर) को स्थान दिया है ;

(ख) उक्त परियोजना का अनुमानित व्यय कितना है ;

(ग) उक्त परियोजना पर अभी तक कितनी राशि व्यय हो चुकी है ; तथा

(घ) यह परियोजना कब तक पूरी होने की उम्मीद है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) २० करोड़ रुपये।

(ग) लगभग ९२ लाख रुपये।

(घ) योजना की पहली अवस्था सन् १९५५–५६ में पूरी होने की उम्मीद है।

नमक उपकर

*१९२४. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) नमक के उत्पादन पर उपकर अथवा आरोपन क्या है तथा इस स्रोत से कुल वार्षिक राजस्व कितना मिलता है ;

(ख) यह उपकर लगाने का हेतु क्या है ; तथा

(ग) क्या नमक उपकरण से प्राप्त राजस्व का व्यय किसी विशिष्ट हेतु के लिये होता है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) ता० ८ जुलाई १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३६१ के भाग (क) तथा (ख) के उत्तरों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) तथा (ग). नमक व्यवस्था का खर्च निभाने के लिये उपकर लगाया जाता।

नमक वितरण

* १९२५. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) नमक के वितरण की व्यवस्था क्या है ;

(ख) क्या सारा वितरण केन्द्रीय सरकार अपने मनोनीत व्यक्तियों द्वारा करती है ;

(ग) सरकारी मनोनीत व्यक्तियों की राज्यानुसार सूची ;

(घ) सरकार द्वारा नमक वितरण की व्यवस्था पर होने वाले वार्षिक व्यय की राशि ; तथा

(ङ) क्या सरकार नमक वितरण का प्रश्न निजी दलालों को सौंपने का विचार कर रही है ; और यदि है, तो किस हद तक ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) भारत सरकार प्रत्येक राज्य को नमक के विभिन्न स्रोतों से विभागीय वितरण योजना के अनुसार निर्धारित परवर्तिता के आधार पर रेल द्वारा उठाने के लिये राशियां बांट देती है। पूर्ववर्तिता निर्धारण के अतिरिक्त रेल, सड़क, नदी तथा समुद्र द्वारा नमक के संचरण पर सरकार कोई नियंत्रण नहीं रखती। कुछ राज्यों ने स्वयं कुछ व्यक्ति मनोनीत कर दिये हैं जो नमक के स्रोतों से नमक आयात करते हैं तथा अपनी अनुमति प्राप्त फुटकर विक्रेताओं को बांट देते हैं। अन्य राज्यों में नमक का आयात तथा वितरण सामान्य व्यापारी ढांचे के जरिये किया जाता है।

( ) भारत सरकार ने नमक के वितरण के लिये कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया है प्रत्येक राज्य के अन्दर नमक का वितरण करने की जिम्मेदारी उस राज्य की सरकार की होती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केवल नमक के वितरण के लिये सरकार ने कोई अलग व्यवस्था नहीं कायम की है। किन्तु वितरण कार्य के कर्मचारियों के लिये लगभग २ लाख रुपये खर्च होते हैं ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है।

(ङ) विद्यमान वितरण व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का अभी सरकार का विचार नहीं है।

मनीपुर में विस्थापित व्यक्तियों के लिये भू-खंड

***१९२६. श्री एल० जे० सिंह :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार द्वारा मनीपुर के मध्यम वर्गीय विस्थापित व्यक्तियों को इम्फाल नगर में अथवा उसके आसपास भू-खंड देने के बारे में कुछ कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ; तथा

(ख) क्या यह सत्य है कि स्थानिक लोगों ने ऐसे कि सी बटवारे का विरोध किया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) हां।

(ख) हां।

पूर्वी अफ़्रीका की रुई (बंटवारा)

***१९२७. श्री एस० जी० पारिख :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि आयात के सहप्रमुख नियंत्रक द्वारा प्रर्पुज क्रम की बातचीत शुरू करने के पहले कपड़ा मिलों को यह पूछा गया था कि उनकी पूर्वी अफ़्रीका के रुई की आवश्यकताएं क्या हैं ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि इस क्रय के बाद आवश्यकता के अनुसार बंटवारा करने के बजाय आयात के सहप्रमुख नियंत्रक ने औसत उपभोग के आधार पर पूर्वीय अफ़्रीका की रुई का बंटवारा किया ;

(ग) यदि (ख) का उत्तर हां है, तो इस निर्णय के कारण क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार को ज्ञात है कि पूर्वीय अफ़्रीका की रुई के बंटवारे की नीति में परिवर्तन होने के फलस्वरूप नाराजी

ली है तथा सम्बन्धित प्रकार के कपड़े के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है ; तथा

(ङ) सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां । किन्तु केवल उन्हीं मिलों से यह पूछा गया था जिन को गत वर्ष पूर्वी अफ्रीका की रुई का हिस्सा मिला था ।

(ख) जी हां । सन् १९४६-४७, १९४७-४८ तथा १९४८-४९ इन तीन वर्षों में समान जाति के औसत उपभोग के आधार पर बटवारा किया गया ।

(ग) गत वर्ष की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(घ) तथा (ङ). भाग (ग) के दिये हुए उत्तर की ओर देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते ।

सरकारी क्रय निगम

***११२८. श्री के० सी० सोधिया:** क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सरकारी क्रय निगम कब स्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यह सुझाव इस समय किस अवस्था में है ;

(ग) उस को कब अन्तिम स्वरूप देने का उन का विचार है ; तथा

(घ) इस निगम की प्रस्तावित रचना क्या है ?

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : यह विषय सरकार **के विचाराधीन है ।**

खदानों के स्वास्थ्य पर्षद्

***१९२९. श्री विट्टल राव:** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हैदराबाद सरकार ने अब बिहार तथा उड़ीसा खदान बस्ती अधिनियम, १९३०, के समान कोई विधान अधिनियमित किया है ; तथा

(ख) यदि (क) का उत्तर हां है, तो क्या कोथागुडियम तथा बेल्लाम्पल्ली में खदानों के स्वास्क्ष्य पर्षद् गठित हो गये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) नहीं; वे इस प्रश्न का विचार कर रहे हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

छोटे रेशे वाले कपास के मूल्य

***१९३०. श्री चण्डक:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या छोटे रेशे वाले कपास के न्यूनतम दाम निश्चित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि है तो उस ने इस बारे में क्या निश्चय किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जी नहीं ।

पटसन मिलें

***१९३१. श्री एम० इस्लामुद्दीन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में स्थित पटसन मिलों की संख्या तथा उन का वार्षिक उत्पादन सामर्थ्य ;

(ख) उन में गत तीन वर्षों में (प्रति वर्ष) उत्पादित पटसन की वस्तुओं की राशि तथा मूल्य ;

(ग) इन मिलों को इस प्रत्येक वर्ष में प्राप्त देशी कच्चे प .सन की राशि ;

(घ) इस प्रत्येक वर्ष में आयात द्वारा प्राप्त कच्चे पटसन की राशि ; तथा

(ङ) क्या सरकार के सामने पटसन की पैदावार बढ़ाने तथा पटसन उद्योग के विकास के लिये कोई योजना है ; और यदि है तो क्या उसकी प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जायेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारत में पटसन की ११२ मिलें हैं जिन की उत्पादन सामर्थ्य प्रति वर्ष १२ लाख टन है ।

(ख)

वर्ष (जुलाई-जून)	उत्पादन (सहस्र टनों में)
१९४९-५०	८५८
१९५०-५१	८९२
१९५१-५२ (जुलाई-मई)	८७१ (केवल आई० जे० एम० ए० मिलों के बारे में)

मूल्य के आंकड़े नहीं दिये गये हैं ।

(ग) तथा (घ) . माननीय सदस्य का ध्यान श्री मेघनाद साहा द्वारा २६ जून, १९५२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २६४ के भाग (क) के उत्तर में दी गई जानकारी की ओर आकर्षित किया जाता है ।

(ङ) कच्चे पटसन की पैदावार बढ़ाने तथा पटसन उद्योग का विकास करने के प्रश्न पर योजना आयोग सक्रिय विचार कर रहा है । जब परियोजनाओं को अन्तिम स्वरूप मिल जायेगा तब उन्हें पंचवर्षीय योजना में समाविष्ट किया जायेगा ।

मुक्ति दल

*१९३३. **श्री पी० सी० बोस** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) झरिया तथा रानीगंज के कोयला खदानों के मुक्ति केन्द्रों में पूरे समय काम करने वाले मुक्ति दलों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) इन मुक्ति केन्द्रों में कितने खनिकों को मुक्ति करने के कार्य का अद्यावत् प्रशिक्षण दिया गया है ; तथा

(ग) क्या इन मुक्ति केन्द्रों में नियतकालिक प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम तथा वैद्यकीय चिकित्सा द्वारा इन मुक्ति कार्मिकों की कार्यपटुता बनाये रखने के लिये कोई प्रबन्ध है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तीन ।

(ख) १०२९ ।

(ग) हां, जैसे कि १९३९ के कोयला खदान मुक्ति नियमों में उपबन्धित हैं ।

बागान श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी

*१९३४. **श्री अच्युतन** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रावनकोर कोचीन राज्य के बागान श्रमिकों पर न्यूनतम मजूरी अधिनियम के उपबन्ध लागू करने के विषय में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथा उसे कितना यश मिला है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : त्रावनकोर कोचीन राज्य की सरकार ने जो कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अनुसार बागानों में मजूरी के न्यूनतम दर निश्चित करने के लिये जिम्मेवार है, न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ की धारा ५(१)(क) के अधीन एक समिति नियुक्त की है । इस समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर वह सरकार विचार कर रही है । आशा की जाती है कि शीघ्र ही दर निश्चित किये जायेंगे ।

भारतीय दूत मण्डलों के लिये कर्मचारी वृन्द की भर्ती

*१९३५. **श्री अच्युतन:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विदेशों में स्थापित किये गये विभिन्न दूत मण्डलों के लिये कर्मचारी-वृन्द को भर्ती करने के बारे में क्या कोई नियम बनाये गये हैं ;

(ख) क्या स्थायी पदों का कोई प्रतिशत परिमाण निश्चित किया है ; तथा

(ग) क्या इस विषय में दूत मण्डल के प्रमुख को कोई अधिकार है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) हमारे विदेश-स्थित दूत मण्डलों में विभिन्न श्रेणियों का कर्मचारीवृन्द भर्ती करने की विभिन्न नियमावलियां हैं । इन में से कुछ पद भारतधिष्ठत हैं तथा अन्य पदों के लिये स्थानीय व्यक्ति भर्ती किये जाते हैं । उच्च राजनयिक तथा वाणिज्यिक पदों में भारतीय विदेश सेना के अधिकारी नियुक्त होते हैं जो प्रतियोगिक परीक्षा द्वारा चुने जाते हैं ।

भारताधिष्ठित अनुसचिवीय तथा अन्य गौण पदों में अधिकारी नियुक्त करते समय सामान्यत: केन्द्रीय सचिवालय सेवा से व्यक्ति लिये जाते हैं ।

भाषान्तरकार, सन्देशवाहक, आदि जैसे कुछ गौण अनुसचिवीय स्थानों में आर्थिक तथा प्रशासकीय सुविधा के हेतु स्थानीय व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं । ऐसे स्थानीय व्यक्तियों का चुनाव सम्बन्धित देश की प्रचलित प्रथानुसार दूतमण्डल के प्रमुख द्वारा किया जाता है । शर्तें भारत सरकार के अनुमोदनाधीन होती हैं ।

(ख) भारत सरकार के अधिकांश विदेशी पद अस्थायी होते हैं यद्यपि उनमें काम करने वाले व्यक्ति विदेशी सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा आदि की भांति स्थायी सरकारी नौकर हैं ।

(ग) भारत से भेजे जाने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विषय में, दूतमण्डल के प्रमुख को कोई अधिकार नहीं होता । दूतमण्डल के प्रमुख द्वारा कुछ गौण पदों के लिये स्थानीय कर्मचारीवृन्द की भर्ती की जाती है ।

मध्य प्रदेश के लिये टिन की चादरें

*१९३६. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४९, १९५० तथा १९५१ में मध्य प्रदेश सरकार के लिये निर्धारित किया गया टिन तथा गैल्व्हनाइज्ड पनारीदार चादरों का अंश; और उन वर्षों में तथा १९५२ में जून की अन्त तक दी गई राशियां; तथा

(ख) क्या भारत सरकार ने इस अंश निर्धारण के लिये कुछ शर्तों तथा प्रतिबन्ध निश्चित किये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). दो विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २९]**

कांच उद्योग के श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी

*१९३७. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई :** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने केवल मध्य प्रदेश में ही अथवा समस्त भारत में कांच उद्योग के श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी निश्चित की है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : कांच उद्योग का समावेश न्यूनतम मजूरी

अधिनियम, १९४८, के उपबन्धों में नहीं होता है; परन्तु राज्य सरकार इस उद्योग का समावेश उस अधिनियम के अधीन होने वाली नौकरियों के अनुसूची में कर सकता है तथा न्यूनतम मजूरी निश्चित कर सकता है। अभी तक केवल मध्य प्रदेश सरकार ने इस उद्योग में मजूरी के न्यूनतम दर निश्चित किये है।

कोयला खदान श्रमिकों के लिये गृह व्यवस्था

*१९३८. **श्री पी० सी० बोस०** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विभिन्न खदान क्षेत्रों में कोयला खदान श्रमिकों को बसने के लिये कोयला खदान कल्याण निधि में से कितने गृह निर्माण हुए हैं ;

(ख) कोयला खदान कल्याण निधि की सहायता योजना के अनुसार खदान मालिकों ने कितने गृह निर्माण किये हैं? तथा

(ग) कल्याण निधि द्वारा खदान श्रमिकों के कल्याण के लिये कौन कौन सी कार्यवाहियां संचालित की जाती हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) १९४८।

(ख) ५४; ३८१ गृहों का निर्माण अभी जारी है।

(ग) (१) चिकित्सालय तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधायें।

(२) औषधि सेवाओं का स्तर बढ़ाने के लिये खदान मालिकों को अनुदान।

(३) सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय जिनमें मलेरिया विरोधी कार्यवाहियां सम्मिलित हैं।

(४) क्षयविरोधी उपाय जिनमें बीसीजी टीकन सम्मिलित है।

(५) शिक्षण तथा मनोरंजन की सुविधायें जिनमें ध्वनि-दृश्यात्मक साधनों से वयस्क व्यक्तियों का समाजशिक्षण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण सम्मिलित हैं।

(६) जीवन स्तर का सुधार जिसमें पुष्टिवर्धन तथा सामाजिक सुधार सम्मिलित हैं।

(७) गृह प्रबन्ध तथा खदान मालिकों को गृह निर्माण के लिये सहायता दान।

सन् १९५०-५१ में कोयला खदान श्रम कल्याण निधि के कार्यवाही का विवरण देने वाले एक ज्ञापन की प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। **[प्रति पुस्तकालय में रख दी गई है देखिये निर्देश संख्या ४ आर०] (ए) (१५)**

पांडीचरी में मारा गया सार्वजनिक कार्यकर्ता

*१९३९. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि पांडीचेरी के विलीनीकरण के लिये प्रचार करने वाला एक सार्वजनिक कार्यकर्ता गुंडों के हमलों में मारा गया ;

(ख) क्या सरकार को इस विषय में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और यदि है, तो क्या वह सदन पटल पर रखा जायेगा ;

(ग) गत तीन महीनों में फ्रांसीसी भारत में रहने वाले कितने भारतीयों के शरीर तथा सम्पत्ति पर आक्रमण होने की सूचना सरकार को मिली है ; तथा

(घ) इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) यह अनुमान लगाया जाता है कि माननीय सदस्य श्री वेंकटेश पदायची के मृत्यु का निर्देश कर रहे हैं जो १२ जून, १९५२ को बहौर ग्राम में उन पर हुए हमले के फ़लस्वरूप मारे गये।

(ख) भारत सरकार को इस विषय में जो जानकारी उपलब्ध है वह बताने वाली एक पत्रिका सदन पटल पर रखी जाती है। [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३०]

(ग) एक अन्य नई घटना भारत सरकार को ज्ञात हुई है। पता चला है कि १ मई, १९५२, को छः फ्रांसीसी भारतीय गुण्डों ने भारतीय संघ के क्षेत्र में पत्थर फेंके तथा पांडीचेरी गये हुए कुछ भारतीय नागरिकों पर हमला किया।

(घ) शान्ति क़ायम रखने तथा भारतीय नागरिकों पर होने वाले आक्रमण रोकने के लिये हम ने सीमा पर विशेष सशस्त्र आरक्षी नियुक्त किये हैं। हमारे पांडीचेरी स्थित महावाणिज्यदूत ने फ्रांसीसी भारतीय प्राधिकारियों के समक्ष सीमा संघर्षों के विरुद्ध निषेध-पत्र दाखिल किये हैं जिन में भारतीय नागरिकों पर आक्रमण तथा भारतीय संघ क्षेत्र में अतिक्रम के मामलों का निर्देश है। इन क़दमों के फ़लस्वरूप ऐसे सीमा संघर्षों की संख्या गत वर्ष की अपेक्षा बहुत कम हो गई है।

केन्द्रीय कुटीर उद्योग भंडार

*१९४०. **श्री बादशाह गुप्त:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) केन्द्रीय कुटीर उद्योग भण्डार, क्वीन्सवे, नई दिल्ली, में ३० जून, १९५२ की राशि के अनुसार क्रमशः कलात्मक मूल्य तथा साधारण उपयोग की वस्तुओं का कुल दाम; तथा

(ख) सन् १९५१-५२ में भण्डार के वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री प्रबन्ध के लिये किया गया व्यय तथा उसी समय में बिक्री द्वारा प्राप्त धन ?

वाणिज्य तथा उद्योग उप मंत्री (श्री करमरकर): (क) कलात्मक मूल्य की वस्तुएं—१,३३,५९० रुपये। साधारण उपयोग की वस्तुयें—९३,९८५ रुपये।

(ख) वस्तुओं के उत्पादन तथा क्रय के लिये भण्डार कोई खर्च नहीं करता। दाम दिये बिना ही बिक्री के लिये वस्तुएं मिल जाती हैं। सन् १९५१-५२ में बिक्री द्वारा २,३८,८०३ रुपये प्राप्त हुए और इन वस्तुओं तथा साधारण प्रबन्ध पर लगभग ४८,८०० रुपये खर्च हुए।

कोयला निर्यात

*१९४१. **श्री बादशाह गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री उन विदेशों के नाम, जिन्होंने सन् १९५१-५२ में भारतीय कोयले का आयात किया था, तथा प्रत्येक देश को भेजे गये कोयले की राशि (मनों में) तथा मूल्य (रुपयों में) बतलाने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३१]

प्रतिज्ञाबद्ध श्रमिक

*१९४२. **श्री बादशाह गुप्त:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९४७-४८ से १९५१-५२ तक भारत ने किसी विदेश को क्या कुछ प्रतिज्ञाबद्ध श्रमिक भेजे थे ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री सतीश चन्द्र): जी नहीं।

मद्रास से अभ्रक का निर्यात

*१९४३. **श्री नानादास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री (१) ३० जून

१९५१ को समाप्त होने वाले अर्द्धवर्ष तथा (२) ३० जून, १९५२ को समाप्त होने वाले अर्धवर्ष में मद्रास राज्य से निर्यात किये गये अभ्रक की कुल राशि तथा मूल्य बतलाने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : उपर्युक्त समयों में मद्रास पत्तन से क्रमशः १३७ लाख रुपये क़ीमत का ८४,७५० हंडरवेट तथा ११३ लाख रुपये क़ीमत का ४१,६७६ हंडरवेट अभ्रक निर्यात हुआ ।

योल कैम्प के विस्थापित परिवार

***१९४५. पंडित सी० एन० मालवीय** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) योल कैम्प के कितने विस्थापित परिवार पुनर्वास के लिये भोपाल राज्य में भेजे गये ;

(ख) वे भोपाल कब भेजे गये थे ; तथा

(ग) उनकी विद्यमान अवस्था क्या है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) २४१ ।

(ख) अप्रैल, १९५२ ।

(ग) इन में से २३० परिवारों ने उस भूमि पर बसना अस्वीकार किया जहां उनके लिये प्रबन्ध किया गया था । उनको अस्थायी तौर से भोपाल के सुल्तानिया सेनावासों में आश्रय दिया गया है तथा, उन्हीं की प्रार्थना पर ऋण दिये जाने के बाद उन्हें अपने पुनर्वास स्थानों का प्रबन्ध करने की अनुमति दी गई है ।

अरुवांकाडु कार्डाइट फैक्टरी के श्रमिक

***१९४६. श्री वीरस्वामी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मंत्री जी को अरुवांकाडु कार्डाइट फैक्टरी के श्रमिकों से पहाड़ी भत्ता म ने वाला कोई अभिवेदन मिला है ; तथा

(ख) यह मामला किस अवस्था में है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख). जनवरी, १९५२ में औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा १(क) के अन्तर्गत औद्योगिक अधिकरण को पहाड़ी भत्ता विषयक विवाद का निर्देश करने के बारे में एक अभिवेदन कार्डाइट फैक्टरी श्रमिक संघ, अरुवांकाडु, से मिला था । यह मामला विचाराधीन है ।

गोआ के राजनैतिक बन्दी

***१९४७. श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्तुगीज़ प्राधिकारियों द्वारा गोआ राजनैतिक बन्दियों को अफ्रीका के पर्तुगीज़ क्षेत्र में ले जाये जाने की कोई जानकारी भारत सरकार के पास है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): जहां तक भारत सरकार को ज्ञात है, जून के शुरू शुरू में कुछ राजनैतिक बन्दियों को गोआ से एकाएक हटाया गया और बड़ी दुर्दशा में वे लिस्बन पहुंचे । उनमें से कुछ बन्दियों को कारागृह के चिकित्सालय में भेजना पड़ा । यह विदित नहीं कि इन बन्दियों को लिस्बन रखा जायेगा अथवा कहीं और भेजा जायगा ।

तिब्बत से ऊन का आयात

***१९४८. श्री भक्त दर्शन** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री कृपया ता० १७ जून, १९५२ को मेरे तारांकित प्रश्न संख्या ९३३ को दिये गये उत्तर का निर्देश करते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भावी काल में हिमालय की घाटियों द्वारा भारत में तिब्बती ऊन का आयात नियमित रूप से जारी रखने के लिये सरकार ने कौन कौन से क़दम उठाये हैं अथवा उठाने का उसका विचार है ?

(ख) क्या सरकार ऊन तथा तत्सम वस्तुओं के बारे में तिब्बत सरकार से कोई समझौता करने जा रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार ने यह प्रबन्ध किये हैं:

(१) भारत से तिब्बती ऊन के अबाध निर्यात को अनुमति दी गई है । यद्यपि भारतीय ऊन के निर्यात पर अंश निर्बंधन लगाये गये थे, तिब्बती ऊन के अंश से अतिरिक्त निर्यात को अनुमति दी जाती थी ।

(२) १६ मार्च, १९५२ से तिब्बती ऊन पर आरोपित निर्यात शुल्क हटाया गया है । भारतीय ऊन को भी यह सुविधा लागू है ।

(३) उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा तथा गढ़वाल ज़िलों के व्यापारियों को अन्यत्र कपड़ा वितरण पर अंश निर्बंधन होते हुए भी तिब्बत के ऊन तथा अन्य वस्तुओं से विनिमय करने के लिये पर्याप्त कपड़े की राशि दी जाती थी ।

(ख) सरकार इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

सेवा योजनालय, दिल्ली

*१९४९. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(१) गत वर्ष में सेवायोजनालय, दिल्ली, नौकरी के लिये पंजीबद्ध व्यक्तियों की संख्या ;

(२) गत वर्ष में जिन व्यक्तियों को सेवायोजनालय, दिल्ली, द्वारा नौकरी मिली उनकी संख्या ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख). जून, १९५२ में समाप्त होने वाले बारह महीनों में सेवायोजनालय, दिल्ली में, ६५,१५१ व्यक्ति पंजीबद्ध हुए और ९,५९९ व्यक्तियों को नौकरी दी गई ।

दिल्ली में भूमि का दाम

*१९५०. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर** : क्या निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह तथ्य है कि दिल्ली तथा उसके उपनगरों में गत छः वर्षों में भूमि का दाम बहुत बढ़ गया है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो उसको रोकने के लिये सरकार ने कौन कौन से कदम उठाये हैं ?

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) दाम वृद्धि को रोकने के लिये सरकार ने सौदे के समय दाम में हुई अनुपार्जित वृद्धि मांग लेने का तथा नये पट्टों में पूर्वक्रयाधिकार सुरक्षित रखने का निर्णय किया है । सिवाय राजनयिक दूतमण्डलों को तथा विस्थापित व्यक्तियों समवेत सब लोगों को नयी दिल्ली में बारम्बार सरकारी भूमि बेची जा रही है किसी एक व्यक्ति द्वारा अनेक भूमि खण्डों की खरीद पर तथा बेनामी सौदों पर भी सरकार ने रोक लगा दिया है ।

युद्ध काल में ज़ब्त की गई जापानी संपत्ति

४५५. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जापान तथा भारत के बीच युद्ध घोषित होने पर जापानी सरकार तथा जापानी नागरिकों की जो सम्पत्ति भारत सरकार ने ज़ब्त की उसकी व्यवस्था तथा मरम्मत पर कितने रुपये खर्च हुए ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जापानी सरकार अथवा जापानी नागरिकों की कोई सम्पत्ति ज़ब्त

नहीं की गई। ऐसी सम्पत्तियां केन्द्रीय सरकार द्वारा बारम्बार दिये गये आदेशों के अनुसार शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक को सौंप दी जाती थीं। भारत स्थित जापानी सम्पत्ति की व्यवस्था के खर्च का आंकड़ा अभी जोड़ा नहीं गया है।

खदान श्रमिक (भर्ती)

४५६. **श्री मुरारका** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या भारतीय खदानों में ठेकेदारों द्वारा श्रमिक भर्ती करने की पद्धति अभी चालू है; तथा

(ख) खदानों में भूमि के नीचे काम करने के लिये महिलाओं को नौकर रखने पर रोक लगायी जाने के बाद खदानों के उत्पादन में कितना सुधार हुआ है तथा भूमि के नीचे काम करने वाले आदमियों के वेतन में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) इस उद्योग के निजी खण्ड ने श्रमिक भर्ती की ठेकेदारी प्रथा का अन्त करने के लिये विस्तृत कार्यवाही की है। ११ रेलवे खदानों में से ९ में इस प्रथा का अन्त कर दिया गया है और शेष २ में इसी उद्देश्य से कार्यवाही की जा रही है।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जायेगी।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम

४५७. **डा० सत्यवादी** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देश में अब तक किन किन राज्यों ने न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अनुसार स्थानीय प्राधिकारों के निम्न वेतन वाले कर्मचारियों के लिये न्यूनतम मजूरियां निश्चित की हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : मैं अपने मित्र का ध्यान ता० १६ जुलाई १९५२ को उनके पूछे हुए अतारांकित प्रश्न संख्या ४२८ के उत्तर में सदन पटल पर रखे गये विवरण की ओर आकर्षित करता हूं।

मद्रास राज्य से अभ्रक का निर्यात

४५९. **श्री नानादास**: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री सन् १९४७-४८, १९४८-४९, १९४९-५० तथा १९५०-५१ में मद्रास राज्य से निर्यात हुए अभ्रक की कुल राशि तथा मूल्य बताने की कृपा करेंगे:

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३२]

नेलौर की अभ्रक खदानों में दुर्घटनाए

४६०. **श्री नानादास** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मद्रास राज्य में नेलौर जिले की अभ्रक-खदानों में हुई दुर्घटनाओं की संख्या तथा सन् १९४५, १९४६, १९४७, १९४८, १९४९, १९५०, १९५१ तथा १९५२ में इन दुर्घटनाओं के फलस्वरूप कितनी प्राण हानि हुई;

(ख) कितनी घटनाओं में क्षतिपूर्ति दी गई तथा क्षतिपूर्ति की व्यक्तिगत राशियां क्या हैं ; तथा

(ग) कितने मामलों में क्षतिपूर्ति का भुगतान अभी लम्बित है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) उपर्युक्त वर्षों में नैलौर जिले की

अभ्रक खदानों में हुई दुर्घटनाओं की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	१९४५	१९४६	१९४७	१९४८	१९४९	१९५०	१९५१	१९५२
मृत्युजनक दुर्घटनाओं समेत कुल दुर्घटनाएं	६	५	६	६	७	८	१२	५
मृत्युजनक दुर्घटनाएं	१	४	२	२	१	१	३	३

(ख) तथा (ग). कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, १९२३, जिसका प्रवर्त्तन राज्य सरकारें द्वारा होता है, के अनुसार क्षतिपूर्ति दी जा रही है। अतः हमें खेद है कि भारत सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

बाइसिकिलें

४६१. **श्री बाल्मीकी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय उद्योगपतियों द्वारा सन् १९५१-५२ में उत्पादित बाइसिकिलों की संख्या ; तथा

(ख) बाइसिकिलों के बारे में भारत को स्वयंपूर्ण बनाने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सन् १९५१ में १,१४,२७५ तथा मई, १९५२ के अन्त तक ५८,४०१ ।

(ख) विद्यमान फ़ैक्टरियों का उत्पादन सामर्थ्य तथा मंजूरी दी गई नई फ़ैक्टरियों का उत्पादन सामर्थ्य मिल कर देश की मांग पूरी कर सकेंगे ऐसी अपेक्षा है ।

कार्य भूत स्थापनायें (वेतन दर)

४६२. **श्री विद्यालंकार :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) निम्नलिखित स्थानों के कार्य भूत स्थापनाओं में वेतन दर :

(१) दामोदर घाटी परियोजना

(२) हिराकुड परियोजना

(३) नांगल-भाखड़ा परियोजना ;

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक स्थान में निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों को मिलने वाली न्यूनतम मजूरी :

(१) झाड़ू देने वाले

(२) चौकीदार

(३) क्लीनर्स

(४) अनभ्यस्त कर्मचारी

(५) खोदने का तथा बोझ उठाने का काम करने साले हमाल, आदि और सन्देशवाहक, निजी नौकर आदि;

(ग) वहां गिट्टी फोड़ने वाले तथा सड़क बनाने वाले श्रमिकों के बारे में क्या कोई न्यूनतम मजूरी निश्चित की गई है; तथा

(घ) क्या किसी अन्य श्रेणी के लिये कोई न्यूनतम मजूरी निश्चित की गई है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

कुटीर उद्योग

४६३. **श्री जसानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) देश में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ;

(ख) ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाले तीन वित्तीय वर्षों में इस काम के लिये खर्च हुई राशि और यह राशि किस प्रकार खर्च हुई ; तथा

(ग) सन् १९५२-५३ के आयव्ययक में इस काम के लिये उपलब्ध राशि ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) मैं माननीय सदस्य का ध्यान जून, १९५२ की व्यापार तथा उद्योग पत्रिका के कुटीर उद्योग विशेष अंक की ओर आकर्षित करूंगा।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३३**]

(ग) २० लाख रुपये।

प्रेस सूचना विभाग की शाखायें

४६४. **श्री सी० एन० पी० सिन्हा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) प्रेस सूचना विभाग की बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास शाखाओं में सन् १९५०, १९५१ तथा १९५२ में हुए खर्च की राशियां ;

(ख) इन शाखाओं के प्रमुख कृत्य ; तथा

(ग) क्या यह शाखायें चालू रखने का सरकार का इरादा है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तथा (ख). प्रेस सूचना विभाग की बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास शाखाओं में १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में हुए खर्च की राशियां तथा उनके प्रमुख कृत्य बताने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३४**]

(ग) जी हां।

वाणिज्यिक समाचार संचालक का कार्यालय

४६५. **श्री सी० एन० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने का कृपा करेंगे :

(क) वाणिज्यिक समाचार संचालक के कार्यालय में सन् १९५०, १९५१ तथा १९५२ में कर्मचारीवृन्द तथा प्रकाशनों पर किया गया खर्च ; तथा

(ख) क्या इस में कोई बचत करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। वह यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी हां।

अखिल भारतीय आकाशवाणी केन्द्र, मैसूर

४६६. **श्री मादिया गौडा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मैसूर का अ०भा०आ०केन्द्र केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकार में ले लिये जाने के बाद उसमें क्या सुधार किये गये हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : मैसूर केन्द्र के अधिकार में लिये जाने के बाद तुरन्त ही वहां डिस्क रिकार्डिंग का प्रबन्ध किया गया।

और भी सुधार करने की कल्पनायें थीं किन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण उनको लम्बित रखना पड़ा।

चन्द्रनगर

४६७. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार चन्द्रनगर की जनता से उसके भावी प्रशासन के विषय में कैसे परामर्श करने जा रही है ;

(ख) क्या चन्द्रनगर के प्रशासन के विषय में वहां की जनता से अथवा जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से परामर्श किया गया था ; तथा

(ग) क्या चन्द्रनगर को पश्चिमी बंगाल में विलीन करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). चन्द्रनगर का भावी प्रशासन निश्चित करने के पहिले वहां की जनता से परामर्श किया जायेगा । विद्यमान प्रबन्ध केवल अस्थायी स्वरूप का है । त्याग संधि पर हस्ताक्षर कर के पुरानी प्रशासन समिति ने अधिकार छोड़ दिये और तुरन्त कोई अस्थायी प्रवन्ध करना अनिवार्य हुआ । गम्भीर विचार के बाद तथा पश्चिमी बंगाल सरकार एवं चन्द्रनगर प्रशासन से परामर्श करने के बाद अस्थायी प्रबंध किया गया । जनता से यथोचित परामर्श करने के बाद ही आगे के अधिक स्थायी स्वरूप परिवर्तन किये जायेंगे । परामर्श कैसे किया जायेगा यह अभी कहना सम्भव नहीं ।

(ग) चन्द्रनगर पश्चिमी बंगाल में विलीन करने का सवाल नहीं उठता । चन्द्रनगर की जनता ही अपने भवितव्य का विधान करेगी ।

रक्षा-भंडारों का अतिरेक माल

४६८. **श्री बादशाह गुप्त : निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद्** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या रक्षा-भण्डारों के अतिरेक माल का निबटारा करने के पहिले नीलाम अथवा निजी सौदे द्वारा बेचने की वस्तुओं का बीजक बनाया गया था तथा क्या वह बीजक किसी जिम्मेवारी अधिकारी द्वारा जांचा गया था ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : जी हां अधिकृत निबटारा प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से परामर्श करने के बाद निबटारे के लिये उपलब्ध अतिरिक्त माल की सूचियां तथा उनके सुरक्षित सूचक दाम निश्चित किये जाते हैं ।

आन्तर्राष्ट्रीय मेले में सोवियेत रूस द्वारा बिक्री

४६९. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इस वर्ष के आरम्भ में बम्बई में हुए मेले में सोवियेत यूनियन द्वारा बेची गई वस्तुओं की सूची तथा मूल्य ;

(ख) क्या ये बिक्री केवल निजी संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा की गई अथवा सरकार द्वारा भी ;

(ग) क्या यह तथ्य है कि उनके भण्डार में प्रदर्शित अन्य वस्तुओं के लिये सोवियेत प्रतिनिधियों ने भारत सरकार से आयात अनुज्ञप्तियां मांगी थीं ;

(घ) क्या रूस ने सारी बिक्री नगद भुगतान पर की या कुछ यंत्रसामग्री बिना दाम लिये ही बेचने के लिये दी ;

(ङ) इस प्रकार बेची गई वस्तुओं के लिये क्या भारत सरकार से आयात अनुज्ञप्तियां मिली थीं ; तथा

(च) क्या इस प्रकार बेची गई वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाया गया, और यदि लगाया गया तो कितना ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : (क) तथा (ख). मंत्रालय ने सोवियेत द्वारा प्रदर्शित वस्तुओं के निबटारे के लिये ३७०००० तथा २३४४५४० रुपयों की दो विशेष बिक्री अनुज्ञायें दी थीं।

(ग) जी हां।

(घ) तथा (ङ). सरकार के पास जानकारी नही।

(च) सरकार ने जानकारी मंगवाई है।

GIPD—HS—454 PSD—2-7-53—285

सोमवार,
२१ जुलाई, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृतान्त

लोक सभा

सोमवार, २१ जुलाई, १९५२

सदन की बैठक साढ़े आठ बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-१५ म० पू०

सदन पटल पर रखे गये पत्र

(१) केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद् (प्रक्रिया सम्बन्धी) नियम; (२) उद्योगिक उपक्रम नियमों का पंजीयन तथा उनकी अनुज्ञप्ति ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं दिनांक ८ मई और ९ जुलाई, १९५२ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ८१३ और एस० आर० ओ० ११४१ में प्रकाशित प्रत्येक निम्नांकित नियमों की एक एक प्रति उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, १९५१ की धारा ३० की उपधारा (४) के अन्तर्गत सदन पटल पर रखे देता हूं :

(१) केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद (प्रक्रिया सम्बन्धी) नियम, १९५२; [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या त-३३/५२**]

(२) उद्योगिक उपक्रम नियमों का पंजीयन तथा उनकी अनुज्ञप्ति, १९५२। [**पुस्तकालय में रखे गये; देखिये संख्या त-३४/५२**]

समिति के लिए निर्वाचन

भारतीय कृषि-अनुसंधान परिषद

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् नियमों के नियम २(६) के अनुसार यह सदन, अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार, अपने में से ही चार व्यक्तियों को भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के सदस्य चुनने जा रहा है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद नियमों के नियम २(६) के अनुसार यह सदन, उपाध्यक्ष जी के निर्देशानुसार, अपने में से ही चार व्यक्तियों को भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के सदस्य चुनने जा रहा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों को यह सूचना देना चाहता हूं कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के चार सदस्यों का एकल संक्रामक मत द्वारा निर्वाचन निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार अमुक दिनांक को होगा ।

[अध्यक्ष महोदय]

१. बृहस्पतिवार, २४ जुलाई, १९५२ के १२ मध्याह्न तक संसदीय सूचना कार्यालय में नामनिर्देशन-पत्रों का संचय होगा ।

२. यदि आवश्यकता पड़ी तो सोमवार २८ जुलाई, १९५२ को संसद् भवन में उप-सचिव के कमरा (संख्या २१) में १०-३० म० पू० से १ म० प० तक निर्वाचन किया जायेगा ।

राज्य-परिषद से आया हुआ संदेश

संसद सचिव : श्रीमान्, मैं राज्य परिषद् के सचिव से प्राप्त हुए निम्निलिखित संदेश को प्रस्तुत करता हूं :

" प्रक्रिया के नियम तथा राज्य-परिषद में कार्य-संचालन के नियम १६२ के उपनियम (५) के उपबन्धों के अनुसार मुझे यह निदेश किया जाता है कि मैं इसी समय भारतीय तटकर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५२, जो १६ जुलाई, १९५२ की बैठक में लोक सभा द्वारा पारित किया गया था, और तदर्थ सिफारिशों के लिये राज्य परिषद् में भेजा गया था—वापस कर दूं तथा यह बतला दूं कि राज्य-परिषद् उक्त विधेयक के सम्बन्ध में लोक-सभा के पास कोई भी सिफारिशें नहीं भेजना चाहती ।"

भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक

प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के लिए समय में वृद्धि

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के लिये नियुक्त समय में २८ जुलाई, १९५२ तक वृद्धि की जाय ।"

हम ने इस सम्बन्ध में दो बार बैठकें बुलाईं किन्तु उनमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई क्योंकि यह काम किसी हद तक बोझिल रहा है और इसी लिये, मेरे विचार से हमें अपने उस विचार-विमर्श को पूरा करने के लिये इस सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक भाग लेना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के लिये नियुक्त समय में २८ जुलाई, १९५२ तक वृद्धि की जाय ।"

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मेरी राय में एक सप्ताह प्रर्याप्त नहीं रहेगा, अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस के लिये एक और सप्ताह दिलवायें ।

श्री सी० डी० देशमुख : अभी भी मुझे इस बात की आशा है कि यह कार्य इसी सत्र में समाप्त हो जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : वह पुनः आयेंगे ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं पुनः आऊंगा ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को इस बात का स्मरण करना होगा कि व्यवहार परामर्शदात्री समिति ने ३१ जुलाई तक ही, यथासंभव, सत्र समाप्त करने पर ज़ोर दिया है । यदि सरकारी कार्य की परमावश्यकता के कारण आवश्यकता पड़ी तो सत्र में कुछ एक दिन की वृद्धि होगी । परामर्शदात्री समिति ने यही राय दी है और मैं माननीय सदस्य के निवेदन को दृष्टि में रखते हुए सदन में इस बात का उल्लेख कर रहा हूं । वह एक सप्ताह की कालवृद्धि चाहते थे, या यों

कहिये कि ५ या ६ अगस्त तक वे सत्र की कार्य-अवधि चाहते थे ।

प्रश्न यह है कि :

"भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के लिये नियुक्त समय में २८ जुलाई, १९५२ तक वृद्धि की जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पूछताछ आयोग विधेयक

प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के लिए समय में वृद्धि

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पूछताछ के आयोगों की नियुक्ति, और उन आयोगों को कई अधिकार देने के लिये व्यवस्था करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के लिये नियुक्त समय में २५ जुलाई, १९५२ तक वृद्धि की जाये ।"

उक्त समिति ने अपना पर्यालोचन समाप्त किया है । उसकी वह रिपोर्ट भी बनाई जा चुकी है और अब उस पर विचार किया जा रहा है । कई सदस्य दिल्ली से बाहर गये हैं । अतः सदन में प्रस्तुत किये जाने में देर हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

" पूछताछ के आयोगों की नियुक्ति, और उन आयोगों को कई अधिकार देने के लिये व्यवस्था करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के लिए नियुक्त समय में २५ जुलाई, १९५२ तक वृद्धि की जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

केन्द्रिय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी०टी० कृष्णमाचारी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधनार्थ एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुनःस्थापित करता हूं ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : श्रीमान्, इस विधेयक को उठाने से पहले मैं आसाम की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उस के सम्बन्ध में आप ने एक अल्प सूचना प्रश्न भी स्वीकार किया था और हमारी आशा थी कि आज ही उसका उत्तर मिलेगा । अब तो काफी समय हो चुका है, अतः उस का उत्तर मिलना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री अमजद अली ने यह प्रश्न उठाया था और माननीय मंत्री ने बतलाया था कि आसाम सरकार के साथ उस विषय में लिखा-पढ़ी हो रही है ।

श्री आर० के० चौधरी : क्या मैं यही समझ लूं कि उस लिखा-पढ़ी में बाधायें प्रस्तुत हुई हैं, जिन के कारण उत्तर मिलने में देर हुई है ?

अध्यक्ष महोदय : हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिये । वह तो यथासंभव शीघ्रता से सम्बद्ध सूचनायें देंगे ।

जनाब अमजद अली (ग्वालपाड़ा—गारो पहाड़ियां) : क्या वह आज ही सूचना दे सकते हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मेरे पास कुछ सूचना हैं, जो इस समय रिपोर्टों से मिलाई जा रही हैं। मैं कल ही सदन के समक्ष उसे प्रस्तुत करूंगा।

———

निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) विधेयक——क्रमागत

अध्यक्ष महोदय: मैं सर्वप्रथम माननीय डा० एस० पी० मुखर्जी द्वारा इस विधेयक पर विवाद होने के समय उठाये गये प्रश्नों का स्पष्टीकरण करूंगा।

निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५२ पर विचार करने के लिये गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर जो तीन संशोधन प्रस्तुत हुए थे वे इस प्रकार हैं:—

(१) जनमत जानने के लिये विधेयक का परिचालन—श्री गुरुपादस्वामी द्वारा;

(२) संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष निर्देश के लिये——डा० पंजाब राव देशमुख द्वारा; तथा

(३) प्रवर समिति के समक्ष निर्देश के लिये, तथा वर्तमान संशोधन विधेयक द्वारा संशोधित नहीं होने वाले मुख्य अधिनियम के खंडो पर भी प्रस्तुत हुए सभी संशोधनों पर विचार करने के सम्बन्ध में——सरदार हुक्म सिंह द्वारा।

विवाद के समय डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने १८ जुलाई, १९५२ को दो प्रश्न उठाये थे। उन्होंने पहली आपत्ति यह की थी कि विधेयक का पाठ बुरा तथा क्रमविरुद्ध है। उन्हीं के शब्दों में "संशोधन की व्यवहार्यता तथा मान्यता, ताकि सदन सारे विधेयक पर विचार कर सके"——उनकी दूसरी आपत्ति थी। दूसरे शब्दों में इस का यह अर्थ है कि क्या कोई भी सदन-सदस्य प्रमुख अधिनियम के उन खण्डों पर जिन्हें वर्तमान संशोधक विधेयक से संशोधित नहीं किया जा सकता, संशोधन प्रस्तुत कर सकता है।

उनका यह विवाद है कि इस विधेयक द्वारा सरकार न केवल एक समाप्त होने वाले कानून को आगे चलाने का प्रयत्न कर रही है अपितु इस के कई मूल उपबंधों में अग्रेतर संशोधन करना चाहती है। विधेयक के इस पाठ से संशोधनों के क्षेत्र तथा विशेषताओं के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां आ जाती हैं, जिन्हें अन्यथा प्रस्तुत किया जा सकता है। स्थिति तब ही स्पष्ट हो सकती थी जब इस विधेयक से एक समाप्त होने वाला कानून जारी रखा जा सकता। जैसा कि संसदीय व्यवहार द्वारा तय हो चुका है, और जैसा कि मैं १९ मार्च, १९५१ के प्रस्तुत हुए अजमेर-मेरवाड़ किराया नियंत्रण विधेयक के सिलसिले में बतला भी चुका हूं। इस प्रकार संशोधनों का क्षेत्र बहुत हद तक सीमित हो जाता। मुख्य अधिनियम के कुछ अन्य उपबन्धों के सम्बन्ध में सरकार को कुछ कठिनाई प्रस्तुत हुई है। उन्होंने अपने प्रतिवाद में यह भी कहा है कि इस विधेयक का पाठ बहुत ही बुरा है, अतः सरकार को चाहिये कि एक बिल्कुल नया विधेयक पुनः स्थापित करे जिस में पुराने अधिनियम के अधिक से अधिक उपबन्ध हों। और इस के स्थान पर सरकार ने वर्तमान विधेयक से मुख्य अधिनियम के कुछ उपबन्धों को जारी रखा है, और कुछ एक में संशोधन किया है अतः प्रारम्भ में ही यह जानने की आवश्यकता पड़ी है कि क्या इस विधेयक को समाप्त प्राय अधिनियम को जारी करने वाला विधेयक समझा जाय अथवा एक साधारण संशोधन विधेयक। इस के विरुद्ध, यदि इस को दोनों रूपों का संगठन समझा जाय तो उनके प्रतिवाद के अनुसार, समाप्तप्राय कानून को जारी करने वाले विधेयक पर प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधनों का क्षेत्र इस नियम में नहीं समा जाता क्योंकि स्वयं सरकार बिना परिवर्तन के एक ही कानून को चलाना नहीं चाहती।

किन्तु मैं समझता हूं कि इस आधार पर इस विधेयक को नियम विरुद्ध नहीं कहा जा

सकता, न तो इस के पाठ को बुरा कहा जा सकता है। वह अपनी दूसरी आपत्ति में अध्यक्ष से कोई नियम दिलाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें मुख्य अधिनियम के किसी या सभी उपबन्धों के सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाय।

विधेयक के उपबन्धों को देखने से पता चलेगा कि यह समाप्तप्राय कानून को पुनः चलाने का विधेयक नहीं, और इस से यह भी स्पष्ट होता है कि इस विधेयक को एक पृथक् श्रेणी का समझा जाना चाहिये। हां, इस में कोई संदेह नहीं कि स्थिति पेचीदा है, क्योंकि दिनांक बदलने से इस की स्थिति बदल जाती है। इस में एक नया उपबन्ध प्रस्तावित धारा १२ क—जुड़ जाता है।

इस विधेयक के पाठ तथा इसकी विशेषता को दृष्टि में रखते हुए इसे एक समाप्तप्राय कानून जारी करने वाला विधेयक, शुद्ध एवं सादा, नहीं समझा जा सकता, और, इसीलिये जो भी संशोधन प्रस्तावित हो सकते हैं, वे उसी तरह क्षेत्र में सीमित नहीं रखे जा सकते जिस प्रकार समाप्तप्राय कानून चलाने वाले विधेयक में रखे जा सकते हों। इतना पर्याप्त है कि संशोधक विधेयक द्वारा किये जाने वाले संशोधन शुद्ध रूप से औपचारिक अथवा अपरिपक्व नहीं हैं। उन में से कई एक तो सारवान् हैं, यद्यपि उन से कानून और भी अधिक निर्बाध बनता है तथा नजरबन्द को और भी सुविधायें प्राप्त होती हैं जिन से निरोध की अवस्था भी सीमित हो जाती है। वास्तव में बात यह है कि अब सदन के समक्ष जो संशोधक विधेयक है, वह कई ठोस बातों में अधिनियम से बिल्कुल भिन्न है, और वर्तमान विधेयक इसी अधिनियम को विस्तार देना चाहता है।

यह भी बताया नहीं जा सकता कि इन परिस्थितियों में संशोधनों का क्या क्षेत्र होना चाहिये। जहां तक मुख्य अधिनियम की धारा ३, १०, आदि, जिन के सम्बन्ध में प्रस्तुत विधेयक में उल्लेख हो चुका है, का प्रश्न है, इन में तभी तक संशोधन प्रस्तुत करने की गुंजाइश हो सकती है जब तक वे इन अलग-अलग धाराओं से संगत तथा उनके क्षेत्र में समाते हों। प्रस्तुत संशोधन विधेयक में तत्सम्बन्धी विशेष धारा में उल्लिखित कानून के उपबन्धों की योजना का उल्लेख है; और उस धारा के किसी भी भाग पर चाहे कितना भी छोटा संशोधन प्रस्तुत किया जाय, उससे और भी अधिक संशोधनों की गुंजाइश पैदा हो जाती है।

मुख्य अधिनियम की उन धाराओं के संशोधनों, जिन पर संशोधन विधेयक का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता, किन्तु जो मुख्य अधिनियम की केवल एक धारा के संशोधन से समय-विस्तार द्वारा जारी रखे जाते हैं, के सम्बन्ध में कठिनाई प्रस्तुत होती है। इस पहलू पर, अखंड समाप्तप्राय अधिनियम को एक धारा के रूप में उसी आधार पर बरतना वाञ्छनीय नहीं न तो संभव है यद्यपि यह अधिनियम अपने में विधान का एक खण्ड है, और, जिस के परिणामस्वरूप इस से एक ही योजना प्रस्तुत होती है। इन कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए मैं यही समझता हूं कि जब तक सदन का कोई अधिकारी सारे अधिनियम पर एक साधारण संशोधन की आज्ञा नहीं देता, तब तक अधिनियम की किसी भी धारा पर स्वयम् ही संशोधन प्रस्तुत करना बहुत ही कठिन होगा। इस स्तर पर इस प्रकार का प्रश्न कुछ अनुमानित सा है। जब तक मुख्य अधिनियम की धाराओं पर विशिष्ट संशोधन प्रस्तुत नहीं होता और जब तक संशोधन विधेयक के उपबन्धों को जांचा नहीं जाता, तब तक यह कहना कठिन है कि कौनसा संशोधन यथाक्रम है और कौनसा क्रम-विरुद्ध है। विधेयक के इस विचित्र और मिले-जुले पाठ को देख कर यही कहा जा सकता है कि किसी भी विशेष धारा के संशोधन खंडों

[अध्यक्ष महोदय]

में विशिष्ट धाराओं तक ही सीमित नहीं रह सकते, बल्कि अधिनियम की समग्र नई योजना तथा संशोधन विधेयक द्वारा संशोधित किये जाने की सुविधा के प्रकाश में ही उस की मान्यता को आंकना पड़ता है। संशोधित होने वाली उस विशेष धारा के क्षेत्र से बाहर मामलों से सम्बद्ध संशोधन जो अधिनियम की नई योजना के निकट सम्पर्क में हैं तथा जो उन ही धाराओं से पैदा होते हैं जिनको संशोधित किया जा रहा हो, तभी सदन में प्रस्तुत हो सकते हैं जब वे अन्यथा समर्थ हों। इस स्थिति में मैं केवल इतना ही बता सकता हूं।

अंग्रेजी प्रक्रिया के अनुसार स्थायी आदेश संख्या ४० में साधारण अनुदेश हैं जो इस प्रकार हैं :

"उन सभी समितियों, जिनके समक्ष विधेयक रखे जाते हों, के लिये यह अनुदेश होगा कि वे उन विधेयकों में इस प्रकार के संशोधन करने के अधिकारी होंगें, यदि वे संशोधन उक्त विधेयक की वस्तुस्थिति से संगत हों, किन्तु यदि वे संशोधन विधेयक के शीर्षक में सम्मिलित नहीं हों तो उन के द्वारा शीर्षकों में तदनुसार संशोधन होगा और वे विशेषरूप से सदन के समक्ष वही रिपोर्ट देंगे।"

वैसी स्थितियों में शीर्षक द्वारा ही संशोधन का क्षेत्राधिकार आंका जाता है, और इसीलिये क्षेत्राधिकार से बाहर के संशोधनों को प्रस्तुत करने के लिये एक साधारण नियम बनाया जाता है, बशर्ते वे संशोधन विषय से संगत हों, और उसके बाद शीर्षक बदलने की स्वतंत्रता दी जाती है।

इस स्थायी आदेश के अतिरिक्त प्रवर समितियों को विशेष अनुदेश देने की भी प्रथा एवं प्रतिक्रिया है ताकि संशोधनों के मौलिक क्षेत्राधिकार में विस्तार दिया जा सके। इस दृष्टि से सरदार हुक्मसिंह का संशोधन क्रम-विरुद्ध नहीं है क्योंकि वर्तमान विधेयक के सम्बन्ध में इस मामले पर सदन भी विचार कर सकता है।

इस विधेयक की विचित्र विशेषताओं को दृष्टि में रखते हुए मुझे इस बात की आवश्यकता नहीं दिखाई देती कि मैं समाप्तप्राय क़ानून विधेयक की स्थिति के समान ही इस की स्थिति को समझ लूं और इस पर विचार करूं। मुझे लगता है कि वर्तमान मामले पर सदन के विनिर्देश या नियम लागू नहीं होते, न तो माननीय गृह मंत्री ने २८ फ़रवरी, १९५२ को इस संसद् से पहले की संसद में इस उद्देश्य से संगत किसी प्रश्न पर उत्तर में ऐसी कोई बात बतायी है जो इस पर लागू हो सकती हो।

मैं यह भी बता दूं कि संशोधन विधेयक में समाप्तप्राय अधिनियम के सभी महत्वपूर्ण उपबन्ध सम्मिलित हैं। संशोधन विधेयक धारा ३, जो, यों कहना चाहिये, निवारक निरोध क़ानून का केन्द्र है, और धारा १० जो परामर्शदात्री मंडलियों की प्रक्रिया से सम्बन्ध रखती है, विधेयक के खंड ६ से संशोधित की जाने वाली हैं। दोनों मूल अधिनियम तथा विधेयक के अन्य उपबन्ध मुख्यतया प्रक्रिया सम्बन्धी अथवा औपचारिक हैं। निरोध, प्रतिनिधान-अधिकार क़ानून के लागू होने की अवधि, आदि से सम्बन्धित क्षेत्र, संशोधनों की मान्यता के सम्बन्ध में साधारण नियम के निर्बन्धों के होते हुए भी सभी सक्रिय उद्देश्यों के लिये खुला पड़ा है। प्रशासकीय मामले, जैसे कि निरोध के आदेशों की पूर्ति, निरोध की शर्तों तथा जगहों का नियमन, परामर्शदात्री मंडलियों का संविधान, आदि—महत्वपूर्ण मामले होते हुए भी, सारवान् नहीं हैं। किन्तु सभी धाराओं पर संशोधन प्रस्तुत करने की इच्छा रखने वाले सभी माननीय सदस्यों द्वारा इन मामलों पर विचार किया जाना चाहिये। मैं तो केवल उन पहलुओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित

कर रहा हूं जिन से संशोधनों की ग्राह्यता के सम्बन्ध में कुछ अग्रेतर विचार-विमर्श होने की संभावना है ।

श्री एन० पी० नथवानी (सोरठ) : शुक्रवार को, सदन स्थगित होने के समय, मैं इस बात की ओर निर्देश कर रहा था कि शक्ति के दुरुपयोग होने के लिये हम किस प्रकार की प्रतिरक्षा कर सकते हैं । क्या मैं परामर्श-दात्री मंडली के हित उपबन्ध की ओर निर्देश करूं ? विरोधी सदस्यों ने इस उपबन्ध की उपेक्षा की है किन्तु, मैं समझता हूं कि निवारक की हैसियत से नजरबन्द हुए व्यक्ति के लिये यह एक सारवान् आश्वासन है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री एन० पी० नथवानी : यह भी है कि न्यायालय बीच-बचाव कर सकते हैं और किन्हीं भी मामलों में सहायता दे सकते हैं । उदाहरण के तौर पर देख लीजिये कि यदि व्यक्तिगत घृणा या दुर्भावना से शक्ति का उपयोग किया जाय, अथवा यदि शक्ति का उपयोग किया जाय और कोई ऐसा आधार बताया जाय, जिसका तथ्यों के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं हो या नजरबन्द करने वाले अधिकारी द्वारा दिये गए कारण इस बात के लिए प्रर्याप्त न हों कि वह नजरबन्द व्यक्ति कोई प्रतिविधान नहीं कर सके, तो इन सभी स्थितियों में न्यायालय सहायता दे सकता है । अतः, प्रस्तुत विधेयक, जो पारित किया जाने वाला है, मध्यस्थ स्थिति का अथवा झकी नहीं है, और इस से मध्यस्थ की शक्तियां नहीं मिलतीं । किन्तु कई विरोधी सदस्यों ने बतलाया है कि यह एक वन्य विधेयक है जिससे बरबादी फ़ैल जायेगी। वह यह भी कहते हैं कि जब कभी शक्ति का प्रयोग होगा है उससे लोकतन्त्र अथवा लोकतन्त्रात्मक आन्दोलन को कुचला जाता है, और इसीलिये उनकी यह मांग होती है कि जनमत मालूम करने के लिये विधेयक परिचालित किया जाना चाहिये ।

अभी पिछले दिनों में मैं ने आपके समक्ष वे सभी तथ्य रखे थे कि सौराष्ट्र सरकार ने किस तरह इस अधिनियम को लागू करके स्थिति का पूरा नियंत्रण किया । अभी आप कुछ और समय ठहर लीजिये, और आपको पता चलेगा कि डाकुओं की टोलियों के पीछे कौनसी शक्तियां काम कर रही हैं—क्योंकि गोंडल स्थित सत्र-न्यायालय के न्यायाधीश इसी तरह के एक अभियोग का न्याय सुना रहे हैं । उक्त अभियोग में मध्य सौराष्ट्र स्थित रिब नाम के गांव में डाली गई डकैती में एक राजकुमार और कई एक व्यक्ति शामिल थे । किन्तु इतना होते हुए भी इन लोगों को विश्वास नहीं होता । क्या ये लोग सौराष्ट्र के लोगों से यही कहना चाहते हैं कि इस प्रकार के डाके, चोरियां

.....

जनाब अमजद अली (ग्वालपाड़ा—गारो पहाड़ियां) : श्रीमान्, औचित्य-प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ पूछना चाहता हूं । माननीय सदस्य कई ऐसे मामलों की ओर निर्देश कर रहे हैं जो उनके न्यायिक क्षेत्राधिकार में नहीं हैं । क्या वह ऐसा करने के समर्थ हैं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह समझ लें कि वह इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि ये मामले अभी लम्बित हैं । उनके ऐसा कहने में कोई भी आपत्ति नहीं है । वह कार्य-वाही के नुगों अथवा उनकी विषयसूची का उल्लेख नहीं कर रहे हैं ।

श्री एन० पी० नथवानी : क्या विरोधी दल के ये माननीय सदस्य जो जनमत जानने के लिये इस विधेयक को परिचालित करना चाहते हैं, सौराष्ट्र तथा देश के अन्य स्थानों के अनेक निवासियों से यही कहना चाहते हैं कि लोकतन्त्रात्मक आन्दोलन में चोरी-डकैती हुआ करती है ? क्या यह ऐसी ही बात नहीं है

[श्री एन० पी० नथवानी]

कि किसी व्यक्ति से यों पूछा जाय कि वह मुख-मरी पसन्द करेगा अथवा खाना चाहेगा ? इससे न केवल उस व्यक्ति की बुद्धि को बट्टा लगाया जाता है अपितु उसे आहत करने के साथ गाली भी दी जाती है ।

मुझे इस बात पर खेद होता है क्योंकि हमारे देश में अभी ऐसी परिस्थिति है कि इस विधेयक को जारी रखा जाना चाहिए । इसमें कुछ एक डाकुओं को आड़े हाथ लेने का प्रश्न नहीं बल्कि वह उन बड़े भूस्वामियों और राजकुमारों से टक्कर लेने का प्रश्न है जो आपकी भूमि-सुधार नीति और अन्य आर्थिक कार्यक्रमों का विरोध करने के लिए एक क्रान्तिकारी आन्दोलन चलाना चाहते हैं । सौराष्ट्र तथा अन्य भागों की इन घटनाओं से विरोधी दल के इन सदस्यों को यह सीख मिल जानी चाहिये । यदि आप अपनी भूमि-सुधार नीति तथा अन्य निर्माणकारी नीतियां चाहते हों, और यदि आप शान्ति और व्यवस्था चाहते हों तो आपको निरोध की शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा । यही कारण है कि यह विधेयक पारित किया जाना चाहिये ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : मैं मात्र विरोध करने या बाधा डालने के लिये विरोध करने के पक्ष में नहीं हूं, यही कारण है कि मैं माननीय गृह मंत्री का भाषण बहुत ही ध्यान से सुनता रहा हूं । मेरी यह आशा थी कि वह सदन के समक्ष कुछ ठोस तथ्य रखेंगे और इस निवारक निरोध विधेयक की सफ़ाई में तर्कपूर्ण बातें बतायेंगे किन्तु मैं उनकी बातें सुन कर बहुत ही निराश हो चुका हूं क्योंकि उन्होंने तर्क देने के बदले अपशब्द और दुर्वचन सुनाये । उन्हें हम में से कई व्यक्तियों को संप्रदायवादी कहने में प्रसन्नता हो रही है, वह साम्यवादियों से घृणा करते हैं और उन लोगों को भी नीची नजरों से देखते हैं जिन्हें वह भूतपूर्व शासक कहा करते हैं--यद्यपि भारत के संविधान के अनुसार वे शासक अभी भी शासक कहलाये जाते हैं, उन्हें स्वतन्त्र व्यक्तियों से भी घृणा है । मैं उन्हें इस बात का विश्वास दिला दूंगा कि उनकी पार्टी के दमनचक्र के बावजूद भी हम सदन के सदस्य रहेंगे । हम भारत के लाखों वयस्कों द्वारा चुने गये आज्ञाकारी प्रतिनिधि हैं; और यह हमारा कर्त्तव्य है कि इस विधिविहीन विधेयक का विरोध करें; और जब तक वह इस निवारक निरोध विधेयक को जारी रखने के लिये कोई सतर्क दलीलें पेश नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार का प्रावधान संविधि-ग्रन्थ पर एक धब्बा बना रहेगा । मैं कहीं भी इस बात को सिद्ध करने के लिये तैयार हूं कि कानून का दुरुपयोग किया जा चुका है । भले ही माननीय गृह-मंत्री हमें बता दें कि इस विधेयक को राजनीतिक दलों के विरुद्ध काम में लाने के लिये कभी नहीं बनाया गया, किन्तु सभी जानते हैं कि इसे केवल इसी काम के लिये पारित किया जा रहा है । भूतकाल में इसे भिन्न दलों के दमन के लिये बनाया गया था और अब भी इसे इसी काम में लाया जायेगा, यही कारण है कि हमारे संदेह तथ्यों पर आधारित हैं । जब आप इस विधेयक का सहारा लेकर किसी भी राजनीतिक संस्था के कार्यकारी सदस्यों, और महासचिव आदि को बन्द कर लेते हैं तो इस बात का कोई भी महत्त्व नहीं रहता कि आप निवारक निरोध विधेयक को राजनीतिक दलों के विरुद्ध काम में नहीं लाना चाहते । मुझे खेद से कहना पड़ता है कि मैं माननीय गृहमंत्री द्वारा दिये गये तर्कों से आश्वस्त नहीं हूं । यों तो उन्होंने गोपालन अभियोग में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को उद्धृत कर के, और संविधान के एक-दो अनुच्छेदों का निर्देश कर के इस सारी समस्या को साधारण रीति से समझाने का प्रयत्न तो किया है ।

जनाब अमजद अली: श्रीमान्, औचित्य-प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ पूछना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि एक माननीय सदस्य, जो कदाचित् एक माननीय मंत्री भी हैं, बार बार मंच के पास जाकर अध्यक्ष जी के कान में कुछ शब्द कह आते हैं। इससे सदन तथा अध्यक्ष-पद का गौरव कम हो जाता है। प्रारम्भ से ही यह बात मैं इस सदन में होते हुए देख रहा हूं। मैं ऐसे आचरण को संसदोचित शिष्टाचार एवं गौरव के अनुकूल नहीं समझता, अतः इस विषय में आपका विनिर्देश सुनना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं किन्तु सदन के शिष्टाचार के अतिरिक्त भी माननीय सदस्यों को चाहिये कि अध्यक्ष के पास बार बार न आया करें क्योंकि इससे कई माननीय सदस्यों के मस्तिष्क में यह धारणा पैदा होती है कि अध्यक्ष कुछ सदस्यों के अनुदेश पर चलते हैं, न तो सदस्यों को सदन के स्थगित होने के पश्चात् पर्चियां भेज देनी चाहिये। यों तो, बार बार अध्यक्ष के पास आने के बदले परचे भेजने से ही काम चल सकता है।

श्री एन० सी० चटर्जी: कितना ही अच्छा होता कि सरकारी बेंचों पर बैठने वाले सदस्य भारत और विदेशों की सांविधानिक प्रगतियों से परिचित होते। माननीय मंत्री ने इस तथ्य का हवाला दिया है कि भारतीय संविधान में निवारक निरोध से बचा रहना एक प्रत्याभूत मूल अधिकार नहीं। उनका कहना है कि अनुच्छेद २२ में निवारक निरोध उपबन्धित हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि इंगलैण्ड जैसे देश में इसके लिये कानून हैं यद्यपि ब्रिटेन में कोई भी मूल अधिकार नहीं हैं। किन्तु, कानून क्या है--वहां ऐसी बात संविधि-ग्रन्थ में नहीं आई है न तो इसे उसमें सम्मिलित किया जायेगा। इंगलैण्ड में जिन दिनों बम-वर्षा हो रही थी, उन दिनों भी वहां इस प्रकार का कानून लागू नहीं किया गया। यों तो कभी भी ऐसा कानून नहीं बना, और यदि बना भी तो युद्धकाल में, और वह भी इस तरह कि गृह मंत्री को ही इस बात का अधिकार दिया गया, किसी जिला मैजिस्ट्रेट को नहीं। और यहां क्या हुआ है: जिला मैजिस्ट्रेटों ने शक्ति का बहुत ही दुरुपयोग किया है।

मुझे आश्चर्य है कि डा० काटजू जैसे वयोवृद्ध विधिवेत्ता ने प्रो० रामसिंह के मामले में बताया कि विमत निर्णय सुनाया जा रहा है। आपको स्मरण होना चाहिये कि इंगलैण्ड और अमरीका के बड़े बड़े न्यायाधीशों के विमत निर्णय ही न्यायशास्त्र के इतिहास में महत्त्वपूर्ण अध्याय बन चुके हैं। आखिर प्रो० रामसिंह ने क्या किया जो डा० काटजू हमें पुलिस की ओर से विश्वास दिलाते हैं। उन्होंने किसी दिन कालिज में भाषण दिया था, और उसी रोज सायंकाल को उन्होंने दिल्ली नगरपालिका में भाषण दिया जिसके आधार पर उन्हें इस प्रकार आरोपित किया गया कि उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाया। हमने उनसे कहा कि आप उस भाषण का हवाला दीजिये जिससे खतरा पैदा हुआ हो लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। श्री बाल ने भी यही कहा कि वह भाषण अवैधानिक नहीं। अन्य न्यायाधीशों ने भी ऐसा ही कहते हुए कहा कि हम मजबूर हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन]

श्री एन० पी० नथवानी: क्या माननीय सदस्य निर्णय का वह अंश उद्धृत करेंगे जिस में न्यायाधीशों ने इस प्रकार कहा।

श्री एन० सी० चटर्जी: मेरे पास इस समय सारी कानूनी किताबें मौजूद नहीं हैं किन्तु यदि मेरे मित्र चाहें तो मैं उन्हें सभी हवाले दूंगा। आप श्री लाहिरी के मामले को ही लीजिये। वह २७ मार्च, १९५० को किसी प्रेस अधिवेशन के सिलसिले में दिल्ली आये थे,

[श्री एन० सी० चटर्जी]

और उस समय बंगाल में बड़ी गड़बड़ी मची थी। पूर्वी बंगाल के हजारों शरणार्थी बेघर हो कर पश्चिमी बंगाल को चले आ रहे थे। उन दिनों श्री लाहिरी पुरानी विधान सभा में पूर्वी बंगाल के किसी निर्वाचन-क्षेत्र के प्रतिनिधि बन कर आये थे। पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री श्री विधानचन्द्र राय को ज्ञात है कि श्री लाहिरी उन शरणार्थियों को बसाने के लिये कितना काम कर रहे थे। और आपको याद होगा कि ३१ मार्च के ८–४५ म० प० पर उन्हें निरोध का आदेश सुनाया गया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा था कि चूंकि आपने बंगाल और पूर्वी बंगाल की घटनाओं को इतना बढ़ बढ़ कर बताया है जिससे शान्ति भंग होने की आशंका है, अतः आपकी इन गतिविधियों को संदिग्ध समझा जाता है क्योंकि देश में सांप्रदायिक दंगे होने की संभावना है।

श्री लाहिरी ने ५ मार्च, १९५० को, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू कलकत्ता का दौरा करने गये थे, कलकत्ता में हड़ताल होने नहीं दी थी। जब से उन्होंने दिल्ली में कुछ भी नहीं किया। श्रीमान्, आपको आश्चर्य होगा कि उस नजरबन्दी के आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले जिला मैजिस्ट्रेट ने उस प्रेस अधिवेशन की सारी बातें दुनिया से छुपा लीं। भारत अथवा दिल्ली में कोई भी व्यक्ति इस मामले को नहीं जानता। न्यायाधीशों ने कहा कि कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। न्यायाधीश मुकर्जी ने कहा कि निवारक निरोध अधिनियम को इस व्यक्ति पर लागू करने में मन में सन्देह-सा होता है, और सन्देह होना कुछ उचित भी है, कि वह व्यक्ति दिल्ली का निवासी न होते हुए किस प्रकार ऐसी गतिविधियों में भाग ले सकता है जिनसे दिल्ली के शान्त वातावरण पर कुप्रभाव पड़े। यदि दिल्ली के जिला मैजिस्ट्रेट ने इस व्यक्ति की उपस्थिति को यहां के दंगों का एक कारण समझा था तो उसके पास ऐसी कई शक्तियां थीं जिनसे वह इस व्यक्ति की उन कुचेष्टाओं को रोक सकता था। दण्ड प्रक्रिया संहिता में इस प्रकार के उपबन्ध हैं जिन की सहायता से इस व्यक्ति की गतिविधियों पर पाबन्दी लगाई जा सकती थी। सत्य यह है कि दंगा करने वाले व्यक्ति दिल्ली से बाहर भेजे गये थे। यह नहीं कहा जा सकता कि याचक को क्यों नजरबन्द किया गया जब कि साधारण कानून से उसे दण्ड दिया जा सकता था। यह थे न्यायाधीश मुकर्जी के शब्द। अब आप बताइये कि यह किस प्रकार का व्यवहार रहा। श्री लाहिरी ने जेल से भी श्री बिधानचन्द्र राय को लिख भेजा कि क्या बंगाल में मैं ने इस प्रकार की कोई हरकत की जिसके लिये मुझे जेल भेजा गया और डा० राय ने उत्तर में लिख भेजा कि आपने कोई भी ऐसी बात नहीं की जिसके लिये जेल की यातना मिलनी चाहिये थी। हमने पुनः सर्वोच्च न्यायालय का सहारा चाहा किन्तु यहां से यही उत्तर मिला कि अधिकारियों ने ठीक कार्यवाही नहीं की है किन्तु हम निःशक्त हैं। इसी तरह यदि कोई इस प्रकार की बात कहे जो निराधार हो तो उस दुर्भावना को सिद्ध करना बहुत ही कठिन हो जाता है, अतः मैं भी इस बात को सिद्ध नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि डा० राय के बयान से यही स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली सरकार ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर के अच्छा नहीं किया। तब इसे रिहा किया गया। तो आप समझिये कि इसी प्रकार इस अधिनियम का उपयोग किया जाता है।

श्रीमान्, इस प्रकार की कई एक बातें हुई हैं सरदार हुक्म सिंह ने सदन को प्रो० देशपांडे का मामला सुनाया। वह निर्वाचनों के सिलसिले में ग्वालियर-शिवपुरी निर्वाचन-क्षेत्र में व्यस्त

था, और उसे दिल्ली के दंगों का कोई भी ज्ञान नहीं था। वह दिनांक २६ प्रातः को यहां पहुंचा और उसी दिन सायंकाल में उसने एक भाषण दिया। बस, अगले दिन उसे गिरफ्तार किया गया। अब बताइये कि किस आधार पर इस प्रकार की नजरबन्दी की गई। अब देखिये कि कारण यह बताये गये : 'चूंकि आपने उन सभी जलूसों, प्रदर्शनों और सम्मेलनों को संयोजित किया जिनके कारण दिल्ली में दंगे हुये।" ऐसी बातें बिल्कुल निराधार और गलत हैं। गृह मंत्री को सदन के समक्ष क्षमा मांगनी चाहिये और उन्हें चाहिये कि वह ऐसी झूठी बातें, जो उन्होंने पुलिस की प्रशंसा में कही हैं न कहा करें। जिला मैजिस्ट्रेट का आदेश इस प्रकार था : "आप (अमुक व्यक्ति) ने अमुक दिनांक सायंकाल दीवान हाल में आयोजित बैठक का अध्यक्षत्व किया जहां इतने प्रोत्साहक भाषण हुये, अत .....।"

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): श्रीमान्, औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में आप से इस विनिर्देश के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं कि क्या ये सभी मामले नियमबद्ध हैं क्योंकि नियमबद्ध होते हुए इनका उत्तर सविस्तार होगा।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : माननीय मंत्री ने ग्वालियर में जो इश्तिहार देखे थे, वे ही तो संगत थे—निर्णयों के विनिर्देश संगत नहीं थे।

डा० काटजू: मैं ने औचित्य प्रश्न किया था—आप मेरी ओर अभिमुख होकर बोलिये जब मैं उपाध्यक्ष की ओर अभिमुख हो रहा हूं। माननीय सदस्य विशेष मामलों और विशेष वक्तव्यों की ओर निर्देश कर रहे हैं। इसके विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है। इस में इतनी खूबियां नहीं हैं जितनी आप बता रहे हैं। **(अन्तर्बाधा)**

उपाध्यक्ष महोदय: कोई भी माननीय सदस्य औचित्य-प्रश्न के लिये खड़ा हो सकता है। यदि मुझे संदेह हो और यदि अन्य सदस्यों का यह विचार हो कि अध्यक्ष-पद से विनिर्देश दिये जाने से पहले उनका मत प्रकट होना चाहिये तो निश्चय ही मैं उन्हें बोलने की आज्ञा दूंगा और वे सहर्ष अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

और इस मामले में जब तक विशेष उदाहरणों की ओर निर्देश न किया जाय तब तक यह सिद्ध करना कठिन हो जाता है कि निवारक निरोध अधिनियम उचित रूप से नहीं चल सका है अतः इसे आगे नहीं चलने देना चाहिये। किन्तु इसी के साथ ही मैं माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि वे किसी भी अन्य सदस्य की बात पर आश्चर्य प्रकट नहीं किया करें। शान्ति, शान्ति। ऐसे मौके भी हैं जब माननीय सदस्य हंसा करें। मैं माननीय सदस्यों को यह भी बतलाना चाहता हूं कि जब भी वे कोई निर्देश करना चाहते हों तो वह दूसरे पक्ष को पूरी सूचना दें ताकि उन्हें सविस्तर सूचना मिला करे। इस मामले में भी सविस्तर सूचना की ओर निर्देश किया जा सकता है ताकि यह बताया जा सके कि इस विधेयक को जारी किया जाना चाहिये या नहीं।

डा० काटजू: मैं उस विषय पर केवल एक विनिर्देश चाहता था।

डा० रामा राव (काकिनाडा): श्रीमान्, हमें बोलने का मौका मिलेगा या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय: प्रत्येक माननीय सदस्य ईमानदारी से इस बात का अनुभव करे कि उसे बोलने का मौका मिलेगा।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : श्रीमान्, इस बात पर प्रकाश डालने दीजिये कि यदि मैं किसी दलील के देते समय किसी ऐसे मामले की ओर निर्देश करूं जिसके सम्बन्ध

[श्री एस० एस० मोरे]

में सूचना नहीं दी गई हो तो क्या ह निर्देश अनियमित होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय: हर किसी बात में अपवाद हुआ करते हैं। यदि कभी ऐसी कोई घटना हो तो मैं अवश्य उसके विरोधी दल को बोलने का अवसर दूंगा।

डा० एस० पी० मुखर्जी: यह बात माननीय मंत्री पर भी लागू होगी। जब सौराष्ट्र के मामलों की ओर निर्देश किया गया था, जिन के सम्बन्ध में हमें कुछ भी मालूम नहीं था, तो हम उनकी जांच ही न कर सके क्योंकि हमें कोई पूर्वसूचना नहीं मिली थी। क्या कोई परिपत्र जारी होगा जिससे सदस्यों को सूचना मिल सके ?

उपाध्यक्ष महोदय: उपहास्यास्पद विचार प्रकट करने से कोई लाभ नहीं। जहां कहीं भी आवश्यक और संभव हो, मैं अवश्य सूचना दूंगा। मैं सदन में सदस्यों से उनके बोलने के अधिकार नहीं छीनना चाहता किन्तु जहां भी अनुचित किन्तु सत्य घटनायें उद्धृत की जा रही हों, जिनसे यह सिद्ध होता हो कि विधेयक को जारी नहीं किया जाना चाहिये वहां सरकार को उसकी सूचना दी जानी चाहिये। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक विषय में सविस्तर वाद-विवाद हो और कोई भी सदस्य अन्य सदस्यों का विचार सुन कर अचम्भे में न पड़ जाये। एक ही विचार, वह चाहे भला हो या बुरा, सारे देश पर नहीं छा जाना चाहिये।

डा० काटजू: श्रीमान्, औचित्य-प्रश्न के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। मैं इस बात पर आपत्ति नहीं करता कि कोई सदस्य निर्णयों से उदच्छेद उद्धृत करे, किन्तु मैं जिस औचित्य की बात पर आपका विनिर्देश चाहता हूं, वह यह है कि क्या सदस्यों को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वह किसी ऐसे पदाधिकारी के चरित्र पर आरोप लगायें जो सदन में उपस्थित नहीं हो, और जिसका मामला किसी न्यायालय के समक्ष नहीं आ चुका हो।

उपाध्यक्ष महोदय: इस प्रकार की बात नहीं कि प्रत्येक मामला न्यायालय के समक्ष लिया जाता हो और उस पर निर्णय मिलता हो। अत: एक, यदि कुछ सम्बद्ध पदाधिकारियों पर आरोप लगाये जाते हों तो इस देश के सभी पदाधिकारियों के प्रभारी माननीय मंत्री को इस बात का अधिकार होगा कि उनके हितों का परित्राण कर ले।

श्री एन० सी० चटर्जी: मैं ने आपसे सविनय यह निवेदन किया था कि यदि आप १८ ख विनियम को निवारक निरोध के लिये रखना चाहते हों तो भारत के गृह मंत्री अथवा सम्बद्ध राज्य के गृह मंत्री तक ही यह अधिकार सीमित होना चाहिये कि वह परीक्षा, अथवा वास्तविक अपराध की जांच किये बिना उस व्यक्ति को कारावास में रखें। डा० काटजू का कहना है कि मेरी बात उनकी समझ में नहीं आती। कितना ही अच्छा होता कि उन्होंने लिवरसिज मामले में लार्ड मैकमिलन का ऐतिहासिक निर्णय पढ़ा होता जिसमें उन्होंने उस विशेष अधिकार का उल्लेख करते हुए कहा है कि राज्य-मंत्री अथवा राज्य के उच्च पदाधिकारियों को ही अंग्रेजी रक्षा विनियम १८ ख का अधिकार प्राप्त होना चाहिये। मैं बिल्कुल सीधे और कोमल शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान का अनुच्छेद २२ इस लोकतन्त्र पर एक धब्बा है। आप इंगलैण्ड और अमरीका को ही देख लीजिये: इंगलैंड में प्रत्याभूत स्वतन्त्रता नहीं है न तो मूल अधिकार हैं। किन्तु वहां हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्राप्त है। संयुक्त राज्य अमरीका के सब से बड़े विधिवेत्ता श्री वेबस्टर ने डार्टमाऊथ मामले में विधि के सम्बन्ध में यह निर्णय दिया है कि जो भी बात विधिपूर्वक हो और जिस में

अपराध के आरोप से पहले सुनाई होती हो, वही कानून है।

इंगलैंड और अमरीका में उसी समाज को सभ्य और लोकतन्त्रात्मक माना जाता है जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना सुनाई के दण्ड नहीं दिया जाता हो। ऐसा कानून जिसमें इस प्रकार की बात न हो, विधिविहीन समझा जाता है।

इसी तरह हमने अपने यहां के संविधान की प्रस्तावना में कहा है: "हम न्याय के लिये ही भारतीय गणतंत्र की रचना कर रहे हैं।" किन्तु अभी हमारे यहां कभी भी न्याय नहीं हुआ।

माननीय मंत्री ने गोपालन के मामले में एक निर्णय का उद्धरण दिया। मैं उन्हें इसी मामले के दो निर्णयों के उदाहरण सुना दूंगा। पहला न्यायाधीश महाजन के निर्णय से उद्धृत करूंगा:

"लोकतंत्रात्मक संविधानों के लिये निवारक निरोध कानून बहुत ही विपरीत होते हैं और संसार के किसी भी लोकतन्त्र में ऐसे कानून नहीं हैं।"

और दूसरा उद्धरण बहुमत के निर्णयदाता श्री मुखर्जी के निर्णय में से उद्धृत करूंगा:

"इस प्रकार का निरोध अमरीका वाले भी नहीं जानते। इंगलैंड में इस कानून को युद्धकाल में लागू किया गया था, और जहां तक मुझे ज्ञात है, संसार के किसी भी देश में इसे संविधान का एक साधारण अंग नहीं बनाया गया है, जब कि भारत में इस प्रकार की बात हुई है। यह तो दुर्भाग्य है, और इसे जनता की स्वतंत्रता पर एक निर्बन्ध समझा जाना चाहिये।"

अमरीका के एक बड़े विधिवेत्ता-विधि-जीवी प्रो० श्वार्ज ने इण्डियन ला रिव्यू में एक लेख छपा था। मैं समझता हूं डा० काटजू ने उसे पढ़ा होगा। क्योंकि वह इस विधि-पत्रिका में रुचि लेते रहे हैं।

डा० काटजू: मैंने कानून की रिपोर्टों का अध्ययन छोड़ दिया है।

श्री एन० सी० चटर्जी: यदि ऐसी बात है तो मुझे सारे भारत और माननीय मंत्री के लिये बड़ा खेद है। ऐसी बात का होना बहुत ही असुविधाजनक है, किन्तु हमने उसके समक्ष इसको प्रस्तुत किया है। प्रो० श्वार्ज के लेख का शीर्षक "गोपालन के मामले का तुलनात्मक अध्ययन" था; यह स्मरण रहे कि प्रो० श्वार्ज तुलनात्मक न्यायशास्त्र के जगत् में एक बड़े न्यायशास्त्री हैं। उन्होंने जो शब्द कहे थे, वह इस प्रकार हैं: "शान्तिकाल के लिये संयुक्तराज्य अमरीका या इंगलैण्ड में इस प्रकार का कोई भी कानून नहीं है।" मैं इस प्रकार के विधान को विधिविहीन विधान कहता हूं क्योंकि इससे न्याय के कुछ एक मूल सिद्धान्तों के प्रति द्रोह हो जाता है, और ऐसी बात किसी भी सभ्य विधि-प्रणाली में वर्तमान नहीं। हां, अलबत: तभी ऐसी बात हो सकती है जब देश पर संकट स्थिति आ गई हो, किन्तु मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि भारत में इस प्रकार की स्थिति नहीं है। आप भारत की स्वतन्त्रता का इतिहास देखिये। आपको एक विशिष्ट बात मिलेगी, वह यह है कि महात्मा गांधी और कांग्रेस ने रावलट अधिनियम का विरोध किया था। पंजाब में अराजकता और बरबादी क्यों फैली? जलियानवाला बाग हत्या कांड क्यों हुआ, और सत्याग्रह आन्दोलन में दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में, जब गांधी जी ने रावलट अधिनियम का विरोध किया था, खून की नदियां क्यों बहीं? वह अधिनियम क्या था? वह तो यही निवारक निरोध अधिनियम था जिसके विरोध में इतने सारे कांड हुए थे। इंगलैंड के एक बड़े न्यायाधीश को बुलाया गया, और एक संगठित समिति

[श्री एन० सी० चटर्जी]

ने इस बात का पता चलाया कि "देश में एक सुगठित आतंकवादियों का आन्दोलन चल रहा है।" बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में लोगों को गोली से उड़ाया गया। आज हम हर वर्ष उन ही शहीदों के नाम पर एक दिवस भी मनाते हैं। महात्मा गांधी ने इसी अधिनियम का विरोध करते हुए कहा था कि एक मुट्ठी भर मनुष्यों के लिये सारे देश को क्यों बरबाद किया जा रहा है, और यह अधिनियम संविधि-पुस्तक में क्यों रखा जा रहा है। अब आप सौराष्ट्र सरकार को ही लीजिये। वहां का मंत्रिमंडल पूर्णतया अयोग्य और अक्षम था। उन्हें पदच्युत किया जाना चाहिये था क्योंकि वे आपस में ही लड़ रहे थे। इतने वर्ष आप को निवारक निरोध अधिनियम चलाने का अधिकार प्राप्त था; तो आपने वहां इसे लागू क्यों नहीं किया ?

आप निवारक निरोध अधिनियम के बल पर भारत का शासन नहीं चला सकते। आप सभी को इस बात का स्मरण करना चाहिये कि अब स्वेच्छाचारिता का युग समाप्त हो चुका है। मुझे खेद है कि मेरे माननीय मित्र इस प्रकार की कमजोर दलीलें दे कर अनुचित रूप से हम पर आरोप लगा रहे हैं।

निर्वाचक-नामावलियों पर १६ करोड़ लोगों के नाम थे जिन्होंने साधारण चुनाव लड़े। इस लोकतंत्रात्मक प्रणाली में यह एक बड़ा भारी प्रयोग हुआ, और सफल भी रहा। किसी भी साम्यवादी, समाजवादी, कांग्रेसी अथवा संप्रदायवादी दल ने इस प्रकार की ऐसी कोई भी गुंडागर्दी नहीं की, और निर्वाचन सुभीते से हुआ और आजकल ये सभी दल संविधान के अनुसार कार्य भी कर रहे हैं। मैं अपने माननीय मित्र को याद दिलाना चाहता हूं कि अब वह जमाना नहीं रहा कि धौंस या धमकी से कोई काम कराया जाय। जो भी कोई काम होगा प्रेम और स्नेह से होगा। इस प्रकार के धमकियों भरे कानून अब बिल्कुल बेकार हैं।

भारत में कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है कि इस प्रकार के कानून को लागू किया जाय। आपने नियंत्रण हटा लिये हैं; अब आप विनियंत्रण पर प्रयोग कर रहे हैं: इसी प्रकार आप स्वतंत्रता पर से भी नियंत्रण क्यों नहीं हटाते, और इस दबाव को क्यों समाप्त नहीं करते ? मैंने सर्वोच्च न्यायालय के गलियारों में श्री गोपालन जैसे व्यक्तियों को और उन अन्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों को धक्के खाते देखा जिन्होंने गांधी जी के वचनों का पालन किया था। अब, गांधी जी के बाद, इस स्वतंत्र भारत में वे लोग जेलों में सड़ रहे हैं। कितना ही दुःख है और कैसी ही विडम्बना है ! भारत तबाही की ओर जा रहा है, और मैं चाहता हूं कि हमारा देश इस तबाही से बच जाय। अब तो राज्य की धारणा बदल चुकी है: राज्य को चाहिये कि कानून बनाने के साथ २ उसकी वैधानिकता पर भी ध्यान दिया करे। मैं अपने माननीय मित्रों से यह प्रार्थना करता हूं कि वे इस बात को ध्यान में रखें कि किसी भी प्रशासन में इस प्रकार के खतरे शुरू से ही हुआ करते हैं। मैं पुनः यही बता दूंगा कि दबाव से घृणा फैल जायेगी और घृणा से घृणा को ही बढ़ावा मिलेगा। इस निवारक निरोध विधेयक से सारे राष्ट्र पर एक आपत्ति टूट पड़ेगी, अतः मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को रद्द कर दिया जाये। आप भारत को इस बात का अवसर दीजिये कि वह निर्बाध रूप से स्वतन्त्र रह सके, तभी आपको यह सिद्ध होगा कि इससे कितनी सफलता मिल चुकी है। कांग्रेस के सिद्धान्त तब तक पूरे नहीं उतरेंगे जब तक आप इस प्रकार की रुकावट को दूर नहीं करते। मैं पुनः आप से प्रार्थना करूंगा कि आप इस पर विचार करें।

श्री डी० डी० पन्त (जिला अलमोड़ा—उत्तर-पूर्व) : विगत वर्ष माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि संसद् के प्रत्येक मिनट का मूल्य ५० रुपये है, और इस वर्ष चूंकि संख्या बढ़ चुकी है अतः मूल्य भी १०० रुपये प्रति मिनट का होगा, अतः मैं ने सोचा था कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। किन्तु मुझे बोलने का प्रोत्साहन मिला है, अतः मैं कह देना चाहता हूं कि विगत संसद् में मैं निवारक निरोध अधिनियम पर आपत्ति किया करता था, और श्री राजगोपालाचार्य के समय में मैंने उनसे यह प्रतिज्ञा कराई थी कि इस विधेयक को समुचित रूप से लागू किया जायेगा, किन्तु इधर किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की सूझ-बूझ से यह विधेयक अनुच्छेद २२ का अंग बना दिया गया है। इस अधिनियम का विरोध केवल दो दलों ने—साम्यवादियों तथा संप्रदायवादियों ने किया है (**कई माननीय सदस्य:** नहीं, नहीं।) मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वे शान्ति और हिम्मत से काम लें। यही क्या कम है कि उन्होंने मतगणना के समय हार खाई है।

जहां तक सम्प्रदायवादियों का प्रश्न है, मैं डा० श्याम प्रसाद मुकर्जी से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जब इस प्रकार कहा है कि संसार में और कहीं भी इस प्रकार का अधिनियम नहीं बनाया गया है, तो भारत में ही क्यों इसको लागू किया, तो क्या उन्होंने यह नहीं सोचा कि भारत को छोड़ कर संसार में और किसी जगह पर ऐसी स्थिति नहीं है। मैं उन से यह भी पूछना चाहता हूं कि संसार के किस भाग में स्वतंत्रता के जन्मदाता को मारा गया ?

इसके पश्चात् मैं श्री चटर्जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इंग्लैंड में संप्रदायवादी हैं जो वहां पर निवारक निरोध अधिनियम लागू किया जाय? क्या इंग्लैंड में भी ऐसा होता है कि यदि कोई लड़की किसी युवक से विवाह करना चाहती हो तो उसे रोका जाता हो ?

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : सम्राट् एडवर्ड अष्टम को तो इसी कारण राजगद्दी को त्यागना पड़ा।

श्री डी० डी० पन्त: श्री चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के विरोध के बावजूद भी मुझे यहां के लिए चुना गया। क्या मैं उन्हें यह बतला दूं कि कांग्रेस की उदार नीति के कारण ही उन्हें सदस्यता प्राप्त हुई ? यदि यहां भी चीन और रूस के समान राज्यतन्त्र और चुनाव होते तो हमने अपने सब विरोधियों को समाप्त किया होता। वह कहते हैं कि इंग्लैंड में इस प्रकार नहीं होता, तो क्या वह यह बता सकते हैं कि इंग्लैंड को छोड़ कर और किस देश में सम्राट् और उस के बड़े लाट पादरी को मारा गया। भिन्न देशों में भिन्न प्रकार के ढंग होते हैं। (**अन्तर्बाधा**)।

उपाध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। चलन्त टिप्पणी की कोई भी आवश्यकता नहीं।

डा० एस० पी० मुखर्जी : हम चाहते हैं कि माननीय सदस्य का भाषण प्रश्नात्मक शैली में नहीं होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो अपनी २ शैली की बात है आप से यह आशा नहीं की जाती कि आप तत्काल इन प्रश्नों का उत्तर दें।

डा० एस० पी० मुखर्जी : अथवा उनका उत्तर ही नहीं दें।

श्री डी० डी० पन्त : यदि हम भी चाहते तो यहां वैसा लोकतन्त्र बना सकते थे; किन्तु वैसी स्थिति में उन के लिये यहां का सदस्य बनना संभव नहीं था, न तो वह इस प्रकार विधेयक का विरोध कर सकते थे। यह विधेयक बहुत ही ईमानदारी से प्रस्तुत किया गया है। मैं अपने शैशव के निजी अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूं कि विध्वंसकारी अथवा आतंकवादी सदस्यों पर नियंत्रण बिठाने के लिये

[श्री डी० डी० पन्त]

इससे बढ़कर और कोई भी अहिंसात्मक बर्त्ताव नहीं हो सकता। गांधीवादी अथवा अहिंसात्मक उपाय तो एक ही है कि शरारती लोगों को बन्द कर दिया जाय और अपने आपको सुधारने का मौका दिया जाय। हां, यह एक जुदा बात है कि प्रशासन में कुछ त्रुटियां हों, किन्तु उनको दूर भी किया जा सकता है। मेरे मित्र श्री हिरेन मुकर्जी ने पांच या छः उदाहरण दिये हैं। भला ३५ करोड़ व्यक्तियों की आबादी में ५ या ६ उदारहणों से क्या हो सकता है।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं ५ सौ घटनायें सुना दूंगा।

श्री डी० डी० पन्त : शरारती बच्चों को सुधारने के लिये हमें कोई उपाय करना है, और निवारक निरोध अधिनियम से बढ़ कर और कोई भी उपाय नहीं। साम्यवादी दल अभी एक नवजात दल है, अतः उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। किन्तु मैं उन्हें यह सुझाना चाहता हूं कि उन का इस प्रकार का व्यवहार किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। मैं स्वयं साम्यवाद का छात्र रहा हूं और अभी भी साम्यवादी साहित्य का अध्ययन कर रहा हूं। यदि आप मुझे किसी वाद में नहीं ढकेलना चाहते हों तो मैं यहां तक कहूंगा कि मैं साम्यवादी हूं। मैं चाहता हूं कि साम्यवाद इस देश में पनपे किन्तु मैं यह नहीं चाहता हूं कि इस को भारत पर लादा जाय। आप लोगों के सामने रूस की क्रान्ति का इतिहास है, उनके पास, कदाचित्, और कोई भी अच्छा तरीका नहीं था जिससे वे वतंत्रता प्राप्त कर सकते। मुझे अपने साम्यवादी मित्रों से कोई शत्रुता या द्रोह नहीं, लेकिन मैं उन्हें यह चेतावनी देना चाहता हूं कि वे राजनीतिक क्षेत्र में अभी बच्चों के समान खेल रहे हैं और एक ही दिन में क्रान्ति करना चाहते हैं। सारे देश में साम्यवाद की मांग है, और यदि वे सचमुच देश में साम्यवाद फैलाना चाहते हैं तो उन्हें सरकार को सहयोग देना चाहिये और शान्तिपूर्वक, अहिंसात्मक ढंग से काम में अग्रसर होना चाहिये ताकि एक उचित एवं अहिंसात्मक रूप में साम्यवाद का दौर-दौरा हो।

पंडित ए० आर० शास्त्री (जिला आजमगढ़—पूर्व व जिला बलिया—पश्चिम): कोई भी व्यक्ति साम्यवाद नहीं चाहते।

श्री डी० डी० पन्त : मैं समझता हूं कि इस विधेयक को पारित करते हुये हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। सभी देशों की अपनी अपनी नीति होती है। और यहां भारत में भी नागरिक स्वातंत्र्य को बनाये रखने के लिये हम इस प्रकार का अधिनियम बनाने में बाध्य हैं।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : जब से भी यह निवारक निरोध चालू किया गया—वह चाहे निवारक निरोध अधिनियम, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम अथवा भारत रक्षा अधिनियम के रूप में सामने आया हो—मैं १९४१ से १९५१ तक इसका शिकार रहा। मैं १९४१ में, माननीय गृह मंत्री के कहने के अनुसार, मैं और मेरे साथी इसलिये बन्द किये गये थे, चूंकि हम सरकार की 'सहायता' करते थे। १९४५ में स्वतंत्र था। १९४७ में मैं पुनः नजरबन्द किया गया और १९५१ में रिहा किया गया। पांच बार मैं इसका शिकार हुआ हूं और इसलिये आपको यह सिद्ध करना चाहता हूं कि निवारक निरोध अधिनियम और भी कई व्यक्तियों पर लगाया गया। यह विधि विहीन कानून है जिसे न्यायाधीशों, दण्ड प्रक्रिया संहिता, अन्य अधिनियमों और देश के अन्य कानूनों का समर्थन प्राप्त नहीं है।

सर्वप्रथम, यह सब से आवश्यक बात है कि जनमत जानने के लिये इस विधेयक को परिचालित किया जाना चाहिये। बंगाल और बम्बई के बहुत से विधिवेत्ताओं ने इस विधेयक के लिये प्रतिनिधान भेजे हैं जिन्हें मैं सदन पटल पर रख

देता हूं। यों तो इस देश का यह मत है कि निवारक निरोध अधिनियम कतई हटना चाहिये, क्योंकि अपराधों को दण्डित करने के लिये भारत में कई अन्य कानून हैं, जिन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है।

अभी कुछ देर पहले कहा गया था कि केवल पांच मामलों का निर्देश किया जा चुका है। मैं आप को यह बतलाना चाहता हूं कि लगभग ९५% ऐसे मामले हैं, जिन में अन्तग्रस्त नजरबन्द व्यक्तियों की बन्दी के लिये कोई भी विशेष कारण नहीं था।

माननीय मंत्री ने बतलाया कि चनाव लड़ते समय पूरी पूरी स्वतंत्रता दी गई थी, किन्तु मैं उन्हें इस बात का स्मरण कराना चाहता हूं कि त्रावनकोर-कोचीन की साम्यवादी पार्टी तथा ६० अन्य संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। इधर १५ साम्यवादी नेता हैं और अन्य त्रावनकोर-कोचीन की विधान-सभा में हैं। उस समय उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर रिहा किया गया, और जब उन्हें इस बात पर विचार करना पड़ा कि चुनाव लड़ने चाहियें या नहीं तो उन्हें इस बात के लिये पुनः बन्द किया गया कि वे कोई अवैध बैठक बुला रहे थे और बाद में चुनाव समाप्त होने के बाद ही उन्हें रिहा किया गया। त्रावनकोर-कोचीन में जिन्हें भी रिहा किया गया उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया। मैं १९५१ में रिहा हुआ, और मैं ने चुनावों के लिये प्रचार करना चाहा तो उस समय मुझे उन्होंने वहां प्रवेश करने तक की भी आज्ञा नहीं दी। हैदराबाद में भी मुझे वहां के जिला मैजिस्ट्रेट ने प्रचार करने अथवा बोलने की आज्ञा नहीं दी यद्यपि मैं ने उसे उस भाषण की अग्रिम प्रति भेजने का वचन भी दिया। मैं इस प्रश्न के विस्तार में नहीं जाना चाहता। उक्त अधिनियम की धारा ३ का पाठ इस प्रकार है:

"केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार चाहे तो—(क) यदि किसी भी व्यक्ति के सम्बन्ध में उसे संतोष प्राप्त हो कि उसे किसी भी विशेष प्रकार के आचरण से, जो निम्नलिखित बातों के विरुद्ध हो, रोकने के लिये—

(२) राज्य-सुरक्षा अथवा सार्वजनिक शान्ति की व्यवस्था

(ख) यदि किसी भी व्यक्ति के सम्बन्ध में उसे संतोष प्राप्त हो जो विदेशी अधिनियम, १९४६ के अनुसार एक वैदेशिक है..."

इस धारा ३ के अनुसार दो शर्तें हैं। आदेश जारी करने वाले व्यक्ति को इस बात की तसल्ली होनी चाहिये कि अमुक व्यक्ति को उस विशेष गतिविधि से रोकना चाहिये, और यह भी कि उस रोक के लिये निवारक निरोध अधिनियम ही एक मात्र उपाय है। किन्तु मेरे मामले में क्या हुआ? मान लीजिये कि मैं भाषण देना चाहता हूं। यदि मेरे भाषण से शान्ति और व्यवस्था को कुछ खतरा पहुंचता हो तो दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार मुझे रोकने के लिये धारा १४४ का प्रयोग हो सकता है, ताकि मैं बोल न सकं और धारा ३ के अनुसार यह तभी हो सकता है जब आदेश जारी करने वाले को इस बात की तसल्ली हो कि निवारक निरोध अधिनियम ही एकमात्र उपाय है। जहां तक मेरे बन्द किये जाने और रिहा होने का प्रश्न है, मुझे किसी न किसी बहाने गिरफ्तार किया गया और फिर रिहा कर दिया गया। हुआ यह था कि मामूली पुलिस वालों ने मेरे भाषणों का संवाद दिया था और झूठी बातें लिखी थीं। जब ब्रिटिश युग में, १९४१ में मुझे बन्द किया गया था तो मुझ से कहा गया कि मैं ने १९३६ में कांग्रेस आन्दोलन में भाग लिया था, किन्तु १९५१ में जैसा किसी सदस्य ने कहा है, मुझे किसी अहिंसात्मक कार्य के लिये बन्द किया गया। बन्दी के कारण यों बताये गये हैं:—दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०९ के अन्तर्गत मैं चूंकि बाध्य था और १७-१२-१९३६ को ९ महीने के लिये जेल भेजा गया था। १९३७ में चुनावों से पहले ब्रिटिश सरकार

[श्री ए० के० गोपालन]

ने कहा कि मैं ने १९३६ में बहुत गड़बड़ी फ़ैलाई थी, अतः उसी बात के आधार पर मझे १९३६ में बन्द किया गया। ब्रिटिश ज़माने में ऐसी बात ठीक थी किन्तु १९५१ के कांग्रेस के ज़माने में मुझे इस बात के आधार पर बन्द नहीं किया जाना चाहिये था कि मैं ने १९३६ में कांग्रेसी प्रचार किया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री महाजन ने भी मद्रास के महाधिवक्ता से यही कहा कि १९३७ के देशभक्त को अब क्यों बन्द किया जा रहा है। और अब १९५१ की बात सुनिये। बन्दी बनाने के कारण यों है :—श्री ए० के० गोपालन, जो १९४७ में केरल कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष थे, ने चूंकि पद को त्याग दिया और कालीकट निर्वाचन-क्षेत्र से एक साम्यवादी उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ने के लिये खड़ा हुआ, और ८,००० रुपये की निधि का संग्रह किया, कांग्रेसी पदाधिकारियों पर दोष आरोपित किये, चोरबाज़ारियों के सम्बन्ध में पूछताछ की मांग की—आदि, आदि—और कई राजनीतिक मामलों में भाग लेता रहा।

इसी तरह १९४६ में भी हड़ताल करवाने का दोष आरोपित हुआ, जो हड़ताल दैनिक मजदूरी बढ़वाने के लिये कराई गई थी। १९४७ में मुझे नजर बन्द किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो माननीय सदस्य की गतिविधियों की मात्र संक्षिप्त रूपरेखा है।

श्री ए० के० गोपालन : हां, ठीक है कि यह एक रूपरेखा ही है किन्तु मैं यह जानना चाहता था कि चोरबाजारियों के विरुद्ध आवाज उठाने और उन पर आक्रमण करने की बात को किस किस प्रकार राज्य की सुरक्षा और शान्ति-व्यवस्था के विरुद्ध समझा गया। यदि मैं ने कुछ कहा होता और उस के लिये यदि मुझे फांसी पर भी लटकाया गया होता तो मैं बुरा नहीं मानता, किन्तु यहां इस नजरबन्दी के आदेश में, यह आज चाहे कुछ भी हो, यह कहा गया है कि मैं १९४७ में केवल कांग्रेस कमेटी का भूतपूर्व अध्यक्ष और एक कांग्रेसी रहा था। और १९५१ में यदि उन्हें और कोई भी कारण नहीं था तो उन्होंने इसी बात के आधार पर मुझे नजरबन्द किया कि मेरे विरुद्ध कई अभियोग थे। १७–१२–१९४७ को मैं ने सत्र न्यायालय से रिहाई के लिये अपील की किन्तु मैं रिहा नहीं किया गया। मैं ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थना-पत्र भेजा कि मुझे अपने अभियोग की पैरवी करने की आज्ञा दी जाय, और चूंकि उन अभियोगों में जमानत दिये जाने के योग्य अपराध थे, अतः मैं ने रिहाई की प्रार्थना की। जब मैं ११–२–१९४८ को रिहा किया गया...

श्री आर० जी० दुबे (बीजापुर उत्तर): श्रीमान्, औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं। माननीय सदस्य ३० मिनट तक बोल चुके हैं—हम यहां किसी की जीवन-कथा सुनने नहीं आये हैं...

श्री चट्टोपाध्याय (विजयवाड़ा) : श्रीमान्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री गोपालन का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस में निवारक निरोध अधिनियम के बड़े उदार पहलू हमारे सामने आ चुके हैं। अतः हम इस के सम्बन्ध में कुछ जानना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस में नियम का कोई भी प्रश्न पैदा नहीं होता। माननीय सदस्य मुझे अनुदेश नहीं दिया करें। जब भी औचित्य प्रश्न उठाया जाय, उन्हें मुझे अपना विनिर्देश सुनाने का मौका देना चाहिये। संदेह की स्थिति में मैं उन का सुझाव लिया करूंगा। प्रस्तुत मामले में माननीय सदस्य ने ऐसी बातें सुनाई हैं जो विवादास्पद हो सकती हैं। अतः

समय बचाने के लिये सब से अधिक अच्छा काम यही होगा कि किसी भी माननीय सदस्य पर कोई आरोप न लगाया जाय। मैं यह चाहूंगा कि माननीय सदस्य इतनी विस्तृत बातें न बतायें : यदि वह ऐसी बातें कहेंगे तो दूसरे पक्ष वाले उस की छानबीन चाहेंगे। अतः मैं इस विषय में पूरी सूचना चाहता हूं।

११ म० पू०

श्री ए० के० गोपालन : चूंकि इस अधिनियम में बहुत सी अनियमिततायें रही हैं अतः मैं विस्तार में जाना चाहता हूं। मुझे देश भर के इतिहास में कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला है जिस में किसी व्यक्ति को 'दोषयुक्त नजरबन्द' समझा गया हो। चूंकि मेरे साथ इस प्रकार की घटनायें बीत चुकी हैं अतः मैं कहने पर विवश हो जाता हूं। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति इन्हें गलत समझता हो, तो मैं भाषण बन्द कर दूंगा। मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसे जेल में होते हुये भी पांच बार नजरबन्दी का आदेश सुनाया गया। ५ फरवरी, १९४७; २७ अप्रेल, १९४८; १८ नवम्बर, १९४८; १७ फरवरी, १९५० और २२ फरवरी, १९५१ को मेरे पास नजर-बन्दी के आदेश भेजे गये थे जिन में कहा गया है कि नजरबन्दी के ये आदेश बिल्कुल अवैध हैं। मैं संक्षिप्त में इस बात की ओर निर्देश करना चाहता था कि...

श्री आर० जी० दुबे : श्रीमान्, सूचना प्रश्न के लिये...

कई माननीय सदस्य : शान्ति, शान्ति।

श्री आर० जी० दुबे : औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में, श्रीमान्। यह संगत है कि...

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। भले ही कोई भी संगति हो किन्तु जब तक माननीय सदस्य बोल रहा हो, तब तक शान्ति बनाई रखनी चाहिये। माननीय सदस्य कृपया अपनी जगह पर बैठ जायें।

श्री आर० जी० दुबे : श्रीमान्, क्या मुझे यह निवेदन करने की आज्ञा है...

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। वह अपनी सूचना कहीं लिख रखें और माननीय सदस्य का भाषण समाप्त होने के बाद प्रश्न करें। यदि माननीय सदस्य चाहें तो इसका उत्तर दें, अथवा नहीं। कोई भी बाधा नहीं डाली जाये। माननीय सदस्य भाषण जारी रखें।

श्री ए० के० गोपालन : मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, उसके लिये मेरे पास रिकार्ड मौजूद है। जेल के जीवन में जब कभी भी मेरे पास कोई नोटिस या आदेश आया तो उस में यही लिखा था कि चूंकि मेरे रिहा होने से लोक-व्यवस्था और शान्ति को खतरा पहुंचेगा, अतः मुझे बन्द किया जायेगा।

पुनः, जब मैं जेल में था तो मेरी बन्दी प्रत्यक्षीकरण की याचिका पर निर्णय सुनाया गया और उसी दिन मुझे एक और आदेश मिला कि मुझे नजरबन्द किया गया। तो एक ही रोज़ मुझे दो न्यायालयों से दो विपरीत आदेश मिले—अन्तर केवल आधे घंटे का रहा। इतना तक भी नहीं किया गया कि मुझे एक बार रिहा कर के पुनः बन्द कर लिया जाता। मैं पूछता हूं कि जब किसी भी प्रकार का दोष सिद्ध नहीं होता तो हम लोगों को क्यों बन्द किया जाता है। वास्तव में सारे शासन में एक धांधलेबाजी चल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार की बातें हो रही हैं।

चार वर्ष की नजरबन्दी की अवधि में ने एक के बाद दूसरी कुल १५ बन्दी प्रत्यक्षी-करण याचिकायें फायल की हैं, और ऐसा हुआ कि एक मामले या अभियोग पर निर्णय मिलने से पहले ही मुझको किसी दूसरी बात के लिये नजरबन्दी का आदेश सुनाया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य के मामले में साधारण कानन प्रभावहीन है।

पंडित ए० आर० शास्त्री: यह सारा मामला बहुत ही वैयक्तिक बनता जा रहा है।

श्री ए० के० गोपालन: मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि क्यों ये लोग किसी निर्णय के दिये जाने से पहले ही निवारक निरोध या कोई अन्य आदेश सुनाते हैं। जब कार्यकारी पदाधिकारियों को इतना भी पता नहीं कि निर्णय क्या है तो वे किस प्रकार पहले से ही नजरबन्दी का आदेश तैयार कर देते हैं? मद्रास के उच्च न्यायालय ने एक बार न्यायालय का अपमान समझ कर उन कार्यकारी पदाधिकारियों को बुला भेजा और उन से व्याख्या मांगी। जेल की चार दीवारी के अन्दर होते हुये भी नजरबन्दी का आदेश दिया जाता है। आप अपराधी हों तो आप अपराधयुक्त नजरबन्द हैं। आप मुक्त हो जाते हैं तो आपको एक और नजरबन्दी आदेश दिया जाता है। इस से यही सिद्ध होता है कि इस निरोध अधिनियम का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड में २ जुलाई को छपे समाचार से आपको इस बात का साक्ष्य मिल सकता है कि किस प्रकार किसी साम्यवादी के नाम का एक और व्यक्ति श्री अच्छर सिंह नजरबन्द किया गया; जिसके लिये, बाद में, वहां के मुख्य मंत्री श्री भीमसेन सचर को क्षमा मांगनी पड़ी। तो इस प्रकार इस समाचार से आपको पता चला होगा कि पुलिस किसी सचर...

डा० एस० पी० मुखर्जी: सचर नहीं। वह मुख्य मंत्री हैं।

श्री ए० के० गोपालन: इस में दो नाम हैं। एक नाम मुख्य मंत्री सचर का है, और दूसरा नाम अच्छर सिंह का है जिसे पुलिस चाहती थी।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे अधिकृत दस्तावेजों से ही उद्धरण पढ़ कर सुनायें।

श्री ए० के० गोपालन: मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री इस बात से इन्कार करें और बतायें कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी। पंजाब की विधान-सभा की कार्यवाही के अनुसार मुख्य मंत्री ने बताया कि दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य कहां से पढ़ कर सुना रहे हैं?

श्री ए० के० गोपालन: मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यदि यह बात गलत है तो माननीय मंत्री ही बतलायें कि मुख्य मंत्री ने जो कुछ भी कहा वह सब गलत है, और यह भी कि समाचार पत्र में झूठी खबर छपी हुई है। इसी प्रकार एक व्यक्ति पर यह आरोप लगाया गया कि उस ने एक सोवियत चित्र मंगाने की बात क्यों की, और एक और व्यक्ति पर यह आरोप लगाया गया कि उसने लाल टोपी और सफेद पाजामे क्यों पहने थे। इन ही बातों के आधार पर उन्हें नजरबन्द किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या परामर्शदात्री मंडली ने उस चित्र का पूर्वावलोकन नहीं किया था?

श्री ए० के० गोपालन: मुझे मालूम नहीं कि उस चित्र का पूर्वावलोकन हुआ था या नहीं।

उस नजरबन्दी आदेश में, नजरबन्दी के कारणों को इस तरह गिनाया गया है कि यह व्यक्ति अमुक प्रकार की साम्यवादियों की बैठकों में भाग लेता रहता है, श्रमिक संघ का सचिव है, कर्मिकों की हड़तालें करवाता है, आदि, आदि और उस ने कई स्वयंसेवकों को इस काम के लिये तैयार रखा है, और यह सदा ही लाल टोपी और सफेद पाजामे पहनता है।

उपाध्यक्ष महोदय: हो सकता है कि उस व्यक्ति को पहचानने के लिये इस प्रकार कहा गया हो।

श्री ए० के० गोपालन : यदि मात्र पहचान के लिए ऐसी बात कही गई होती तो इसे नजरबन्दी के कारणों में नहीं गिनवाया जाना चाहिये था। यह तो उस सम्बद्ध पदाधिकारी की निरी मूर्खता बताता है। भला लाल टोपी और सफेद पाजामे पहनने से लोक व्यवस्था या शांति को क्या खतरा पहुंच सकता है। उस की नजरबन्दी के आदेश में कोई भी ऐसी बात नहीं कि उस ने इस प्रकार का अमुक कार्य किया जिस से लोकशांति भंग हुई। अब आप एक और नजरबन्द का अपराध-पत्र देख लीजिये।

"लोकशान्ति के लिये कानून और व्यवस्था का पालन—जिला किस्तना—मनिकोंडा सूर्यवती—इस स्त्री का स्वामी मनिकोंडा सुब्बाराव जिले का एक उत्साही साम्यवादी है।" तो इस प्रकार की बात के आधार पर सभी साम्यवादियों के पति अथवा पत्नियों को नजरबन्द किया जा सकता है। इसी मामले से सम्बन्धित नजरबन्दी के आदेश में इस महिला पर यह आरोप लगाया गया कि इस ने महिला रणस्थल का संगठन किया और २०,००० रुपये की संपत्ति पार्टी को भेंट की।

इस सब से यही सिद्ध होता है कि मनिकोंडा सूर्यवती को केवल इस बात के आधार पर नजरबन्द किया गया कि वह महिला संघ की गतिविधियों से सम्बद्ध थी और साम्यवादी दल की एक सदस्य थी और पार्टी के लिये प्रचार किया करती थी। इसी प्रकार राज्य-परिषद के सदस्य श्री के० एल० नरसिंहम् पर भी यह आरोप लगाये गये थे कि वह रेल कर्मचारी संघ का मंत्री है और उस संघ में साम्यवाद का प्रचार करता रहता है। ऐसे ही कई उदाहरण हैं जिन से यह पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी ऐसी बात नहीं जिसे नजरबन्दी के लिये एक उचित और पर्याप्त कारण समझा जाय। यदि सरकार अथवा कार्यकारी अधिकारी को किसी भी प्रकार के अपराध का ज्ञान होता तो नजरबन्दी आदेश में उसका स्पष्ट उल्लेख हुआ होता। और भी सुनिये। श्री कोमंडुरी गोपालकृष्ण पर यह आरोप लगाया गया कि वह राज्य कांग्रेस, राज्य पुलिस और इत्तिहाद उल मुसलमीन के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं जिस के परिणामस्वरूप भारत संघ, हैदराबाद आदि के सीमान्त पर स्थित गांवों में लोगों ने विध्वंसकारी हरकतें शुरू की हैं। टी० होनोच—मालाबार वासी—पर यह आरोप लगाया गया है कि वह जुलाहा संघ के एक प्रभावशाली नेता और एक साम्यवादी है। इसी प्रकार आप को अनेक उदाहरण सुना दूंगा कि अमुक व्यक्ति को इसलिये नजरबन्द किया जाता है कि उसने अमुक सभा की स्थापना की कि वह अमुक सभा का मंत्री है, कि उसने हड़ताल करवाई, कि वह एक प्रभावशाली नेता रहा—आदि, आदि।

श्री रामनाथन के अभियोग की कार्यवाही में न्यायाधीशों द्वारा दिये गये निर्णय को पढ़कर आपको पता चलेगा कि उन्होंने नजरबन्दी के कारणों पर कितना ही असंतोष प्रकट किया है, और कहा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि अमुक व्यक्ति की किसी गतिविधि का विध्वंसकारी अथवा अराजकतावादी, आपत्तिजनक अथवा आतकवादी समझा जाय और उसे नजरबन्द किया जाय। मैं आप को ऐसे हजारों व्यक्तियों के नाम गिना दूंगा जिन्हें १९४८ से १९५१ तक गिरफ्तार करके नजरबन्द किया गया, और जिनकी नजरबन्दी का कोई भी ठोस कारण नहीं था। मैं केवल इतना कहना चाहता था कि नजरबन्दी कानून के अतिरिक्त कई ऐसे कानून थे जिन के अन्तर्गत इन्हें दण्ड दिया जाता। मैं आपको बतला चुका हूं कि सम्बद्ध पदाधिकारियों का यह कर्त्तव्य है कि जब भी वे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करें तो इस बात की जांच करें कि क्या उसे उचित आदेश के आधीन नजरबन्द किया गया है और उसकी ठीक जांच की गई है, और जब उसके विरुद्ध अभियोग फाइल

[श्री ए० के० गोपालन]

किया गया हो तो उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार एक ऐसा अवसर दिया जाना चाहिये कि वह जमानत दे सके। इस प्रकार का व्यवहार की जमानत मांगने के समय नहीं बल्कि उस से तीन-चार महीने बाद जमानत लेना और फिर कहना कि मैं नजरबन्द किया गया हूं—निश्चय ही एक विधिविहीन विधि है। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी मामलों म निवारक निरोध अधिनियम को इस प्रकार काम में लाया गया है कि वे सभी अपराध या आरोप जिनके लिये किसी व्यक्ति को नजर-बन्द किया जाता है, यदि किसी न्यायालय के समक्ष जांच के लिये प्रस्तुत किये जायें तो वहां उन आदेश जारी करने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी। यदि आप वास्तव में किसी व्यक्ति को किसी हत्या या और किसी अपराध के लिये गिरफ्तार करना चाहते हों, तो आप उसे अपनी सफाई के लिये अवसर दीजिये, और यदि यह सिद्ध हो जाय कि उसका कोई भी दोष नहीं था तो उसे मुक्त कीजिये। परीक्षा या जांच के लिये अवश्य समय दिया जाना चाहिये, तब ही नजरबन्द कर देना चाहिये।

हमारा यह प्रतिपादन है कि जब देश में ऐसे कई अन्य कानून हैं जिनके द्वारा आप अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं तो क्यों आप निवारक निरोध अधिनियम को लागू करना चाहते हैं—क्या इस से आप देश के अन्य कानूनों का आपमान नहीं करते ?

मेरे जैसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में १९५० के निवारक निरोध अधिनियम का ही प्रश्न नहीं। १९४१ तथा १९४७ में हमें गिरफ्तार किया गया: १९४७ में इसलिये कि मैं १९४१ में गिरफ्तार हो चुका था। और इसी तरह जब भी मैं गिरफ्तार किया गया, मुझे यही बताया गया कि मैं पूर्ववर्ती वर्षों में गिरफ्तार होने के कारण ही गिरफ्तार किया गया हूं। अब चूंकि इस कानून को लागू करने का अधिकार किसी भी कार्यकारी पदाधिकारी में न्यस्त है, अतः इस का दुरुपयोग हो सकता है क्यों कि इस में अपराधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकता, न तो उफ़ ही कर सकता है।

जिस समय १९५० में सरकार ने यह विधेयक पुरःस्थापित किया, माननीय सरदार पटेल ने कहा कि यह केवल एक वर्ष के लिये रखा जायेगा। इस के पश्चात श्री राजगोपालाचार्य ने कहा कि इसे केवल और एक वर्ष के लिये रखा जायेगा, और अब हमारे माननीय मंत्री इसे और दो वर्ष के लिये लागू करना चाहते हैं (**एक माननीय सदस्य**: केवल दो वर्ष)। आप इसी कानून के अन्तर्गत कल मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं और कह सकते हैं कि चूंकि मैं ने इस प्रकार के कार्य किये अतः मुझे गिरफ्तार किया जाता है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति को स्वतंत्रता छीनी जाती है, और उसे बताया नहीं जाता कि क्यों उसे गिरफ्तार किया गया, न तो उसे अपनी सफ़ाई पेश करने के लिये कोई अवसर दिया जाता है। यदि सरकार के पास इस प्रकार के कानून हैं जिन से अमुक अपराध के लिये अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सके तो उसी प्रकार क्यों नहीं किया जाता। म यह जानना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, तो उस समय सरकार इस प्रकार क्यों नहीं कहती: "अब भविष्य में आप को कोई भी भाषण नहीं देना चाहिये"। और इसके बाद उसे अपनी सफ़ाई पेश करने का कोई अवसर क्यों नहीं दिया जाता ?

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य का तर्क यह है कि इस प्रयोजन के लिये साधारण कानून बिल्कुल प्रर्याप्त है। क्या इस प्रकार का कोई कानून है जिस में कहा गया हो कि किसी व्यक्ति के पूर्ववर्ती आचरण को देखते हुये उसे किसी स्थान में नहीं बोलना चाहिये ? धारा १४४ के अन्तर्गत...

श्री ए० के० गोपालन : इस प्रकार का कोई भी कानून नहीं। प्रति दिन भाषण नहीं दिये जाते, और मैं यह भी नहीं कहता : "मैं अमुक स्थान में लगभग एक वर्ष तक जलसों में बोलता रहूंगा।" बैठक या जलसे की घोषणा होगी। आप जान लेंगे कि कब बैठक को जायेगी। और यदि उस बैठक में मैं ने किसी भी प्रकार की कोई बात की तो आप न्यायालय द्वारा मेरे विरुद्ध कार्यवाही करा सकते हैं। किन्तु होता क्या है कि व्यक्तियों को नजरबन्द किया जाता है—कहने सुनने की कोई भी नौबत नहीं आती। आप ने देखा होगा कि नजरबन्दी के कारण इस प्रकार के हैं जिन में किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं। तो अब मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रस्तुत अधिनियम, जो बिना किसी जांच या प्रति-परीक्षा के व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता है, कई वर्षों से संविधि-पुस्तक पर रखा गया है, और अब जनमत प्राप्त करने के लिये इस को परिचालित किया जाना चाहिये।

धारा ४ के अनुसार किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपनी जगह से हटाया जा सकता है और गिरफ्तार किया जा सकता है, जो विध्वंसकारी कार्य करता हो अथवा शान्ति भंग करता हो। इस समय इस प्रकार का कोई भी कानून नहीं कि नजरबन्दों के साथ क्या बर्त्ताव होना चाहिये। भिन्न २ राज्यों में भिन्न २ प्रकार का बर्त्ताव होता है, किन्तु एक बात सभी राज्यों के नजरबन्दी में समान है और वह यह है कि नजरबन्दों को पढ़ने के लिये किसी भी प्रकार का साहित्य नहीं मिलता था, और जेल में उन्हें अपने मित्रों या सम्बन्धियों से खुलम खुला मिलने की सुविधा भी प्राप्त नहीं होती थी। यदि हम किसी से बात करते हो अवश्य गुप्तचर विभाग का कोई पदाधिकारी हमारे बीच में बैठता जिससे हम कोई भी बात नहीं कर सकते थे। मद्रास के जेल में एक बार मेरी याचिका पर न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया था कि गुप्तचर विभाग का कोई भी पदाधिकारी मेरे निकट नहीं बैठ सकता, और यदि वह बैठना भी चाहे तो दूर से देखता रहे। ऐसे भी मामले हुये हैं जब कि दर्शकों को नजरबन्द से मिलने की आज्ञा इसलिये प्राप्त नहीं हुई थी क्योंकि वह दर्शक—जो उस नजरबन्द के माता, पिता या पत्नी थे—उससे सहानुभूति रखते थे। धारा ४ के सम्बन्ध में एक और बात भी बताना चाहता हूं कि विविध राज्यों में नजरबन्दों के साथ भिन्न २ तरह का बर्त्ताव किया जाता है। दोषी व्यक्तियों की अपेक्षा नजरबन्दों के साथ अधिक अनुचित व्यवहार किया जाता है। आजकल सरकार ने राज्यों को इस विषय में कोई भी व्यवहार करने की खुली छुट्टी दे रखी है और अनुशासन तथा अन्य बातों के पालन के सम्बन्ध में कोई भी साधारण कानून नहीं।

अन्य सदस्यों ने परामर्शदात्री मण्डली के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा है, अतः मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। आज तक परामर्शदात्री मण्डली की सिफ़ारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है, और अब यह कहा जाता है कि उस की सभी सिफ़ारिशों को स्वीकार किया जायेगा। किन्तु मुझे इतना विदित है कि दो मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्णयों को स्वीकार नहीं किया गया था। मैं नहीं समझता कि जब सारे कानून को उन्मुक्त और स्वतंत्र किया जा रहा है तो नजरबन्द को परामर्शदात्री मण्डली के समक्ष किसी साक्ष्य की प्रतिपरीक्षा करने की आज्ञा क्यों नहीं मिलती। अब यह भी कहा जाता है कि और दो वर्षों के लिये इसको पुनः लागू किया जायेगा। इधर कुछ वर्षों से हम इस में वृद्धि करते रहे हैं यहां तक कि यह देश का एक कानून सा बन गया है। मैं अन्य सदस्यों की तरह यह नहीं कहना चाहता कि निवारक निरोध अधिनियम स्वतन्त्र भारत पर एक धब्बा है, अपितु उस वाक्य को उद्धृत करना चाहता हूं जो न्याया-

[श्री ए० के० गोपालन]

घीश महाजन ने मेरे मामले पर निर्णय देते समय अन्त में कहा था: "आश्चर्य है, कि संविधान के मूल अधिकार सम्बन्धी अध्याय में निवारक निरोध अधिनियम को स्थान दिया गया है।" न्यायाधीश महाजन का यह भी कहना है कि संसार में और कहीं भी इस तरह का अधिनियम नहीं है। इस सब के परिणामस्वरूप, जब उच्च न्यायालय या और कोई न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता हो कि अमुक व्यक्ति को रिहा कर दिया जाय, तो वे विवश हो कर कहते हैं: "हम विवश हैं क्योंकि संविधान में एक विशेष अनुच्छेद है। हम इस मामले के गुणों या दोषों के विस्तार में नहीं जा सकते हम केवल इतना कह सकते हैं कि इस निरोध आदेश में कोई प्राविधिक त्रुटि तो नहीं है।" यह अधिनियम इस देश में बहुत वर्षों से चलता आ रहा है, और बहुत से व्यक्ति बिना परीक्षण के ही नजरबन्द किये गये हैं। आप चाहें तो मैं १९५१ के उदाहरण सुना सकता हूं। इधर इन दो तीन महीनों में अनेक व्यक्तियों को नजरबन्द किया जा चुका है मुझे मालूम नहीं कि गृह मंत्री जी के पास उन सभी की रिपोर्ट पहुंची हैं या नहीं।

सरकार निवारक निरोध अधिनियम को इसलिये लागू करना चाहती है क्योंकि वह इस बात से डरती है कि सभी जनता उस के विरुद्ध है। सरकार को जनता का विश्वास प्राप्त नहीं, और जनता को सरकार का विश्वास प्राप्त नहीं। यही कारण है इस प्रकार की दमनकारी नीति से काम लिया जा रहा है यदि किसी जगह कोई अवैध सभा हो रही हो तो क्या जल या वायु-सेना का सहारा ले कर लोगों को वहां से नहीं हटाया जा सकता? आखिर कहां तक दमन की नीति चल सकती है। इस अधिनियम के होते हुए कहीं भी कोई काम नहीं हो सकता। इन ही कारणों से लोगों को इस अधिनियम से घृणा होती जा रही है। सरकार ने इस का आश्रय ले कर हजारों निरीहों को बरबाद कर डाला है।

मेरे पास यह सूचना है कि १९५० में भारत में लगभग १५,००० व्यक्ति नजरबन्द किये गये थे, और नजरबन्दी के कारणों को यदि देखा जाय, तो उन में से कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं था। आखिर जब उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ने नजरबन्दी के उन आदेशों को अवैध ठहराया, तो एक परिपत्र जारी किया गया जिस में बताया गया था कि: "अब भविष्य में यदि नजरबन्दी का कोई भी आदेश जारी किया गया तो वह सावधानी से जारी होना चाहिये।" किन्तु १९५१ और उस से इधर के वर्षों में जितनी भी नजरबन्दियां हुई हैं, उन से भी कोई ऐसी बात व्यक्त नहीं होती। मेरे ही मामले को लीजिये। १९५१ में उन्होंने मेरी १९३६ की गतिविधियों को उद्धृत किया था। उस का यह अभिप्राय है कि अब मैं ने कोई भी कुत्सित कार्य नहीं किया जिस के लिये मुझे अपराधी बनाया जाय और इस नई सरकार के लिये मैं कतई अपराधी नहीं था, किन्तु जब मेरे पास नजरबन्दी का आदेश भेजा गया तो उस में लिखा था कि मैं इस प्रकार से कार्य कर रहा हूं या कार्य करने वाला हूं, जिस के परिणामस्वरूप राज्य की सुरक्षा को धक्का पहुंचने की संभावना है। मैं ने सरकार से पूछा भी कि मैं किस राज्य के विरुद्ध कार्य कर रहा हूं, क्योंकि ब्रिटिश राज्य में मैं ने अंग्रेजों के विरुद्ध आन्दोलन किया था और स्वराज्य में इस प्रकार की कोई भी संभावना नहीं हो सकती थी। मैं ने उत्तर में सरकार से कहा कि मुझे स्थिति स्पष्ट करने तथा व्याख्या करने की मुहलत दी जाये—यानी मुझे दो एक दिन के लिये रिहा किया जाय, ताकि सरकार इस बात की जांच कर सके कि मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य तो नहीं हो रहा जो राज्य के

विरुद्ध हो। किन्तु सरकार ऐसा कहां मानती। मेरे पास नज़रबन्दी का आदेश पहुंचा और मैं गिरफ्तार हो गया। अन्त में, मैं आप से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सोच विचार कर के इस विधेयक की अवधि में वृद्धि कीजिये, ऐसा न हो कि इसके लागू हो जाने से शान्ति ही भंग हो जाय। हां, स्वयं मैं यह समझता हूं कि इस अधिनियम के बिना भी और क़ानूनों से देश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। आप के पास दण्ड प्रक्रिया संहिता है, जिस की भिन्न धाराओं से काम लिया जा सकता है। आप सहसा लोगों की स्वतंत्रता छीन कर शान्ति और व्यवस्था नहीं स्थापित कर सकते हैं, इसके लिये शान्ति से काम लिया जाना चाहिये। आप भारत के जनसाधारण में विश्वास पैदा कीजिये, एक बार विश्वास पैदा हो जाय तो कोई भी व्यक्ति कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे देश की सुरक्षा को धक्का पहुंचे। जनसाधारण को भूख लगने पर खाना चाहिये, और यदि उसे खाना न मिले तो वह क्रुद्ध होंगे और गड़बड़ी फैलायेंगे। सरकार को चाहिये कि लोगों की कठिनाइयों को अनुभव करे; और जनता को यह अनुभव होने दे कि उन की नीति से खाद्य की समस्या सुलझ सकती है।

अंत में मैं यह बताना चाहता हूं कि जनता इस अधिनियम के विरुद्ध बहुत आवाज़ें उठा रही है। सरकार इस पर जनमत ले और यदि इस बात की आवश्यकता पड़े कि प्रस्तुत विधेयक को जारी रखा जाना चाहिये, तो जारी रखे। पुनः मेरी प्रार्थना है कि जनमत मालूम करने से पहले इस विधेयक को पारित नहीं किया जाय।

श्री डातार (बेलगांव उत्तर) : मैं यह नहीं चाहता कि प्रस्तुत विधेयक को जनमत पर छोड़ा जाय, और मैं ऐसे प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इधर दो दिन की चर्चा से मुझे दो निष्कर्ष मिले हैं : पहला यह कि लोगों ने इसे गलत समझा और दूसरा यह कि प्रस्तुत प्रश्न को हथियाने में अनावश्यक उत्तजना से काम लिया गया है। श्रीमान्, मैं आप के अध्यक्षत्व में, वे सभी तथ्य प्रस्तुत करूंगा जिन के आधार पर सरकार को निवारक निरोध अधिनियम में वृद्धि कराने के लिये पुनः सदन के समक्ष इस को प्रस्तुत करना पड़ा।

१९५० में संविधान पूरा हुआ और लागू किया गया। इसके एक महीने बाद सरकार को निवारक निरोध अधिनियम को एक कानून का रूप देने के लिये संसद् के समक्ष आना पड़ा। इस के लिये कई एक कारण थे, और उन को समझने के लिये हमें उन सभी घटनाओं पर विचार करना होगा जो संविधान बनाते समय घटित हुई थीं। उस समय भारत में कई एक ऐसे दल थे जिन का सम्बन्ध देश से बाहर की उन कुछ एक पार्टियों के साथ था, जो यहां पर शान्ति और व्यवस्था के सम्भरण के लिये सावधान नहीं थीं। तो ऐसी परिस्थिति में हम ने इस लोकतंत्रात्मक संविधान में बिना परीक्षण के नज़रबन्दी का यह असाधारण विधेयक जोड़ा। संविधान बनाने वाले सभी देशभक्त थे, और परिस्थितियों की सत्यता को समझते थे। अतः उन्होंने इन सभी असाधारण परिस्थितियों को महत्व दिया। अतः जब जनवरी, १९५० में संविधान को कार्यान्वित किया गया तो उसके अनुच्छेद २२ में 'निवारक निरोध' सम्बन्धी बात थी। तो सरकार ने यही उचित समझा कि इस प्रकार का एक विधेयक रखा जाय। अब यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या इस प्रकार के विधेयक में सांविधानिक तथा परिस्थिति सम्बन्धी औचित्य था जो इसे संविधि पुस्तक में सम्मिलित किया गया। वास्तव में यह बात शुरू में होनी चाहिये थी कि इसे एक विधि का रूप दिया जाता लेकिन

[श्री दातार]

सरकार की उदारता देखिये कि १९५०, १९५१ अथवा १९५२ में भी इसे अधिनियम का रूप नहीं दिया गया, क्योंकि इस प्रकार के अधिकार असाधारण हुआ करते हैं और संविधि-पुस्तक पर स्थाई रूप से नहीं रखे जाते। विरोधी दल को इस बात से सीख लेना चाहिये।

अब देखिये कि एक स्थाई संविधि के स्थान पर हम ने सर्वप्रथम १९५० में एक अधिनियम बनाया; चूंकि वह अधिनियम था, अतः उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के कुछ एक निर्णयों को ध्यान में रखते हुए उसे तत्काल पारित किया जाने वाला था। उन दिनों के गृह-मंत्री सरदार पटेल दो दिन परेशान रहे कि इस को पारित करके कहीं राष्ट्र की स्वतंत्रता छिन न जाये, न तो उन्हे ऐसा करने की कोई इच्छा थी। तो इसे एक वर्ष के लिये लागू किया गया, और इसके पश्चात् भी जब परिस्थिति सुधर नहीं पाई, तो सरकार को इस में और वृद्धि करनी पड़ी। १९५० में, जब इस अधिनियम को पारित किया जा चका था, इसमें कई उपबन्ध और खण्ड थे जिन पर विवाद किया जा सकता था। १९५१ में सदन के समक्ष नया संशोधन विधेयक रखे जाने के समय इसमें कुछ संशोधन और सुधार हुए। उस समय मेरे मान्य मित्र डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वयं स्वीकार किया कि १९५१ का संशोधक अधिनियम मूल अधिनियम का ही एक सुधरा पाठ है। अब वही विधेयक सदन के समक्ष है, और सांविधानिक औचित्य तथा वर्तमान स्थिति की मांगों के अनुसार इस पर विचार किया जाने वाला है।

श्रीमान्, हम से कहा जाता है कि परीक्षण के बिना नज़रबन्दी से स्वतंत्रता के अधिकारों और सार्वजनिक अधिकारों पर आघात पहुंचता है। ठीक है, किन्तु भारत जैसे नवजात लोकतंत्र में ऐसी भी प्रतिक्रियावादी शक्तियां हो सकती हैं जो विध्वंसकारी कार्यों में लगी रहती हैं, और जिन के लिये निवारक निरोध को लागू करना पड़ता है।

१२ मध्याह्न

बहुत से दृष्टांत उद्धृत किये गये। अंग्रेजी संविधान और अमरीकी संविधान का हवाला दिया गया, किन्तु हम सभी को यह विदित होना चाहिये कि अंग्रेजी संविधान ६०० वर्ष पुराना है। वह लोग उस संविधान से अभ्यस्त हो चुके हैं, और उन्होंने लोकतंत्र को आत्मसात् किया है। अमरीकी संविधान १५० वर्ष पुराना है, और वहां भी स्थिति सुधर चुकी है और किसी स्तर पर जम चुकी है, किन्तु इतना होते हुए भी दोनों देशों में १९५२ में भी कई बार कड़े से कड़े कानूनों को लागू किया जा चुका है। एक माननीय सदस्य जो ब्राज़ील स्थित भारतीय राजदूत रह चुके हैं, ने हमें बतलाया है कि जब भी कभी किसी समाज या देश में ऐसे तत्व उभर रहे हों जो वहां के लोकतंत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हों तो उस समय उन के नागरिकता अधिकार भी उन से छीने जाते हैं। चिली में एक बार एक न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया जिसने इस बात की जांच की कि वहां की साम्यवादी पार्टी लोकतंत्र के विरुद्ध कार्य कर रही थी, और उस न्यायाधिकरण ने उस समय "लोकतंत्र के संरक्षण के हित कानून" नाम का एक विशेष अधिनियम पारित किया, जिस के अन्तर्गत उस पार्टी के सभी नागरिक अधिकार छीने गये। इसी तरह अन्य देश में भी इसी प्रकार के अधिनियम पारित किये गये हैं, जिन के

अनुसार नागरिकों के कुछ अधिकार छीने गये हैं।

अभी कुछ दिन पहले सरदार पनिक्कर ने हमें चीनी गणतंत्र की बात बताई और कहा कि वहां के निवासियों के दो वर्ग हैं जनता तथा ग़ैर-जनता। इस वर्गीकरण में वहां के साहूकारों, जमीदारों और देश के हितों के विरुद्ध जाने वालों को ग़ैर-जनता में शुमार किया जाता है। यहां आप में से बहुतों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि इस ग़ैर-जनता वर्ग को किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हैं। उन्हें मत देने का भी अधिकार नहीं, और उन की सुरक्षा के लिये भी वहां की सरकार उत्तरदायी नहीं। उन्हें अपने आप अपनी रक्षा करनी पड़ती है। तो अब आप इस बात को समझ गये होंगे कि १९५२ में भी ऐसे देश और ऐसी परिस्थितियां हैं, जहां और जिन में न केवल परीक्षण रहित नज़र-बन्दी होती है, अपितु मूल अधिकारों से भी लोगों को वंचित किया जाता है। आप को इन बातों पर ध्यान देना चाहिये। इन के मुकाबले में हमारा लोकतंत्र अभी नवजात और अविकसित है अतः कानून और शान्ति की व्यवस्था तथा सरकार की दृढ़ता के लिये सरकार द्वारा ऐसे पग उठाये जाने चाहिये। कई मित्रों ने न्यायालयों और न्यायाधीशों की कार्यवाही और निर्णय उद्धृत किये हैं। ठीक है, हम उनका सम्मान करते हैं, किन्तु ऐसे अवसर आया करते हैं जब कि उच्च न्यायालयों अथवा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश देश की स्थिति को उतना ठीक नहीं समझते जितना कि कार्य-कारी सरकार समझ सकती है। अतः हमें इस बात को भी समझना है कि इन दोनों के कार्य एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। श्री गोपालन के मामले में बैमत्य निर्णय उद्धृत किये गये, किन्तु मैं न्यायाधीश फ़ज़ल अली जो बहुमत के नहीं बल्कि विमत के न्यायाधीश थे, के निर्णय का एक पदच्छेद सुनाऊंगा जिस में उन्होंने यह मत प्रगट किया है कि धारा १४ के अतिरिक्त धारा १२ भी अधिकार से बाहर है। उन्होंने अपने निर्णय में बताया है कि भारत की स्थिति अभी भी साधारण नहीं, अतः राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के लिये ऐसी परिस्थितियों में, इस प्रकार के कानून बनाना आवश्यक है जिन से देश के विध्वंसकारी तत्त्वों का पूरा उपचार हो सके।

इसी मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री पातंजलि शास्त्री ने बतलाया है कि भारत जैसे देश में, जहां क्रान्तिकारी, विध्वंस-कारी, असामाजिक तथा अराजकतावादी तत्त्व हों, सरकार को इस प्रकार का उपचार करना होगा जिस से देश की रक्षा हो सके। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के इन दोनों न्यायाधीशों का मत है कि अभी भी भारत में साधारण स्थिति नहीं।

और कई मित्रों ने यह भी सुझाया है कि संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत आपात की घोषणा की जा सकती है। किन्तु ऐसी बात युद्ध काल में ही हो सकती है, जिस के लिये राष्ट्रपति को आपात-घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है। आपात की स्थिति में तो संसद् की कार्यवाही भी बन्द की जा सकती है, अतः आपात की घोषणा करने के बदले हमें भारत की वर्तमान स्थिति को बहुत हद तक एक असाधारण स्थिति समझना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में हमें देश के उन सभी अनाचारी, विध्वंसकारी और शरारती तत्त्वों को दबाने के लिये केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों को कोई अधिकार प्राप्त होना चाहिये। तो इन ही तत्वों के विरुद्ध यह अधिनियम पारित किया गया है और केवल एक वर्ष के लिये लागू होगा। (एक माननीय

[श्री दातार]

सदस्य : दो वर्ष) हां, क्षमा कीजिये और दो वर्षों के लिये लागू रहेगा ।

अगला प्रश्न यह होगा कि क्या इस समय इस कानून की आवश्यकता है । इस प्रश्न का उत्तर दो तरीक़ों से दिया जा सकता है : प्रथम यह है कि प्रस्तुत विधेयक एक असाधारण विधेयक था । इसमें भी यह प्रश्न पैदा होता है कि जिन भी अधिकारों को प्रयोग में लाया गया, क्या कभी कभी लाया गया या बहुत ही बुरी तरह से बार बार प्रयोग में लाया गया । यह ठीक है कि १९५० में हम ने बहुतों को नज़रबन्द किया, किन्तु धीरे धीरे स्थिति सुधर चुकी है और प्रस्तुतविधेयक के उद्देश्य तथा कारण विवरण में यह बताया गया है कि स्थिति पहले से बहुत सुधर चुकी है, किन्तु अभी हम खतरे से खाली नहीं । यही कारण है कि केन्द्रीय सरकार तथा गृह-मंत्री इस विधेयक को अभी दो वर्षों के लिये लागू करना चाहते हैं ।

[श्री पाटसकर अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

ऐसे भी कई उदाहरण हैं जिन से पता चलता है कि पदाधिकारियों ने अधिक उत्साह से काम किया, जैसा कि १९५१ में श्री राजगोपालाचार्य ने हास्य में कहा था कि चूंकि कई पदाधिकारी कार्यकुशल नहीं और इसलिये कई लोग प्रबुद्ध नहीं, अतः इस प्रकार के अधिकार दिये जाने चाहिये । प्रश्न यह है कि क्या इन उदाहरणों की संख्या इतनी अधिक अथवा साधारण से अधिक है कि इस प्रकार के अधिनियम की कोई आवश्यकता नहीं । यदि हम इस पर ठंडे दिमाग से सोचें तो हमें यही निष्कर्ष मिलेगा कि इस अधिनियम की अनुपस्थिति में स्थिति और भी बिगड़ जाती । १९५० म इस अधिनियम को पारित करने की बहुत ही अधिक आवश्यकता थी । यदि यह अधिनियम लागू नहीं हुआ होता तो देश भर में तबाही, बरबादी और अराजकता फैल गई होती । हां अनुच्छेद २२ में निवारक निरोध के विधेयक की अवधि पर जोर दिया गया है । मूल अधिनियम में ३ महीने की अवधि निश्चित हुई थी, किन्तु इस से काम नहीं चलेगा । अधिकतम अवधि भी निश्चित होनी चाहिये ताकि अनिश्चित कल तक नज़रबन्दी न हो । इसी के अनुसार हमने वर्तमान विधेयक में १ वर्ष की नज़रबन्दी की अधिकतम अवधि रखी है ।

दूसरे यह है कि मूल अधिनियम तथा संशोधक विधेयक में यह बताया था कि निवारक निरोध आदेश जारी करने वाले किसी भी मैजिस्ट्रेट को इस बात का अंतिम अधिकार प्राप्त होगा और उसके लिये सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी । किन्तु अब इसकी स्थिति भिन्न है । अब तो राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार को बहुत अधिक सावधानी से काम लेना पड़ता है अब यह उपबन्धित हुआ है कि निरोध का आदेश केवल १५ दिन तक लागू होगा, अतः यह स्वभाविक है कि १५ दिन की समाप्ति पर वह नज़रबन्द व्यक्ति रिहा किया जायेगा । उन १५ दिन में राज्य तथा केन्द्रीय सरकारें इस बात पर ध्यान देंगी कि क्या उचित कारणों से वह नज़रबन्दी हुई है या नहीं ।

दूसरी बात परामर्शदात्री मण्डलों के सम्बन्ध में सोचनी होगी । अब आप जानते हैं कि परामर्शदा त्री मण्डली कोई न्यायिक समिति नहीं है, फिर भी इस बात का ध्यान रखना है कि इस प्रकार की सूचना, जो बहुत ही गोपनीय हो, लोगों से दूर रखी जाय, अन्यथा देश में अव्यवस्था और अशांति फैल जायेगी । असाधारण स्थितियों में,

इंगलैंड और अमरीका जैसे देशों ने भी न्यायिक न्यायाधिकरण नियुक्त करके इन बातों का निपटारा किया है। वहां उन्हें परामर्शदात्री मंडलियां कहा जाता है। और यहां हमारा एक और भी परित्राण है कि इन परामर्शदात्री समितियों से परामर्श लेना पड़ता है। परामर्शदात्री समितियों की यह शक्ति स्वीकार हुई है और अनुच्छेद २२ में आदिष्ट की गई है। इस में भी दो बातों को देखना होगा। पहली यह कि केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उस पद के लिये योग्य व्यक्ति इन परामर्शदात्री समितियों के सदस्य बन सकेंगे। यह पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि इन समितियों को परामर्शदात्री समितियां कहा जाय। वर्तमान विधेयक से आपको यह सहायता मिलेगी कि प्रत्येक मामला परामर्शदात्री समिति के समक्ष विचारार्थ चला जायेगा।

अब आप मान लीजिये कि इस निवारक निरोध विधेयक के विरुद्ध आवाज़ लग रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाय? पहले १९५१ में जो संशोधन पारित हुआ था, उसमें प्राविधिक कठिनाई थी, क्योंकि दो ही सदस्य थे, जो एक दूसरे से सहमत नहीं होते, और एक गतिरोध सा फंस जाता। ऐसी परिस्थिति में महान्यायवादी का यह मत रहा कि सरकार उन दो सदस्यों के मत को मान्य ठहराने में बाध्य होगी, और तत्काल नज़रबन्द को रिहा करेगी। अब प्रस्तुत विधेयक ने सदस्यों की संख्या दो से तीन बढ़ा दी है, और परामर्शदात्री मंडली का मत सरकार को बाध्य करता है जिससे सरकार उस नज़रबन्द व्यक्ति को इस शर्त पर रिहा कर सकती है कि उसकी नज़रबन्दी का कोई भी उचित कारण नहीं था।

१९५१ के मूल अधिनियम या संशोधन विधेयक में पहले इस प्रकार का कोई भी उपबन्ध नहीं था कि नज़रबन्द व्यक्ति को परामर्शदात्री समिति के समक्ष प्रस्तुत होने की आज्ञा दी जाती, अतः यह समझा जाता था कि उस की नज़रबन्दी का कोई भी परीक्षण नहीं होगा। किन्तु अब बन्दी को प्रत्यक्ष उपस्थित होने का भी अधिकार मिल चुका है। मान लीजिये कि वर्तमान विधेयक के अन्तर्गत कोई व्यक्ति गिरफ्तार और नज़रबन्द हो चुका है, तो उसे अब यह भी बताया जाता है कि उसे क्यों बन्द किया गया और वह अब किस प्रकार प्रतिनिधान करेगा—क्योंकि ये सभी बातें बाद में परामर्शदात्री समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत होंगी। प्रस्तुत विधेयक ने नज़रबन्द को एक और भी सुविधा दी है कि यदि वह परामर्शदात्री समिति के सामने प्रस्तुत होने की इच्छा रखता हो, तो उसे आज्ञा दी जायेगी और उक्त समिति उसे बुला लेगी। मैं समझता हूं कि उसको प्रस्तुत करने की यह बाध्यता बहुत मूल्यवान चीज़ है। इसके विरुद्ध दूसरी पार्टी कदाचित् इस बात को सोचती होगी कि जब मूल संबिधान निरोध के सम्बन्ध में.....

एक माननीय सदस्य: यहां इस प्रकार की पार्टियां नहीं हैं।

श्री दातार: कुछ अन्य पार्टियां भी हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिये। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती यदि और पार्टियां रहीं होतीं। संविधान के अनुच्छेद २२ के अन्तर्गत नज़रबन्द व्यक्ति को एक वकील द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने की आज्ञा दी गई है। ठीक है कि ऐसी बात है किन्तु इस के पश्चाद्वर्ती खंड से यह बात स्पष्ट की जा चुकी है कि निवारक निरोध की स्थिति में वकील द्वारा मामला प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अतःएव, यह नहीं कह सकते कि निवारक निरोध में किसी नज़रबन्द व्यक्ति को वकील द्वारा

[श्री दातार]

स्वयं उपस्थित होने की सुविधा प्राप्त है और इस स्थिति में इस का दावा भी नहीं किया जा सकता । मैं स्वयं एक वकील हूं, और कोई भी मनुश्य इस तरह का विश्वास कर सकता है कि वकील द्वारा उपस्थित होने की बात और ऐसा अधिकार कितनी ही मूल्यवान चीज़ें हैं किन्तु परामर्शदात्री समिति के लिये यह संभव नहीं हो सकता कि वह सभी प्रकार की सूचना वकील से प्राप्त कर ले।

अगला प्रश्न यह हो सकता है कि क्या वकील का होना बहुत ही आवश्यक है । जहां तक संविधानिक पहलू का सम्बन्ध है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो परामर्श-दात्री समिति के सदस्य हैं, यह सारा काम कर सकते हैं, किन्तु अन्य घटनाओं और तथ्यों के सम्बन्ध में स्वयं नज़रबन्द से ही बयान लिया जा सकता है । आखिर में नज़रबन्द व्यक्ति मूर्ख या बुद्धिहीन तो नहीं है । इन की होशियारी से सारी सरकार परेशान हो रही है, अतः इन के मामलों में साधारण कानून नहीं चल सकता । कई मित्रों ने यह भी कहा कि बिना परीक्षण के नज़रबन्दी नहीं होनी चाहिये, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि साधारण स्थिति के लिये साधारण कानून काम दे सकते हैं । विषम स्थिति के लिये सरकार को ऐसे उपाय सोचने पड़ते हैं, ताकि देश में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो । साधारण मामलों में, अभियोक्ता का अपराध सिद्ध किया जाता है, और बाद में न्यायालय उसे दण्ड दे देता है । कभी कभी ऐसे भी अभियोग प्रस्तुत होते हैं, जिन में कुछ एक प्राविधिक कठिनाइयां होती हैं । यहां तक कि दोष सिद्ध होने के बाद भी, कई मामलों में न्यायाधीशों को उन अभियुक्तों को रिहा करना पड़ा है । कई ऐसे अपराध हैं जिन्हें आमूल कुचला जाना चाहिये, और वैसे अवसरों के लिये निवारक निरोध अधिनियम ही काम दे सकता है । अब रहा यह कि संदेह और पूर्वाधारणा के लिये क्या होगा । आप को स्मरण करना चाहिये कि लोगों के समर्थन से ही वर्तमान सरकार का जन्म हुआ । साधारण चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार बनी, जिसे सारे राष्ट्र का विश्वास प्राप्त हुआ । यदि सरकार उत्तरदायी है तो मंत्रिमंडल भी उत्तरदायी होगा । प्रत्येक लोकतंत्रात्मक राज्यशासन का कर्तव्य है कि वह अपने मंत्रिमंडल अथवा कार्यकारी सदस्यों पर पूरा विश्वास करे, अन्यथा शासन का चलना बहुत ही असंभव है । यदि आप बार बार सरकार को तंग करते रहें उसकी टिप्पणी करते रहें, उसे सहयोग न दें, तो वह नहीं चल सकेगी । हमें इस विधेयक को और दो वर्षों तक चलाने की आवश्यकता है । हो सकता है कि अति-उत्तेजना या अति-उत्साह से कुछ धांधले बाज़ी या आपाधापी हुई हो, लेकिन यह ग़लत है कि सरकार ने किसी पार्टी से शत्रुता की और अपना बदला चुकाया । आप अपने मंत्रिमंडल को कुछ विशेष अधिकार दे देते हैं, जिन्हें वह समय समय पर प्रयोग में लायेगी । सदन को ज्ञात होगा कि राजस्थान, सौराष्ट्र और हैदराबाद में ऐसे ऐसे काण्ड हुए कि जिन से सारे राष्ट्र की बरबादी होती—और यदि उस समय हमारे पास यह विधेयक न होता तो सारा देश ख़तरे में पड़ गया होता । यद्यपि मैं उस स्थान का हूं जहां कोई भी साम्यवादी नहीं, तथापि वहां के नागरिक का जीवन और उसकी संपत्ति बचाने के लिये इस निवारक निरोध विधेयक की आवश्यकता पड़ी थी । मेरे पास कई एक उदाहरण हैं जिन से सिद्ध हो सकता है कि मेरे प्रदेश में इस विधेयक की अनुपस्थिति में कितनी बरबादी हो गई होती ।

हम इतना ही कह सकते हैं कि यह अधिकार कभी कभी काम में लाया जाना चाहिये। अभी उस दिन गृह-मंत्री ने निरोध में रखे गये व्यक्तियों की संख्या बताई, मैं समझता हूं कि वह संख्या बहुत अधिक अथवा बहुत कम नहीं थी। देश का क्षेत्रफल, यहां की विध्वंसकारी और असामाजिक गतिविधियां, यहां के विद्रोहक तत्त्व, यहां की यशस्वी सरकार की इच्छा और अन्य राज्य सरकारों की महत्त्वकांक्षाओं को विचार में रखते हुए यही कहा जा सकता है कि सरकार को इस आदेश के सभी अधिकार प्राप्त होने चाहियें। आप को स्मरण होगा कि भिन्न राज्यों के उत्तरदायी एवं उच्च पदाधिकारियों ने सरदार पटेल के समक्ष इस बात की आवश्यकता प्रगट की थी कि शीघ्रातिशीघ्र यह विधेयक पारित होकर एक कानून बनना चाहिये। यही कारण था कि पहला निवारक निरोध विधेयक पहले ही दिन, पांच घंटों के विवाद के बाद, पारित किया गया। इससे आप को इस समस्या का महत्त्व मालूम हो गया होगा। इन परिस्थितियों की जांच करने के बाद हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस विधेयक का सांविधानिक औचित्य कितना है और इस की कितनी आवश्यकता है। प्राविधिक दृष्टि से हमारी परिस्थितियां भले ही असाधारण न हों, लेकिन स्थिति अभी भी साधारण नहीं है अतः केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार के अधिकार प्राप्त होने चाहियें जिन्हें समय पर काम में लाया जा सके। वह भी स्मरण रहे कि केवल इन कठिनाइयों के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। हम सभी को इस विषय में मिल कर उन्हें इस काम के लिये अधिकृत करना चाहिये और यह भी देख लेना चाहिये कि वह इस विधेयक को बहुत कम बार और बहुत ही सोच समझ कर प्रयोग में लाते हैं या नहीं। यदि सोच समझ कर इनका प्रयोग नहीं किया गया तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायलय मौजूद हैं, जो उनको रोक सकते हैं, और किसी भी त्रुटि के लिये उन्हें टोक सकते हैं। जहां तक इस नवजात गणतंत्र के पनपने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि इस विधेयक को जारी रखने की बहुत अधिक आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी के सदस्य के नाते ही नहीं बल्कि भारत का उत्तरदायी नागरिक होने के नाते भी मेरी यही राय है कि हमें केन्द्रीय मंत्रिमंडल तथा राज्य सरकारों को यह अधिकार देना चाहिये।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (करनाल) : श्रीमान्, इस बिल के बारे में दो तीन दिनों से काफी बहस चल रही है और इस बिल के बारे में मैं ने भी इन दो तीन दिनों तक काफ़ी विचार किया है। अभी हमारे आनरेबिल मेम्बर श्री गोपालन ने बहुत से केसेज़ (मामले) बतलाये, अपना भी क़िस्सा उन्होंने बतलाया। मुझे उन के साथ पूरी हमदर्दी (सहानुभूति) है। मालूम होता है कि काफ़ी मुसीबत में से वह गुज़रे हैं, बहुत से डिटेंशन आर्डर्स (नज़रबन्दी के आदेश) उन पर सर्व किये (पहुंचाये) गये हैं। बाक़ियों का भी क़िस्सा उन्होंने बतलाया और यह बतलाने की कोशिश की कि किस तरह नामुनासिब इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने बहुत कुछ पढ़ पढ़ कर बताया कि क्या क्या नामुनासिब बातें लिखी थीं। तो इस सब से अध्यक्ष महोदय, ऐसा मालूम होता है कि हमारे एग्जीक्यूटिव आफिसर्स (कार्यकारी पदाधिकारी) ने जिन्होंने वह आडर्स सर्व किये, लिखने में गलती की। लेकिन हमारे आनरेबिल मेम्बर ने यह साबित (सिद्ध) नहीं किया कि जिन को पकड़ा था, जिन को डिटेन (रोक) किया था, यह वाक़ई इतने

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

मासूम (निरपराध) थे । वह यह साबित नहीं कर सके कि वह बेगुनाह थे । बहुत से केसेज़ आनरेबिल श्री गोपालन ने जो बताये उन को मैं नहीं जानती, उन का श्री गोपालन का केस भी नहीं जानती हूं, औरों का भी नहीं जानती । परन्तु मेरी उत्सुकता बढ़ी यह जानने के लिये कि आखिर उन्होंने क्या किया था और आखिर उन्हें क्यों पकड़ा गया । मैं उम्मीद करती हूं कि हमारे आनरेबिल होम मिनिस्टर इस पर रोशनी डालेंगे ।

मुझे इस बारे में एक बात का और भी ख्याल आया । हमारे एक बड़े वकील साहब उठे और बहुत कुछ उन्होंने इस के बारे में कहा । तो मुझे यह मालूम हुआ कि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने यह बिल पेश करके एक बड़ा क़सूर किया है । उन्होंने यह बड़ा क़सूर किया है कि बहुत हद तक वकीलों और बैरिस्टरों को ऐलीमिनेट (बहिष्कृत) करने की कोशिश की है और यह सवाल सिर्फ़ सिविल लिबर्टीज़ (नागरिक स्वतन्त्रताओं) का ही नहीं रह जाता परन्तु यह सवाल पाकेट (जेब) का भी हो जाता है । इस बात को मैं ने अच्छी तरह महसूस किया और जहां सैल्फ़ इंट्रेस्ट (आत्महित) होता है तो बहुत हद तक युक्तियां भी सूझती हैं, आरग्यूमेंट्स (दलीलें) भी सूझते हैं । तो मैं भी साफ़ कहना चाहती हूं कि जब इस बिल का सवाल आता है तो मेरा भी सैल्फ़ इंटरेस्ट बोलता है और मैं भी अपने सैल्फ़ इंट्रेस्ट को सामने रख कर बोलना चाहती हूं और उन सिटीज़न्स (नागरिकों) की तरफ़ से बोलना चाहती हूं, उन लोगों की तरफ़ से बोलना चाहती हूं जिन की आज़ादी और लिबर्टी खतरे में पड़ जाती है, उन जमाअतों के ज़रिये जो कि इस शहर में, या हिन्दुस्तान में और इस मुल्क में डिसआर्डर (अव्यवस्था) करना चाहती हैं । मुझे यह देख कर ताज्जुब होता है कि इस बिल के बारे में हमारे हाउस में और शहर में भी मैं ने सुना ऐसी जमाअतें हैं जो कि आपस में मिल कर डिमान्स्ट्रेशन (प्रदर्शन) करना चाहती हैं और हाउस में भी ऐसी जमाअतें मिल कर इस बिल को अपोज़ (का विरोध) करना चाहती हैं, जिन जमाअतों के उद्देश्य में एम्स में, आबजैक्ट्स (उद्देश्यों) में और सिद्धान्त में, या उन सिद्धान्तों तक पहुंचने के रास्ते में भी आपस में कुछ भी चीज़ नहीं मिलती है ।

हमारे यहां कम्युनिस्ट भाई बैठे हैं । वह मुनासिब चीज़ें चाहते हैं, हम सब भी वही चीज़ें चाहते हैं । लेकिन वह जनता का नाम ले कर कहते हैं कि यहां के किसानों के खिलाफ़ यह इस्तेमाल किया जायगा, मज़दूरों के खिलाफ़ यह इस्तेमाल किया जायेगा, जनता के खिलाफ़ यह इस्तेमाल किया जायेगा । हमारे बैरिस्टर साहब ने फरमाया कि बहुत से चेहरे हमें नज़र आते हैं अपने नौजवानों के, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जिन को देख कर रंज होता है । हमें भी रंज होता है ।

यह ठीक है कि हमारे नौजवान जब जेलों में डिटेन किये जाते हैं तो हमें रंज होता है, लेकिन साथ ही हमें उस समय अपने उन बेक़सूर और बेगुनाह नौजवानों की भी याद आ जाती है जो गाड़ी में सवार होते हैं और पटरी खींच ली जाने के कारण रेल दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और मारे जाते हैं और यह सारे कृत्य कुछ नौजवान एक ज़ील (उत्साह) में कर बैठते हैं और ऐसा करके वह इस देश में एक ऐसी हुकमत बनाना चाहते हैं जिस में सब बराबर हों । जहां तक उनके उद्देश्य का सवाल है, हमारा उन से कोई मतभेद नहीं है, हम भी ऐसा

ही चाहते हैं । लेकिन जब हम उनके रास्तों की तरफ़ देखते हैं तो हमें ताज्जुब आता है । और एक अजीब बात मैं ने यह देखी कि जब से यह बिल हाउस के सामने आया है मेरे उन मित्रों ने रूस अथवा चीन की बात नहीं की जिस के बारे में हम पिछले दो महीनों से सुनते आ रहे हैं । जब गेहूं की बात आती है तो उनकी तरफ़ से कहा जाता है कि गेहूं रूस से आना चाहिये, चीन से आना चाहिये और ऐक्सपर्टस (विशारद) जर्मनी से आना चाहिये, लेकिन जब आज़ादी की बात करते हैं, सिविल लिबर्टीज़ की बात करते हैं, तो इंग्लैंड और अमरीका की बात करते हैं । और जिस चीन का यह मेरे मित्र यहां रोज़ आये दिन ज़िक्र करते हैं तो मुझे चीन के नेताओं की यह बात याद आ जाती है कि काउंटर रेवूलूश्नरीज़ (प्रतिक्रान्तिवादियों) को वोट देने का भी अधिकार नहीं होना चाहिये और चीन के उन नेताओं के कथनानुसार वह जनता नहीं है । यहां मेरे सामने हिन्दी का एक ट्रान्सलेशन (अनुवाद) है जिस में चीन के एक बहुत बड़े नेता ने कहा है कि प्रतिक्रियावादियों को अपनी राय ज़ाहिर करने के हक़ से वंचित कर देना चाहिये और सिर्फ़ जनता को ही वोट देने और अपनी राय के ज़ाहिर करने का अधिकार होना चाहिये । और उनके मतानुसार जनता मज़दूर, किसान वर्ग निम्न पूंजीपति वर्ग और राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग हैं । इन सब वर्गों को मिलना चाहिये ताकि वह प्रतिक्रियावादियों और काउन्टर रि वाल्यूशनरीज़ या अपनी डिक्टेटरशिप (तानाशाही) क़ायम कर सकें । वोट देने का अधिकार सिर्फ़ जनता को ही मिले, प्रतिक्रियावादियों को, काउन्टर रिवोल्यूश्नरीज़ को वोट देने का अधिकार ही नहीं है, उनको जनता नहीं समझा जाता है । लेकिन इस के विपरीत हमारे देश में क्या देखने में आता है कि मेरे यह कम्युनिस्ट मित्र प्रतिक्रियावादियों से हाथ मिलाते हैं और गठबंधन करते फिरते हैं और मैं अदब से कहना चाहती हूं कि यहां हाउस में जब मैं अपने कम्यूनिस्ट और सोशलिस्ट मित्रों को ऐसे प्रतिक्रियावादी लोगों से हाथ मिलाते देखती हूं जो कि रिवोल्यूशन के दुश्मन हैं और देश को पीछे घसीटना चाहते हैं, जो कि ऐसी जमाअतें आरगेनाइज़ (संगठित) करते हैं जो देश को खत्म करना चाहती हैं और देश के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हैं और गुंडाशाही स्थापित करना चाहती हैं, तो मुझे बहुत ताज्जुब होता है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं कोई क़ानून से बहुत वाक़फ़ियत नहीं रखती हूं, और मैं हमेशा से अपने शहर में हुकूमत के सामने क़ानून तोड़ने की मुजरिम रही हूं और अक्सर तोड़ देती हूं और क़ानून टूट जाने के बाद मुझे मालूम होता है कि मुझ से अनजाने कोई सरकारी क़ानून टूट गया है और इसीलिये मैं आप से शुरू में प्रार्थना करती हूं कि अगर अनजाने में मैं अपनी स्पीच के दौरान में कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल कर जाऊं जो अनपार्लियामेंटरी (संसद् के अनुचित) हो, तो मुझे उस के लिये क्षमा किया जाय और मैं उम्मीद करती हूं कि आप उस की तरफ़ मेरा ध्यान दिलावेंगे ।

जहां तक प्रिंसिपल का (सिद्धान्त) ताल्लुक़ है हम सब मानते हैं कि वाक़ई यह बड़ा ज़ुल्म है कि किसी को मौक़ा दिये बग़ैर ही जेल में बन्द कर दिया जाय, उस को यह मौक़ा न दिया जाय कि उस को सफ़ाई में क्या कहना है और वह बतलाये कि वह क्या चाहता है । हर एक को इसका मौक़ा दिया जाना चाहिये । इस सिद्धान्त को सब मानते हैं और हम कांग्रेस वाले तो हमेशा आज़ादी के लिये लड़ते रहे, ऐसे लोगों की तरफ़ से ऐसा बिल आना वाक़ई में बहुत ताज्जुब की बात मालूम पड़ती है

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

लेकिन मैं आपका ध्यान देश की वर्त्तमान अवस्था की तरफ़ दिलाना चाहती हूं जिन से होकर हमारा देश गुजर रहा है, नई नई आजादी हमने प्राप्त की है, नई नई हुकूमत हमारी बनी है और यह किसी हद तक दुरुस्त है कि हमारे लोग जो हुकूमत कर रहे हैं वह बहुत एक्सपर्टस भी नहीं हैं । यहां पर बहुत से डिटेंशन आर्डर्स का हवाला दिया गया जिन से ऐसा मालूम हुआ कि हमारी एक्ज़ीक्यूटिव (कार्यकारी) बहुत एफ़ीशियेंट (कार्यकुशल) नहीं है । अभी यहां पर बतलाया गया है कि किसी ज़िला मैजिस्ट्रेट ने पांच आदमियों को यह लिख दिया कि वे पांचों एक मीटिंग पर प्रीसाइड (सभापतित्व) कर रहे थे, इस से ऐक्ज़ीक्यूटिव की इनएफ़ीशियेंसी (कार्यकुशलहीनता) ज़ाहिर होती है और इस लिये मैं चाहती हूं कि हम इन मामलों को सिर्फ़ उन ही लोगों पर न छोड़, बल्कि हम उस क़ानून को अपने हाथ में लें और वकीलों की मदद से उन के सलाह मशविरे से अदालतों की कमज़ोरियों से जो लोग बच जाते हैं जो प्रतिक्रियावादी ह और जो हमारे देश की आज़ादी को खतरे में डालना चाहते हैं उन को खुली छूट न मिल जाये और हम उन को चक (क़ाबू) में रख सकें । और जैसा कि म ने आप से पहले अर्ज़ किया कि हमारे देश के अन्दर हालात ऐसे हैं, और हम ऐसी परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं कि हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है और इस सम्बन्ध में दूसरे देशों का इतिहास हमारे सामने पड़ा है कि वहां पर किस तरह जब नशनल इंटरेस्ट (राष्ट्रीय हित) ने डिमांड किया तो ऐसे लोगों को दण्ड दिया गया । वहां पर कोई ट्रायल (अभियोग) का सवाल नहीं उठा । यह कहा गया है कि वहां बिना ट्रायल के लोग डिटेन नहीं किये जाते हैं लेकिन आप ने यह भी देखा कि उन देशों म वक्त आने पर ऐसे समाजद्रोही लोगों को एक साथ दीवार के सहारे खड़ा करके गोली मार दी जाती है और सब को भून डाला जाता है और इस तरह वहां पर पीपुल्स ट्रायल (जन अभियोग) किया जाता है । यह चीज़ भी हमारे सामने है । मैं यहां पर उस बात का कोई खास ज़िक्र नहीं करना चाहती, मैं तो अपने देश के वर्त्तमान हालात का और यहां की पोलिटिकल पार्टीज़ (राजनीतिक दल) का ज़िक्र करना चाहती हूं और यह बतलाना चाहती हूं कि इस प्रकार का क़ानून नितान्त आवश्यक है ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ़ करें, क्यों कि मैं जिस बात का अब ज़िक्र करने जा रही हूं, वह एक व्यक्तिगत बात मालूम होती है और मेरा उससे बहुत ताल्लुक़ रहा यहां उस चीज़ का भी बहुत ज़िक्र रहा । और अक्सर उसका ज़िक्र हाउस में होता रहता है । यहां दिल्ली में एक शादी होने वाली थी । अभी मेरे एक आनरेबिल मेम्बर ने उस का ज़िक्र किया कि क्या इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेन्ट (प्रजातंत्रात्मक सरकार) में किसी को शादी करने का अधिकार नहीं है ? उस पर मेरे एक दूसरे मित्र ने कहा कि ऐज (उम्र) का सवाल है । ठीक है शादी के होने में लड़की की उम्र का सवाल उठाना मुनासिब है । मामला कोर्ट में गया, और कोर्ट का इंजेक्शन आर्डर (रोक आज्ञा) भी समझ में आया । मुनासिब यह था कि उस लड़की को भी मौक़ा होना चाहिये कि आज़ादी के साथ वह अदालत में पेश हो कर अपनी बात कह सके । लोग उस लड़की को देखें, अदालत उस को देखे, और सबूत पेश हो कि क्या क़िस्सा है । लेकिन यह नहीं हो पाता और हमारी कुछ सियासी जमाअतें इस मामले को बढ़ाचढ़ा

कर ऐसी हवा पैदा करती हैं और हमारे कुछ दोस्त ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि वह लड़की मारी मारी फिरे और अदालत में आज़ादी के साथ सामने आ कर अपनी बात पेश न कर सके ।

हमारे लोग ऐसा ऐटमास्फ़िअर (वातावरण) शहर में बनाते हैं कि वह लड़की मारी मारी फिरे, घर घर, शहर शहर मारी मारी फिरे । उस लड़की के खिलाफ़ मुक़दमा चला, लड़की अदालत में पेश न हो सकी । अगर अदालत में जाने की कोशिश करे तो रास्ते में हमला किया जाये । लड़की के बाप पर हमला किया जाये, लड़की की भाभी पर रास्ते में हमला किया जाय, ऐसी हवा पैदा की जाती है कि लड़की सामने न आये और न यह साबित कर सके कि उस की उम्र क्या है । इस तरह के क़िस्सों से सयासी (राजनीतिक) फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है । तो यह अदालतें उन लोगों के लिये हैं जो नार्मल (साधारण) होते हैं और नार्मल टाइम्स के लिये हैं, लेकिन जब ऐसी ऐसी जमातें हों जो क़ानून तोड़ कर शहर में हुल्लड़ (दंगा) मचवाती हैं तो क्या किया जाय । मैं इस सारी बात का ज़िक्र नहीं करना चाहती हूं, लेकिन हम क्या देखते हैं कि यहां पर हमारी जमातों के नेताओं ने ऐसी स्पीचेज़ और लेक्चर दिये और ऐसी बातें कहीं जिसका यह नतीजा हुआ कि शहर में क़त्ले आम हुआ, खूनखराबा हुआ । मैं क्या बताऊं कि जिस लड़की के लिये इतना हुल्लड़ हुआ उस की कितनी मिट्टी पलीद हुई, वह सब आज हमारे सामने है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रही थी कि क़ानून जो होते हैं वह नार्मल लोगों के लिये और नार्मल टाइम्स के लिये होते हैं । लेकिन हमारी जमातें तो अब बड़ी होशियार हो गई हैं । मुझे तो उस दिन हंसी आई जब कि एक साहब विरोधी बैंचेज़ से कह रहे थे कि कलकत्ते में जो फ़ायरिंग (गोली-काण्ड) हो रही है, या हंगर मार्च (भूख हड़तालियों का प्रयाण) हो रहे हैं मैं उस जमात का प्रेज़िडेन्ट हूं । गोलियां वहां चल रही हैं, मार्चेज़ वहां हो रहे हैं, मुक़दमे वहां हो रहे हैं और प्रेजिडेन्ट साहब यहां तशरीफ़ रखते हैं । मुझे तो सुन कर ताज्जुब हुआ । यह कोई मामूली वक्त की बातें नहीं हैं । ज़िक्र किया जाता है कांग्रेस का, ज़िक्र किया जाता है उस समय का जब कांग्रेस अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ा करती थी, गांधी जी का नाम लिया जाता है, यह सब सुन कर मुझे ताज्जुब होता है । कांग्रेस में कभी ऐसा नहीं होता था । अगर कोई लड़ाई लड़ी जाती थी तो प्रेज़िडेन्ट साहब झंडा ले कर आगे तशरीफ़ रखते थे, घर में नहीं बैठा करते थे । पर आज़ादी आने के बाद हम ने देखा कि अब यह होने लगा कि सेना कहीं चलती है और जनरल कहीं छिप कर बैठ जाता है, सामने नहीं आता और दूसरे लोगों से जो चाहता है करवाता है । खराब खराब स्पीचेज़ देता है, खराब खराब बातें कहता है, अगर मीटिंगों पर बैन (प्रतिबन्ध) लग जाता है तो कमरे में बैठ कर मीटिंग करता है और लोगों को इन्साइट (उकसाता) करता है और फिर कहता है कि यह सब जनता कर रही है, मेरा इस से कोई वास्ता नहीं । यह एक नई टेकनीक (पद्धति) है, नया तरीक़ा है । हो सकता है कि दूसरे मुल्कों में हो, हमारे मुल्क में नया तरीक़ा है जो वह इस्तेमाल करते हैं और यहां पर ज़िक्र करते हैं कि इस डिटेंशन (निरोध) बिल में क्या क्या ग़लतियां हैं । मैं तो मानती हूं कि अगर हमारी एग्ज़िक्यूटिव के लोग उतने ही होशियार होते जितने आज कल के लोग हो गये हैं तो इस बिल की क़तई ज़रूरत न थी, वह पकड़े जाते

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

और मुक़दमे चलते। लेकिन वह बचने फिरते हैं। और छिपते फिरते हैं तमाम कार्यवाइयां करते हैं और कुछ कहा जाता है तो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिये नार्मल क़ानून से क्या काम चल सकता है। मुझे वह दिन याद आता है जब गांधी जी की हत्या हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहती हूं कि आप इस के मुताल्लिक़ याद करें और आनरेबिल मेम्बर्स याद करें कि हमारी फ़िर्का-परस्त (साम्प्रदायिक) जमातों के नेताओं की स्पीचेज़ कैसी हुआ करती थीं और वह क्या क्या कह रहे थे। आप अख़बारों का मुलाहज़ा फ़रमायें कि वह उस समय क्या क्या कह रहे थे और कैसी कैसी कोशिशें कर रहे थे। आज की पोलिटिकल जमातों के लोग पुरानी जमातों के नेताओं जैसे नहीं हैं। आज जो घरों में छिप कर, घरों में बैठ कर गोडसे पैदा किये जाते हैं। गोडसे ने गोली मारी, गोडसे को फांसी दी गई लेकिन गोडसे पैदा करने वाले आज तक मौजूद हैं और दिन रात ऐसे लोग पैदा कर रहे हैं। वैसे तो घर में बैठे रहते हैं, छिपे रहते हैं, लेकिन डिमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) का नाम ले कर हम लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, वह सामने नहीं आते हैं, आड़ में से ही डिमाक्रेसी की हत्या करना चाहते हैं। इसी तरह से गांधी जी की हत्या हो जाने के बाद कहने लगे कि हमारा इस से कोई ताल्लुक़ नहीं, जमात कहने लगी कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं; व्यक्ति कहने लगे कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, और अब जब हत्या हुये थोड़े दिन हो गये तो फिर उठे और अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी शर्म से कहना पड़ता है कि आज जब जमातों के बड़े बड़े नेता आते हैं तो उन की जमातों के लोग अब उनका स्वागत करते हैं तो कहते हैं कि गोडसे ज़िन्दाबाद, और फिर कहते हैं कि डिमाक्रेसी के नाम पर यह बिल नहीं चाहते हैं।

इसी तरह मैं अख़बारों का ज़िक्र करना चाहती हूं। जो लोग काउन्टर रिवोल्यूशनरीज़ (प्रतिक्रान्तिवादी) कहलाते हैं, जिन से प्रोग्रेसिव (प्रगतिशील) लोग हाथ मिलाना चाहते हैं, उन काउन्टर रिवोल्यूशनरीज़ का जो हिन्दुस्तान के ज्यादातर अख़बारों के मालिक हैं, उन अख़बारों का थोड़ा सा ज़िक्र मैं आप से करना चाहती हूं। गांधी जी की हत्या के पहले मैं चाहती हूं कि आप उन अख़बारों की बात याद कर लीजिये कि वह क्या क्या लिखते थे।

अभी पिछले दिनों काश्मीर का जिक्र हुआ था और हाउस में और हाउस के बाहर बड़ा ऊधम मचाया गया कि काश्मीर का झंडा हम नहीं मानते हैं और हमारे एक प्रोफ़ेसर साहब का ज़िक्र हुआ जो कि दिल्ली में ही प्रोफ़ेसर हैं। जब उनका ज़िक्र आया तो मुझे कुछ पुरानी याद आई। प्रोफ़ेसर राम सिंह ने अपनी एक स्पीच में कहा था, पुरानी स्पीच है और जो कुछ उन्होंने कहा वह यह है:

> "यह हमारा राष्ट्रीय झंडा नहीं अपितु विदेशी झंडा है, और इस में पाकिस्तान का रंग भी शामिल है। जब तक इस में पाकिस्तानी रंग रहेगा तब तक यह हमारे लिए एक विदेशी झंडा होगा। जब तक हम अपना राष्ट्रीय झंडा लाल क़िले पर नहीं लहरायें, तब तक हमें शान्ति नहीं मिलेगी।"

श्री वी० जी० देशपांडे: मैं सूचनार्थ ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह सी० आई० डी० की रिपोर्ट में उद्धृत किया गया है?

सभापति महोदय: शान्ति, शान्ति। अन्तर्बाधायें न होने पायें।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह पब्लिक मीटिंग की स्पीच है । मैं ने पहले ही कहा था कि यह अंग्रेजी का ट्रान्सलेशन है, इस के लिए मैं माफ़ी चाहती हूं । मैं यह भी अदब से अर्ज़ करना चाहती हूं कि यह वह स्पीचें हैं जो मुहल्लों में दी जाती हैं, हो सकता है इस में कोई ग़लती हो, तो इस के लिए मैं माफ़ी चाहती हूं, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक यह उन की स्पीचें हैं । मैं एक और स्पीच का भी ज़िक्र करना चाहती हूं जो कि मेरे हाथ लग गई । हम लोग तो इस तलाश में रहते ही हैं, इत्तफ़ाक़ से यह मेरे हाथ लग गई । पता नहीं है कि इस में कोई गलती है या नहीं, लेकिन इस को पढ़ कर मुझे हैरानी हुई । मैं तो इन साहब को जानती नही हूं लेकिन उनका नाम होरीलाल सक्सेना है । उन्होंने कहीं पर एक बार स्पीच दी और कहा कि :

> "आज ही मैं ने भारत का प्रधान मंत्री के नाम से एक व्यक्ति का रेडियो पर भाषण सुना, चुनांचि मैं उन्हे भारत का प्रधान मंत्री नहीं समझता । अब उसने बहुत ही असभ्य ढंग से हम सभी को समाप्त करने की ठानी है । हम ऐसे व्यक्तियों को खूब देख चुके हैं जो और को उड़ाने की धमकियां दिया करते हैं । मसोलिनी भी ऐसा ही कहा करते थे, लेकिन दुनिया जानती है कि उसके साथ क्या बर्त्ताव हुआ : उसे गोली से उड़ा दिया गया और इटली वासियों ने उसकी लाश पर थूका ।"

मुझे यह तक़रीर इत्तफ़ाक़ से ही मिल गई हालांकि मुझे बहुत ज्यादा वाक़फ़ियत नहीं है, न मैं बहुत शहरों से ताल्लुक़ रखती हूं । सन् १९४७ के बाद मैं दिल्ली में ही रही हूं । ऐसी बातें कह कर और हर लेक्चर में पाकिस्तान का बहाना बना कर हमारे प्राइम मिनिस्टर को गाली दी जाती है, और सब कुछ कह कर कभी कभी यह भी कह दिया जाता है कि हम सब पाकिस्तान से लड़ाई करना चाहते हैं । पर पाकिस्तान का नाम ले कर यहां की हुकूमत के खिलाफ़ यहां के रहने वाले लोगों को भड़काया जाता है । अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में जो म्युनिसिपल कमेटी के ऐलेक्शन (चुनाव) हुए उन के सम्बन्ध में जो मीटिंगें हुईं उन में तो साफ़ साफ़ कहा गया कि अगर पुरुषार्थी और शरणार्थी लोग बसना चाहते हैं, आबाद होना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत आसान तरीक़ा है और वह यह कि एक दफ़ा यहां से मुसलमानों को निकाल दिया जाय फिर सारे पुरुषार्थी उनकी जगहों पर आबाद हो सकते हैं ।

इतनी मीटिंग्स होती हैं, और इतनी छोटी छोटी मीटिंग्स होती हैं । मुझ बहुत ताज्जुब होता है कि हमारी हुकूमत उन के लिये कुछ क्यों नहीं करती है । कभी कभी हम कहते हैं तो हमारे आफ़िसर्स क़ानून की किताबें निकाल कर हमारे सामने भी कह देते हैं कि इस में कोई दफ़ा लागू नहीं होती है । अब कोई दफ़ा लागू हो या न हो, दफ़ायें और क़ानून किताबों की चीज़ें हैं, और वकीलों की चीज़ें हैं । पर जो हत्यायें और जो खून और क़त्ल और लूटें होती हैं उन को हम दिन रात देखते हैं । और मैं समझती हूं कि अगर मामूली क़ानून से यह चीज़ें नहीं रोकी जा सकतीं और हुकूमत इन के लिये इस क़िस्म का बिल लाती है तो यह बहुत मुनासिब है ।

जैसा मैं ने आप से पहले कहा था, एक चीज़ का मैं और ज़िक्र करना चाहती हूं । आज इंडीविजुअल लिबर्टी (व्यक्तिगत स्वतन्त्रता) की बात की जाती है । तो जैसा

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

कि मैं ने आप से पहले भी कहा था कि मुझे-को भी अपनी इंडिविजुअल लिबर्टी का ख्याल आता है और को भी आता है । परसनल इंटरेस्ट (निजी हितों) का भी सवाल आता है । और अध्यक्ष महोदय, मैं आप के सामने और बड़ी बड़ी बातें न कर के औरतों की बात आप के सामने रखना चाहती हूं । हमारे देशमें बदक़िस्मती देखिये । मुझे कुछ जमाअतों का अफ़सोस के साथ ज़िक्र करना पड़ता है । पहले भी अच्छे और बुरे लोग होते थे । अध्यक्ष महोदय, हम लोग जब पढ़ते थे उस वक़्त यह देखते थे कि अगर कोई पुरुष सड़क पर चलते हुए या बाज़ार में जाते हुए किसी औरत की तरफ़ उंगली उठा देता था और वह औरत उस के खिलाफ़ आवाज़ उठाती थी तो शहर के और बाज़ार के तमाम लोग उस आदमी के खिलाफ़ हो जाते थे और उस को दुरुस्त कर देते थे । जो लोग औरतों का अपमान करने में यक़ीन रखते थे इन जमाअतों ने उन को आरग-नाइज़ (संगठित) कर दिया । और सन् १९४७ से हम देखते हैं कि उन बहिनों का नाम ले कर जो पाकिस्तान में रह गई हैं, या किसी और चीज़ का नाम ले कर, किसी धर्म का नाम ले कर, किन्हीं बहनों का नाम ले कर या कभी माताओं का नाम ले कर, हमारी हिन्दुस्तान की औरतों का अपमान जगह जगह किया जाता है । इंडीविजुअल लिबर्टी का तो यह हिसाब है । कहते हैं कि इंडीविजुअल लिबर्टी नहीं है । अब देखिये अध्यक्ष महोदय, इंडीविजुअल लिबर्टी का तो हमारे यहां यह हाल है कि हमारे भाई राम सुभग सिंह पार्लियामेंट के हाउस में पूछ सकते हैं कि होस्टैस का ताल्लुक़ क्या था कि उस को पार्टी दी गई । और भी इंडी-विजुअल लिबर्टी का यह हाल है कि हमारे शहरों में हमारे देश की औरतों को नंगा करके उन का जुलूस निकाल देते हैं । इतनी इंडीविजुअल लिबर्टी है और उस को कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैं ने आप से पहले कहा आज कल करवाने वाले मैदान में नहीं आते हैं । करवाने वाले तो अपने घरों में बैठे रहते हैं और दूसरे लोगों को भेज देते हैं । और अध्यक्ष महोदय, यह रोज़ का क़िस्सा है । मुझे यह देखकर ताज्जुब होता है । जब से यह पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ है, तरह तरह की बातें होती हैं । मैं यहां देखती हूं कि तनख्वाहों की बातें होती हैं, खाने की बातें होती हैं, कपड़े की बातें होती हैं और मैं देखती हूं कि हमारे हाउस के मेम्बर इन चीज़ों की रक्षा करने की बहुत कोशिश करते हैं । लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि एक जो बड़ा भारी खतरा है और हमारे देश में औरत की इज्ज़त को बहुत बड़ा खतरा है इस की तरफ़ किसी का ध्यान नहीं जाता है । मैं याद करवाना चाहती हूं आनरेबिल मेम्बर्स को कि औरतें हमारे घरों में पत्नी के रूप मे, बहिनों के रूप में और माताओं के रूप में हैं और जिस तरफ़ हमारे देश के वह लोग जो कि अपने को सयासी जमातें कहते हैं इस वक़्त देश को लिये जा रहे हैं उस तरफ़ हमारे देश की औरतों की इज्ज़त के लिये बहुत भारी खतरा है । और मैं अध्यक्ष महो-दय, एक ज़िक्र करना चाहती हूं । यह एक छोटी सी बात है पर चूंकि ....

सभापति महोदय : कितना वक्त और लगेगा आप को ?

श्रीमती सुभद्रा जोशी : श्रीमान्, मैं कल पर ही रख दूंगी ।

१ म० प०

सभापति महोदय : हां, आप कल पर ही भाषण रख दें ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार २२ जुलाई, १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।